खण्ड-302, अंक-4
मंगलवार, 22 फाल्गुन, शक संवत् 1894
(13 मार्च, 1973 ई0)

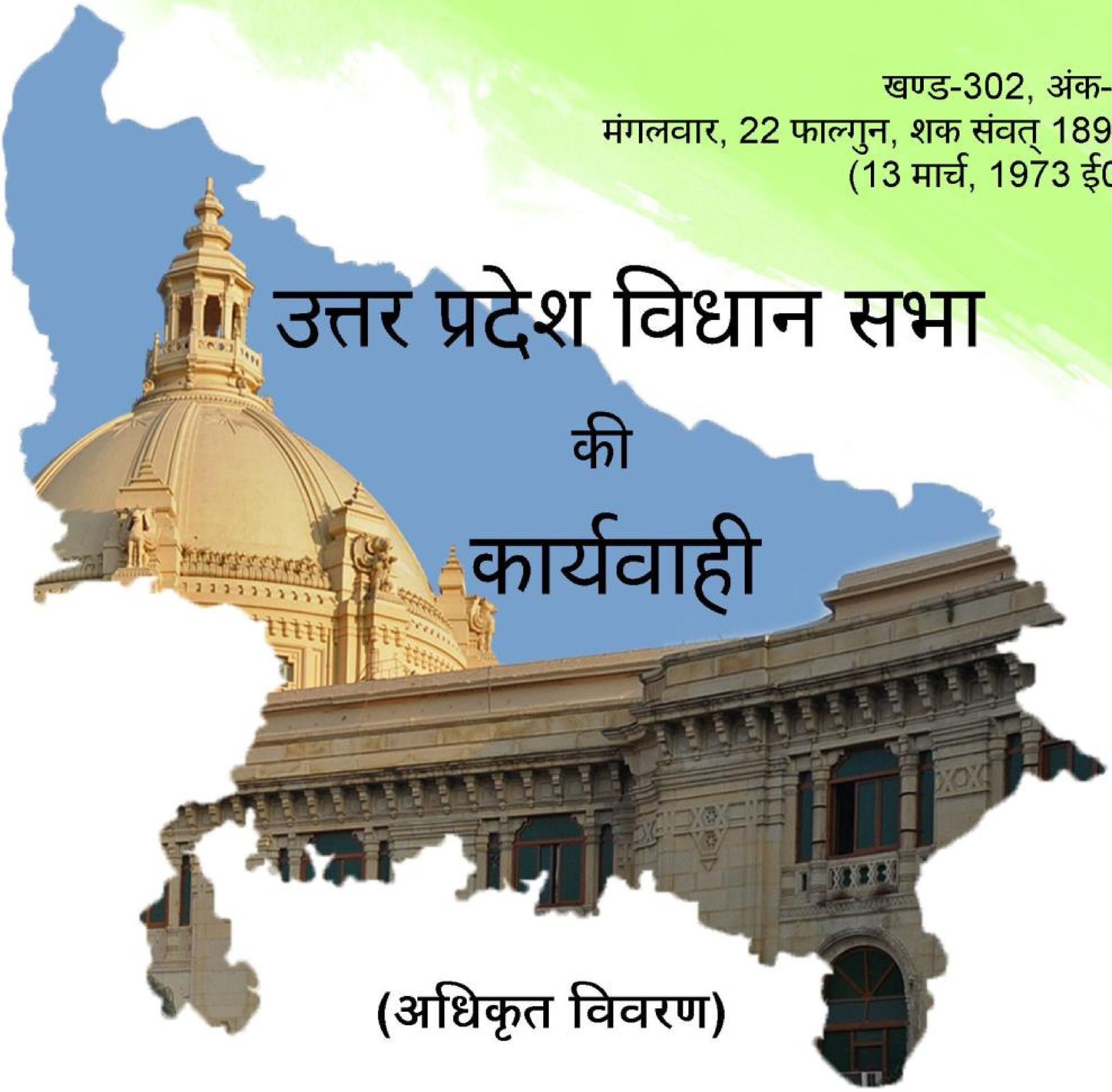

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 302 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 13 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—358

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ला, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसेन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के0 एस0 मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, 'जूदेव' श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर यादव, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दलसिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन नाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर,
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नर्नसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री

बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रमापति त्रिपाठी श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम जियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री

रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
रामबिलास पाण्डेय, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसेन, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लाल राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ट नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह बच्च, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शान्ती चरण पिंडारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकल लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्री कृष्ण डाजपयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र श्री
सन्तोष कुमारी, श्रीमती
सैयद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
संजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती

सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखवार, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, श्री
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोटः—पंचायतीराज मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 13 मार्च, 1973

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

सरूप नगर (कानपुर) सब पोस्ट आफिस में डकैती

**1—श्री श्याम लाल कनौजिया (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि कानपुर नगर के सरूप नगर के सब पोस्ट आफिस में दिनांक 18 जनवरी, 1973 को सनसनीखेज डकैती हुई और बदमाशों ने कर्मचारियों को बुरीतरह घायल कर सारा कैश उठा ले गये? यदि हां, तो अब तक कौन सी कार्यवाही की गई?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार कानपुर नगर के स्वरूप नगर सब पोस्ट आफिस में दिनांक 18 जनवरी, 1973 को बदमाशों द्वारा एक कर्मचारी को घायल करके 1,170 रु0 नकद लूट लिये जाने की घटना हुई जिसके सम्बन्ध में मुकदमा धारा 394 भा0 द0 के अन्तर्गत दर्ज करके जांच प्रारम्भ की गई। अभी तक माल व अभियुक्तगण का कुछ पता नहीं चला है। उनका पता लगाने के लिये पुलिस प्रयत्नशील है।

सिरसा कला (मुरादाबाद) के चौधरी हरिराज सिंह के अत्याचार की शिकायत

**2—श्री जितेन्द्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौधरी हरिराज सिंह, भूतपूर्व जमींदार, निवासी सिरसा कला, तहसील हसनपुर, जिला मुरादाबाद ने ग्राम गरौरा, थाना आदमपुर, जिला

मुरादाबाद में हरिजनों की औरतों के साथ बलात्कार किया तथा उनके पानी पीने के कुएं में हड्डी चलाई व पेशाब डाली तथा गोली चलाई कुछ व्यक्तियों के चोट आई और भैंस की मृत्य हो गई? उक्त घटना की रिपोर्ट तत्काल थाने आदमपुर में माह दिसम्बर, 1972 में लिखाई गई? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की और कितने मुल्जिम पकड़े गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार चौधरी हरिराज सिंह द्वारा हरिजनों की औरतों के साथ बलात्कार करने और गोली से कुछ व्यक्तियों को चोटें पहुंचाने के बारे में कोई सूचना थाना आदमपुर, मुरादाबाद में अंकित नहीं कराई गई परन्तु चौधरी हरिराज सिंह व उनके भाई के विरुद्ध पानी पीने के कुओं में हड्डी डालने, गोली से भैंस को मारने, एक हरिजन औरत को डंडे से पीटने तथा मवेशियों को छोड़ने के लिए रुपया ले लेने की सूचना थाना आदमपुर पर अलग-अलग अंकित कराई गई। उक्त सूचनाओं के आधार पर धारा 277, धारा 429 व धारा 323/384/504/506 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमें कायम किए गये और विवेचना की जा रही है। अभियुक्त हरिराज सिंह को बन्दी बनाया गया तथा उनके भाई ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।

कृषि महाविद्यालय नैनी, (इलाहाबाद) के कर्मचारियों की हड़ताल

**3—श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि इलाहाबाद स्थित कृषि महाविद्यालय, नैनी में उसके तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपने मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी, सेवा के नियमों में सुधार आदि की मांगों को पूरा करने हेतु दिनांक 19-1-73 से हड़ताल पर हैं? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा शासन हड़ताल समाप्त कराने के लिये क्या कर रहा है?

कृषि मंत्री (श्री रामलखन)—

जी हां। मांग-पत्र की तिलिपि संलग्न है।

हड़ताल 25-1-73 को अर्ध रात्रि से कर्मचारियों द्वारा बिना शर्त वापस ले ली गई।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 548 पर)

श्री रामलखन सिंह—

मंत्री जी ने कहा कि 19 तारीख से हड़ताल चली जो एक हजार कर्मचारियों की थी और 25 को बिना शर्त वापस ले ली गयी। मेरी यह सूचना है कि हड़ताल वापस ले ली गयी और यूनियन के पदाधिकारियों से यह समझौता हुआ कि उनकी मांगें पूरी की जायेंगी लेकिन मांगें पूरी करन के स्थान पर बिजली के कटौती की नाम पर 500 कर्मचारियों को नोटिस दे दिया गया और डेरी बन्द हो गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार जांच करायेगी?

श्री राम लखन—

इसकी जांच करा लेंगे।

श्री रामगोपाल सण्ड—

लगभग 5 हजार लिटर दूध इस डेरी के जरिये इलाहाबाद के नागरिकों को बांटा जाता था पिछले 5 वर्षों से लेकर इस एग्रिकल्चर इस्टीट्यूट के अधिकारियों तथा प्रिंसिपल की लापरवाही के कारण कर्मचारियों को सुविधा न मिलने के कारण डेरी बन्द कर दी गई जिससे नागरिकों

को बड़ी असुविधा हो रही है? क्या सरकार कोई तत्काल पग उठायेगी जिससे यह गतिरोध बन्द हो और डेरी अपने ही पशुओं से निकला हुआ दूध बांट सके?

श्री रामलखन—

यह जांच के बाद पता चलेगा कि क्यों बन्द की गयी है। अगर बन्द की गयी है तो चलाने की व्यवस्था की जायगी।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

कर्मचारियों की मांगें क्या थीं और जो आश्वासन दिये गये थे वह क्या-क्या थे?

श्री अध्यक्ष—

कापी दे दी गयी है। उसमें से आप देख लें।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

यह तो बता दिया जाय क्या-क्या आश्वासन थे?

श्री रामलखन—

जो मांगें थीं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा और महंगाई भत्ता देने का सवाल था उस पर गौर हो रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

उनकी किन-किन मांग पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रामलखन—

महंगाई भत्ता तथा वेतन-क्रम के सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

कार्यवाही बड़ा वेग टर्म है। क्या कार्यवाही अब तक की गयी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जो उचित होगा वह कार्यवाही की जायगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अब तक क्या कार्यवाही की गयी यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री रामलखन—

यह निर्णय लिया गया है कि जनवरी 73 से महंगाई भत्ता दे दिया जायगा।

श्री राम गोपाल सण्ड—

यहां के अधिकारी शासन से बड़ी मात्रा में अनुदान लेते हैं और यह डेरी इलाहाबाद शहर के नागरिकों को बड़ी मात्रा में दूध-मक्खन देती है लेकिन पिछले एक महीने से बिजली की कटौती के नाम पर डेरी बन्द पड़ी है? क्या सरकार आश्वासन देगी कि अगर डेरी के अधिकारी इसको नहीं चलाते हैं तो सरकार इसको अपने हाथ में लेकर चलायेगी?

श्री रामलखन—

मैंने पहले ही निवेदन किया कि जांच करने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है।

श्री अशफाक हुसैन सीनियर वाइस चेयरमैन नवाबगंज/नगरपालिका (बाराबंकी) पर हमला

** 4—श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, 1973 में सीनियर वाइस चेयरमैन, नवाबगंज नगरपालिका बाराबंकी, श्री अशफाक हुसैन, ने जिलाधिकारी, बाराबंकी व आई0 जी0 पुलिस, उत्तर प्रदेश को हलफनामा देकर सूचना दी थी कि इंचार्ज कोतवाली, बाराबंकी के कारण उनकी जान को खतरा है और क्या यह सही है कि इस सूचना के लगभग एक पाख बाद 10 फरवरी, 1973 को उन पर आग्नेयस्त्र से प्राणघातक हमला किया गया ? यदि हां, तो घटना के संबंध में श्री अशफाक हुसैन द्वारा पुलिस को दी गई सूचना क्या है और हलफनामा पर उनकी जान की हिफाजत का क्या कोई प्रबंध किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अशफाक हुसैन, सीनियर वाइस प्रेसीडेन्ट, नगरपालिका, बाराबंकी ने 22-1-73 को अपनी जान को थानाध्यक्ष कोतवाली बाराबंकी से खतरा होने की शिकायत करते हुए एक शपथ-पत्र जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी तथा पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 को भेजा था। श्री अशफाक हुसैन ने 10-2-73 को अपने ऊपर श्री तेजकिशुन निवासी मोहल्ला कानूनगोयान, बाराबंकी के द्वारा 7 बजे सुबह फायर किये जानेकी शिकायत करते हुए एक प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक को उसी दिन दिया था जिसके आधार पर कोतवाली में धारा 307 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया जिसकी जांच हो रही है। जांच समाप्त होने पर ही घटना की पुष्टि हो सकेगी।

श्री अशफाक हुसैन के शपथ-पत्र में दी गई सूचना के आधार पर चौकी शहर के पुलिस कर्मचारियों को तथा थानाध्यक्ष कोतवाली को उनकी सुरक्षा के लिये हिदायतें दी गई थी। श्री अशफाक हुसेन की सुरक्षा के लिए 10-2-73 की रिपोर्ट के बाद एक कांस्टेबिल को स्थाई तौर पर लगा दिया गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि अशफाक हुसैन साहब ने जो सूचना दी है इस घटना के बारे में कप्तान साहब को उसमें कोई कारण बतलाया है क्यों हमला किया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उनका कहना है कि थानाध्यक्ष की उन्होंने शिकायत की है जुवा खिलवाने, इधर-उधर से रुपया लेने, अधिक ऊंचे स्टेंडर्ड से रहने की और इसी आधार पर वह समझते हैं कि वह उनसे नाराज हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उन शिकायतों की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच हो रही है और जिस आदमी ने हमला किया उसके विरुद्ध यह शिकायत है कि यह जुवा खिलवाता है कोतवाली से मिल कर ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जैसी सूचना प्राप्त हुई है उन्होंने आई0 जी0 को एक प्रार्थना पत्र दिया है जिस पर सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच के आदेश हुये हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया है तथा पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है उसमें यह है किधमकी देता है और जांच के समय थानाध्यक्ष के खिलाफ शिकायत की इसलिये तुम्हारे हाथ-पैर तोड़ दिये जायेंगे और तुमको किसी मामले में फंसा दिया जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या यह सही है कि मुल्जिम तेज किशन घटना के बाद थाने गया और वहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उसकी सफाई करते हुए रिपोर्ट लिखाई और थाने में उसकी सफाई की गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

अशफाक हुसैन के कथनानुसार सी0 आई0 डी0 में जांच पहले ही दी जा चुकी है । जिस तरह का अब यह आरोप लगाया जा रहा है इसका रिफरेंस भी सी0 आई0 डी0 को दे दिया जाय तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

हमले के लिये पुलिस ने उकसाया और उसके बाद थाने में उसकी सफाई की गयी इस बात को लेकर सी0 आई0 डी0 में जांच के लिये इसे सुपुर्द किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

यह मूल प्रश्न से सबंधित नहीं है ।

श्री नंतराम जायसवाल--

उन्होंने मंजूर किया इसलिये यह सवाल से संबंधित है ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा आपत्ति नहीं है । आप लिखित दे दें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, लिखित तो हमने कह दिया । इस सदन का भी तो कोई मतलब होता है । मैं एक सवाल और कहना चाहता हूं आपकी इजाजत से कि क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब 22 जनवरी को यह सूचना दी गई थी और 10 फरवरी को घटना हुई तो इस 20-22 दिनों के अन्दर उनकी हिफाजत का कोई प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया ? जिन अधिकारियों या कर्मचारियों ने उनकी हिफाजत का प्रबन्ध नहीं किया, क्या सरकार उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, ऐसे आदेश जिलाधिकारी ने जिला प्रशासन को दे दिये हैं और इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी गई है । इसी आधार पर मुस्तकिल तौर पर एक कांस्टेबिल अशफाक साहब के साथ कर दिया गया है । उनसे पहले यह कहा गया था कि यदि वे अपने खर्चे पर किसी को रखना चाहतें हों, तो वे रख सकते हैं लेकिन उन्होंने इसके लिये इन्कार किया । अन्यथा शासन की तरफ से रखे जाने पर उनकी केवल देख-रेख ही की जा सकती थी, उन पर नजर रखी जा सकती थी । किन्तु फिर भी वे रखें या न रखें, उनके साथ एक कांस्टेबुल रख दिया गया है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हू कि जो सूचना मंत्री जी दे रहे हैं बिलकुल सत्य से परे है । किसी को इसकी जानकारी नहीं दी गई । उन्होंने खुद सूचना दी कि हमारी जान खतरे में है । 22 जनवरी से 10 फरवरी के बीच उनकी हिफाजत का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया और लापरवाही हुई है । तो जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ कार्यवाही करने में आपको क्या कठिनाई है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

यदि किसी भी आदमी के खिलाफ कोई भी लापरवाही सिद्ध हो जायगी तो उन्हें हमको सजा देने में कोई संकोच नहीं है और न ही रिजर्वेशन है। मैं इस चीज को दिखवा लूंगा और अगर यह बात सिद्ध हो गई तो उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही होगी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बलिया नगरपालिका द्वारा हाउस टैक्स की वसूली

*1--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या सरकार इस बात की जानकारी करेगी कि बलिया नगरपालिका द्वारा वर्ष 1973 में विगत करीब 7 वर्षों के हाउस टैक्स की वसूली एक साथ की जा रही है? यदि हां, तो किस कारण से और क्या सरकार इस टैक्स की वसूली किस्तों में कराने का प्रबन्ध करेगी? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो क्यों?

स्वायत्त शासन राज्यमंत्री (श्री काजी जलील अब्बासी)--

जी हां। न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण 1967 से वसूली रुकी रही, जो उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश न दिये जाने के फलस्वरूप पुनः चालू की गई। बकाये को चार बराबर किस्तों में वसूल करने के लिये जिलाधिकारी, बलिया को आदेश दे दिये गये हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने वर्षों की वसूली कितने वर्षों में कितने किस्तों पर होगी?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बेनी सिंह)--

4 वर्ष में 4 किश्तों में ली जायगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मान्यवर, जो बकाया वसूली है जो कि 4 वर्षों में करें वह कितने वर्ष की है? स्थगन आदेश 67 में नहीं हुआ था 69 में हुआ था। 6 वर्ष की वसूली के नोटिस और आ गये हैं यह 7 वर्ष का बकाया है और वह 4 किस्तों में ही वसूली होगी।

श्री अध्यक्ष--

आपने खुद कहा कि किस्तों में कर दी जायगी। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 4 किस्तों में वसूली हो जायेगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

6 वर्ष की जो दूसरी नोटिस आई है उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो दूसरी चीज है, वह इसमें नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

कितने दिन का हाउस टैक्स बकाया है?

श्री बेनी सिंह---

माननीय असरार साहब जवाब पढ़ लें उसमें दिया हुआ है ।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार बलिया में 7 वर्ष की वसूली जो कि बकाया थी, उसे 4 साल में वसूल करने के आदेश दे दिये गये हैं, उसी प्रकार प्रदेश की अन्य नगर पालिकाओं के लिये भी वसूली के आदेश देंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

यह तो अलग-अलग केस हैं ।

श्री बेनी सिंह---

यह तो आप हाइपोथेटिकल जवाब मांग रहे हैं । हम इस पर विचार करेंगे कि यह क्यों हुआ, इसमें किसका कसूर है, क्या जरूरत पड़ी, क्यों ऐसा हुआ, इन सब चीजों पर विचार करने की जरूरत है तब कोई कार्यवाही होगी ।

फर्रुखाबाद जिले में यूरिया खाद का कथित ब्लैक

*2---श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में यूरिया खाद के कमी के कारण भारी ब्लैक किया जा रहा है और खाद की बोरी जिसकी कीमत 48 या 49 रुपया है उसे 70-75 रुपया तक बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो आलू तथा अन्य फसलों की खाद की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे किसानों को उचित मूल्य पर खाद मिलने लगे ?

श्री राम लखन---

सरकार को फर्रुखाबाद जनपद में यूरिया खाद के ब्लैक किये जाने की कोई सूचना नहीं है ।

*3---श्री मंजूर अहमद---

[समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तांराकित प्रश्न ।]

श्री ठाकुर इंजीनियरिंग वर्क्स कछवा (मिर्जापुर) को लोहे का कोटा

*1---श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत कछवा टाउन एरिया में श्री ठाकुर इंजीनियरिंग वर्क्स को सरकार द्वारा कृषि यंत्र निर्माण के लिये लोहे का कितना कोटा सन् 1971-72 में दिया गया ? और सन् 1971-72 में कितने थ्रेशर इस संस्था से सरकार द्वारा खरीद करके किसानों को बांटे गये ?

श्री राम लखन---

सन् 1971-72 में सर्वश्री ठाकुर इंजीनियरिंग वर्क्स (प्राइवेट लिमिटेड) कछवा टाउन एरिया, मिर्जापुर को कृषि यंत्र बनाने के लिये 81-5-98 टन लोहा दिया गया था ।

सरकार द्वारा उक्त फर्म से वर्ष 1971–72 में कोई पावर थ्रेशर क्रय नहीं किया गया और न किसानों को बांटा ही गया ।

मुरादाबाद में नजूल की जमीन पर अनधिकृत निर्माण

*2––श्री रघुनाथ सिंह (आगरा) (अनुपस्थित)––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुरादाबाद शहर में वर्ष 1972 तक कुछ बड़े आदमियों ने नजूल की जमीन पर अनधिकृत रूप से दूकानें व मकान बना लिये हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बेनी सिंह––

मुरादाबाद नगर में नजूल भूमि पर अनधिकृत कब्जा एवं उस पर निर्माण के कुल 50 मामले है जिनमें से 31 उन लोगों के हैं जो 1924 की बाढ़ में बसाये गये थे । शेष 19 अन्य लोगों के हैं जिनमें बड़े-छोटे सभी प्रकार के लोग है ।

शासन द्वारा बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों के मामलों को नियमित करने तथा अन्य लोगों को बेदखल करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

नगरपालिका कोंच जालौन द्वारा वेतन में विलम्ब

*3––श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)––

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले की कोंच नगरपालिका के मेहतरों, चुंगी कर्मचारियों, लिपिक वर्ग और अध्यापकों को क्रमशः कितने-कितने माह से तनख्वाह नहीं मिली है और क्यों ?

श्री बेनी सिंह––

जालौन जिले की कोंच नगरपालिका के मेहतरों, चुंगी कर्मचारियों एवं लिपिक वर्ग को इस समय नवम्बर, 1972 का वेतन बांटा जा रहा है । इस प्रकार उन्हें माह दिसम्बर, 1972 तथा जनवरी व फरवरी, 1973 अर्थात गत 3 माह की तनख्वाह नहीं मिली है । अध्यक्ष नगर-पालिका कोंच ने सूचित किया है नगरपालिका के समस्त कर्मचारियों को फरवरी 1973 तक के वेतन का भुगतान मार्च, 1973 तक कर दिया जायगा । अध्यापकों को सितम्बर 1972 से जनवरी 1973 तक का वेतन बांटा जा चुका है । जुलाई 1972 के वेतन नगरपालिका द्वारा अध्यापकों को दिया जा चुका है । अध्यापकों के माह अगस्त, 1972 के वेतन के विषय में नगर पालिका तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के बीच विवाद है कि उसका भुगतान कौन करेगा । भविष्य में अध्यापकों का वेतन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ही वितरित किया जायगा । पिछले तीन महीने अर्थात दिसम्बर, 1972 तथा जनवरी व फरवरी, 1972 तक के वेतन का अभी तक भुगतान न होने के कारण, नगरपालिका की खराब आर्थिक स्थिति है ।

फतेहाबाद आगरा में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़क निर्माण

*4––श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा फतेहाबाद) (अनुपस्थित)––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले के ब्लाक फतेहाबाद में क्रैश प्रोग्राम कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया ? क्या यह सही है कि कितने इस ब्लाक में अन्य ब्लाकों में से कम सड़क बनाई गई ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

आगरा जिले में ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना में विकास खण्ड फतेहाबाद के अन्तर्गत 1–5 किलोमीटर सड़क बन रही है। फतेहाबाद के अतिरिक्त खैरागढ़ तथा जगनेर विकास खंडों में भी क्रमशः 1–4 तथा 1–5 किलोमीटर लम्बी सड़कें ली गई हैं। त्वरित योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं का चयन माननीय संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों तथा विधान परिषद् के सदस्यों को सहमति से किया गया है।

जनपद बहराइच में त्वरित योजनान्तर्गत सड़क निर्माण

*5—श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच), श्री उमानाथ सिंह (जौनपुर) तथा श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जनपद में दिनांक 2 अक्तूबर, 1972 को पूज्य बापू के जन्म दिन के शुभ अवसर पर त्वरित योजनान्तर्गत कौन-कौन सी सड़कों का उद्घाटन किया गया? क्या उन सड़कों पर निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

सामुदायिक विकास उपमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)—

त्वरित योजना के अन्तर्गत किसी भी सड़क का उद्घाटन दिनांक 2–10–72 को नहीं हुआ।

लिंक रोड्स योजना के अन्तर्गत बुतिहा-हरखापुर तथा खुरुहारी–दुबकला सड़कों का उदघाटन दिनांक 2–10–72 को किया गया था। इन सड़कों पर कार्य शुरू नहीं हो सका क्योंकि सड़कों के किनारे फसलें खड़ी थी और कहीं पानी भरा था। अतएव मिट्टी उपलब्ध नहीं थी। अब मिट्टी उपलब्ध हो गयी है। आशा है कि शीघ्र ही कार्य शुरू हो जायेगा।

श्री पारसनाथ सिंह—

वहां की फसल सब कट गयी है और बची हुई फसल भी उस इलाके में जल्दी ही कट जायेगी, तो क्या माननीय मंत्री महोदय कोई निश्चित तिथि बतलाने की कृपा करेंगे कि कब से वहां काम शुरू करा देंगे क्योंकि वहां पर अब पानी भी नहीं है?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

वहां पर पानी नहीं है और फसल कट गयी है तो बहुत जल्दी काम शुरू कराया जायेगा।

श्री पारसनाथ सिंह—

अगर बरसात से पहले काम नहीं खतम होता है तो बरसात में काम नहीं हो सकेगा लिहाजा जल्दी से जल्दी आप कोई तिथि निश्चित करेंगे जब तक कि उसका काम प्रारम्भ हो जाय?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

यही प्रयास रहेगा कि यह कार्य बरसात के पहले खतम हो जाय।

साधन सहकारी समिति शहबाजपुर (बाराबंकी) का निरीक्षण

*6—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि साधन सहकारी समिति, शहबाजपुर, विकास खंड रुदौली जिला बाराबंकी का निरीक्षण सम्पेक्षण कितने वर्षों से नहीं किया गया और क्या शाहबाजपुर वासियों ने समिति के सरपंच द्वारा सदस्यों के हिसाब-किताब में गोल-माल करने व अन्य

अनियमितताएं करने की कितनी लिखित शिकायतें शासन को व संबंधित सहायक निबन्धक को जून, 1972 व नवम्बर, 1972 की अवधि में भेजीं और क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

साधन सहकारी समिति शहबाजपुर विकास खंड रुदौली जिला बाराबंकी का निरीक्षण पिछली बार जनवरी, 1968 में किया गया था तब से कोई निरीक्षण नहीं किया गया। तथा समिति का सम्प्रेक्षण वर्ष 1969–70 से नहीं किया गया है।

जून, 72 व नवम्बर, 72 की अवधि में एक शिकायती-पत्र समिति के सदस्यों द्वारा प्राप्त हुआ जिसकी जांच हेतु अतिरिक्त जिला सहकारिता अधिकारी बाराबंकी को नियुक्त किया गया परन्तु समिति के अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण जांच नहीं हो सकी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् 68 के बाद से जांच न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह बतलाया गया है कि जो कागजात थे वे सम्प्रेक्षण अधिकारी को नहीं प्राप्त हुये जिससे वह जांच नहीं हो पायी।

श्री अनन्तराम जायसाल—

4 साल तक कागजात नहीं प्राप्त हो सके। किस तरह के कागजात थे, किस तरह से किससे पता लगा और क्यों अब तक यह दबा पड़ा रहा तथा अब वे कागजात मिले या नहीं मिले और उसकी जांच हो रही है या नहीं हो रही है ? चार साल तक आडिट न हो यह तो बड़ा गड़बड़ घोटाले का मामला है ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

मान्यवर, जांच के लिये कोआपरेटिव सोसाइटी से कागजात मांगे गये लेकिन कागजात नहीं मिले। उसके बाद सम्प्रेक्षण अधिकारी ने कागजात मांगा तो भी नहीं मिले। जब नहीं मिले तब एफ० आई० आर० लिखवाया गया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी को संतोष है कि खाली एफ० आई० आर० लिखवाकर यह कारगुजारी दिखला देना काफी है या फिर जिस अधिकारी ने या कर्मचारी ने कागजात गायब किये हैं, या जो नोटिफाइड एरिया के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं कि उनको अपदस्थ कर दें ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

अभी कागजात प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है और आशा है कि वे मिल जायेंगे।

श्री अनन्तराम जायसाल—

श्रीमन्, चार साल में उनको कागजात नहीं मिल पाये और पांचवां साल चल रहा है तो क्या वे निश्चित अवधि बता सकेंगे कि कब तक कागजात मिल जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

वे जांच करा सकते हैं निश्चित समय कैसे बता सकते हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, किस तरह से राजकाज चल रहा है, सहकारिता विभाग चल रहा है । 5/6 साल तक कागजात न मिले और मंत्री जी को संतोष हो जाता है तो क्या यह मुनासिब कार्यवाही करेंगे ?

श्री बीरबहादुर सिंह---

जो भी कार्यवाही हो सकती वह सभी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, जो शिकायती-पत्र मिला जिसके लिये यह कहते हैं कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार जांच कर रहे हैं, वे शिकायतें क्या-क्या थीं ?

श्री बीरबहादुर सिंह---

शिकायतें इस प्रकार थीं---1---सहायक विकास अधिकारी (सह0) रूदौली द्वारा सदस्यों के शिकायती पत्र की उनके द्वारा की गई जांच के परिणाम से अवगत नहीं कराया गया । 2---19-4-72 को अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी बाराबंकी भी जांच हेतु आये परन्तु समिति के अध्यक्ष से ही मिलकर चले आये । उनकी जानकारी करने पर अतिरिक्त जिला सहायक अधिकारी ने दिनांक 1-5-72 को शिकायत कर्ताओं से जांच हेतु आने को कहा था परन्तु वे जांच हेतु समिति में नहीं गये । 3---समिति का हिसाब किताब अधिकारियों को निरीक्षण हेतु नहीं दिया जाता । 4---सदस्यों को समिति का हिसाब-किताब देखने को नहीं मिलता । 5---समिति का सम्प्रेक्षण गत कई वर्षों से नहीं किया गया । 6---समिति में गोलमाल है जिसकी शीघ्र जांच कराई जाय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, हिसाब-किताब की जांच है तो क्या मंत्री जी समझते हैं कि यह गम्भीर नहीं है और तुरन्त कार्यवाही की जाय और देरी बर्दाश्त न की जाय ?

श्री बीरबहादुर सिंह---

मान्यवर, जब से शिकायतें आई हैं तभी से कार्यवाही हो रही है ।

टेहरी गढ़वाल में त्वरित योजनाओं पर कार्य

*7---श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1971-72 में जिला टेहरी-गढ़वाल में कितनी और किन-किन त्वरित योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया और उनमें किन-किन में कार्य पूर्ण हो गया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा---

वर्ष 1971-72 में टिहरी गढ़वाल में त्वरित योजना की 17 सड़कों के निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया जिनमें 4 मार्गों पर कार्य पूरा हो गया है । योजनाओं का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 549 पर ।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि त्वरित योजना में जो कार्य हो रहा है उसमें रख-रखाव का प्राविधान है या नहीं ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

अवश्य है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो सड़कें बन रही हैं वे किसके अधीन बन रही हैं पी0 डब्लू0 डी0 या जिला परिषद् ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

त्वरित योजनाओं में विभिन्न विभागों द्वारा सड़कें बनाई जा रही हैं । एक ही जिले में पी0 डब्लू0 डी0 बना रहा है और जिला परिषद् भी बना रहा है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कोई रूरल इंजीनियरिंग सर्विस बनाने का इरादा रखती है जिसके द्वारा यह त्वरित योजनायें चलाई जांय ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

माननीय सदस्य को मैं सूचित करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में रूरल इंजीनियरिंग सर्विस की स्थापना हो चुकी है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या मंत्री जी इस बात का स्पष्ट आश्वासन देंगे कि जो त्वरित योजना चल रही हैं उनको रूरल इंजीनियरिंग सर्विस द्वारा ही कार्यशील किया जायगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

पहले पी0 डब्लू0 डी0 ने कुछ सड़कें बनायीं थीं और कुछ जिला परिषदों ने बनायी थीं, उनकी प्रक्रिया चल रही है और उसके अब डिसटर्ब करने से कार्य में व्यवधान पैदा होगा जो कि हम इस समय नहीं चाहते लेकिन आगे से त्वरित योजना के अन्तर्गत जो कार्य होगा वह रूरल इंजीनियरिंग सर्विस के द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जायगा ।

[दिनांक 13 मार्च, 1973 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न--1]

महानगर महापालिका, इलाहाबाद से सहायक कर अधीक्षकों का स्थानान्तरण

*1--श्री रामगोपाल संड--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इलाहाबाद नगरपालिका से अभी हाल में अर्थात् जलाई, 1972 में अनेक सहायक कर अधीक्षकों का शासन ने स्थानान्तरण किया था ? यदि हां, तो क्या कुछ के स्थानान्तरण रोके गये हैं ? ऐसा किस कारण किया गया ?

श्री काजी जलील अब्बासी--

जी हां । केवल एक सहायक कर अधीक्षक श्री एम0 ए0 फारूकी का स्थानान्तरण जनहित में शासन द्वारा रद्द किया गया था ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने लोगों का स्थानान्तरण किया गया था और वह कौन सा जनहित था जो श्री फारूखी का ट्रान्सफर रोका गया और बाकी सबका कर दिया गया ?

श्री बेनी सिंह—

6 आदमियों का तबादला किया गया था, 3 ने तो ज्वाइन किया, एक साहब रिटायर हो गये, एक साहब 2 नाम से काम कर रहे थे इसलिये यह अकेले रह गये और जनहित तो जनहित ही होता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप व्यवस्था कृपया दें कि यह कहते हैं कि जनहित तो जनहित ही होता है, इसकी क्या व्याख्या की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

उत्तर के शब्दों की व्याख्या मैं नहीं करता हूं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

उनकी व्यवस्था के अनुसार तो डकैती भी जनहित में है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह कहते हैं कि जनहित तो जनहित ही होता है. . . . जो वह समझें वही जनहित है ।

श्री रामगोपाल संड—

मंत्री जी ने कहा कि 6 व्यक्तियों का स्थानान्तरण किया गया था, मैं जानना चाहता हूं कि यह 6 व्यक्ति कितने दिन से इलाहाबाद महापालिका में थे और यह फारुखी साहब वहां कितने दिन से सेवा में थे ?

श्री बेनी सिंह—

सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या यह सही है कि बड़ी मात्रा में फारूखी साहब के खिलाफ शिकायती-पत्र मंत्री जी तथा शासन को भेजे गये थे और उस पर भी उनको तो वहां रोक दिया गया और जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी उनका स्थानान्तरण कर दिया गया ?

श्री बेनी सिंह—

यह हमें नहीं मालूम कि कितने शिकायती-पत्र किसके खिलाफ आये, शिकायतें तो आती ही रहती हैं, ऐसा कोई अफसर नहीं है जिसके विरुद्ध शिकायतें न आती हों, किसके खिलाफ कितनी शिकायतें आईं यह ब्योरा हमारे पास इस वक्त नहीं है ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

आपने कहा कि कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें आया करती हैं तो इन फारूखी साहब के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायतें आई या नहीं ? यदि आईं तो फारूखी साहब को क्यों वहां रोका गया ?

श्री बेनी सिंह---

शिकायतें तो फारुखी साहब के खिलाफ़ भी आई होंगी, इस वक्त नहीं बता सकते कि शिकायतें कितनी आई और उन कार्यवाही हुई होगी ।

श्री बंशीधर पांडेय---

यह होंगी, तो कोई उत्तर नहीं है, आप उत्तर ठीक दें। फाइल में श्रीमन्, इनकी सब मंजूद है, इन्होंने पढ़ा नहीं है, कहिये तो हम निकाल दें ।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---

माननीय मंत्री जी ने बताया कि 6 लोगों का स्थानान्तरण किया गया अगर अकेले फारूखी साहब का रोक दिया गया। तो क्या और लोगों ने प्रयास नहीं किया था कि उनका भी स्थानान्तरण रोक दिया जाय ।

श्री बेनी सिंह---

मुझे याद नहीं है कि उनका कोई प्रयास हुआ या नहीं। प्रयास होता है, हुआ होगा जरूर ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी इस सब बहस के बाद इस बात की जांच करायेंगे कि अमुक-अमुक व्यक्ति जो बताये गये हैं, उनके विरुद्ध स्पेसिफिक क्या शिकायतें थीं और उनके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई और जिनके खिलाफ शिकायतें हैं, उनके विरुद्ध उन सब बातों की जांच कराकर उचित कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी सिंह---

जिसके विरुद्ध और जैसी ये कार्यवाही चाहते हैं, माननीय सदस्य लिखकर दे दें, मैं विचार कर लूंगा ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फारूखी साहब के ट्रांसफर को रोकने की मेयर और डिप्टीमेयर की कोई संस्तुति है ?

श्री बेनी सिंह---

इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

यदि इसकी जानकारी नहीं है तो मंत्री जी को यह नहीं कहना चाहिये कि उन्हें जानकारी नहीं है। उन्हें कहना चाहिए कि नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

आज चूंकि माननीय मंत्री जी तैयार नहीं हैं इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इनके प्रश्नों को स्थगित कर दिया जाय और उन्हें कल ले लिया जाय। इनके अधिकारियों ने सभी सूचना इनकी फाइल में रखी है और अगर ये अपनी फाइल दिखा दें तो मैं दिखा दूं कि इनके पास सब सूचना है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

माननीय मंत्री जी ने बताया कि श्री फारूकी वहां पर कब से हैं, इसकी उनके पास सूचना नहीं है। प्रश्नों के सम्बन्ध में जो पत्रावली इनको मिली है, आश्चर्य है कि उनको यह सूचना

नहीं दी गयी कि कितने सालों से वे वहां पर है । यदि नहीं दी गयी तो उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, जिस ने पूरी सूचना इन्हें नहीं दी है ?

श्री बेनी सिंह---

यदि सूचना मेरे पास होती तो मैं बता देता । इस प्रकार की सूचना की कोई आवश्यकता नहीं थी । इसमें यह था कि किस-किस का ट्रांसफर हुआ । यह सूचना प्राप्त हो गयी है । (शोर)

श्री धर्मवीर---

माननीय बंशीधर पांडेय ने जिस चीज की मांग की है कि श्री फारूखी साहब के विरुद्ध क्या-क्या चार्जेज हैं, यदि उनका विवरण माननीय मंत्री जी सदन के सामने रख देंगे तो स्थिति बिलकुल स्पष्ट हो जायेगी । इसमें नगर प्रमुख इन्टेरेस्टेड थे कि वे वहीं पर रहें, इसलिये उनका ट्रांसफर रुका है । क्या यह सही है ? (कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

कोई भी मंत्री जब किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उस प्रश्न पर जितने भी संभावित सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, उनकी भी सूचना उनके पास आती है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने पूरी फाइल को पढ़ लिया है या जो जवाब दिये जा रहे हैं वे लिखित जवाब के आधार पर ही दिये जा रहे हैं ?

श्री बेनीसिंह---

उत्तर तो पत्रावली पढ़ कर ही दिये जाते हैं । माननीय असरार अहमद से सलाह मशविरा करके उत्तर नहीं दिये जाते हैं ।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

माननीय मंत्री जी क्या विचार करके और अपनी याददाश्त तो दुरुस्त करके बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के स्थानान्तरण म्युनिसिपल बोर्ड ने किये तो उनको क्या खूबी दिखायी पड़ी कि श्री फारूखी साहब का स्थानान्तरण रोक दिया गया ?

श्री बेनी सिंह---

मैंने अर्ज किया जनहित में यही अच्छा मालूम हुआ कि उनका ट्रांसफर रोक दिया जाय ।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस सवाल का जवाब दिया जा रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि मंत्री जी इस विषय में तैयार नहीं हैं । मैं यही जानना चाहता हूं कि मंत्री जी कृपया बतायें कि उन्होंने पूरी तैयारी की है इस प्रश्न के बारे में और अगर तैयारी की है तो बताने की कृपा करें कि फारूकी साहब के खिलाफ क्या-क्या शिकायतें हैं ? इसमें क्या आपत्ति है, उनको बताने में ?

श्री अध्यक्ष---

वह उनके पास नहीं हैं, बता दिया ।

श्री बलवीर सिंह---

उनके पास फाइल है । जनहित के नाम पर वे इसे दबा रहे हैं ।

श्री बेनी सिंह---

शिकायत होती तो बता देते ।

श्री अध्यक्ष--

वह कह रहे हैं कि नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह जो जनहित के नाम की चीज है, इसको आप उनसे डिफाइन तो करवायें। अभी उन्होंने कहा कि जनहित में नहीं है, तो जनहित के नाम पर हमारे प्रश्न के उत्तर को रोका नहीं जा सकता। यह प्रश्न ऐसा है कि देश की सुरक्षा का नहीं है। या कोई ऐसी बात से संबंधित नहीं है कि जिसमें कोई जनहित की बात हो। क्या आप संतुष्ट हैं उनके जवाब से कि यह जनहित में नहीं है और यदि संतुष्ट हैं तो आप बाध्य कीजिये मंत्री जी को कि इसका जवाब दें ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने जवाब दे दिया कि जनहित में नहीं। उनके पास शिकायतें नहीं हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

हम, मान्यवर, केवल इस प्रश्न के बारे में नहीं पूछ रहे हैं हम तो चाहते हैं कि ये इस जनहित के नारे को डिफाइन करें।

श्री अध्यक्ष--

मैं जवाब दे रहा हूं। आपने प्रश्न उठाया। इसमें उनकी राय है कि खाली जनहित में नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

जनहित में आपका संतुष्ट होना जरूरी है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जो संतुष्ट होगा वही कहेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मंत्री जी भले ही संतुष्ट हो जायं लेकिन जब तक आप सदन के अन्दर संतुष्ट नहीं होंगे कि जनहित में प्रश्न है कि नहीं, तब तक मंत्री को आप उत्तरित करने को बाध्य करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप समझ लीजिये कि हमारे यहां शिकायत मौजूद नहीं है। जब नहीं है शिकायत, तो कैसे कह सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अभी स्वामी जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि आपको मान्यवर, संतुष्ट होना चाहिये कि जनहित में है कि नहीं, उसमें मैं समझता हूं कि मामला बहुत साफ है जो कि उत्तर देने वाले मंत्री है, यह उसी के विवेक पर है कि किसी प्रश्न का उत्तर जनहित में दिया जाय या न दिया जाय। इसमें वह बाध्य नहीं किया जा सकता कि जवाब देना ही होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने उत्तर यह दिया है कि जनहित में केवल मंत्री जी को ही संतुष्ट होना आवश्यक है कि जनहित में है कि नहीं। मेरा नम्र निवेदन है कि इसमें केवल मंत्री की बात

नहीं है। इसमें, मान्यवर, आपका संतुष्ट होना जरूरी है कि नहीं यह जनहित में उत्तरित किया जाय या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

मैंने तो आपको बता दिया। आप तो ऐसी चीज कहते हैं कि जैसे मेरा एक्जामिनेशन ले रहे हों।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं तो मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

व्यवस्था यह दे रहा हूं कि जब मंत्री से कोई प्रश्न पूछते हैं तो मंत्री को पूरा राइट है कि कहने को कि जनहित में है या नहीं। आप क्रस-एक्जामिनेशन करें। उसी के लिये मैंने कहा। इशारा भी किया। लेकिन आपकी समझ में नहीं आया तो क्या करें। मैंने इशारा किया कि जब उनको यह नहीं मालूम कि शिकायत है कि नहीं तो जनहित में है कि नहीं, उन्होंने जजमेंट नहीं किया। उन्होंने खाली जो उसके पास बात आयी है कि जनहित में उनका ट्रान्सफर न किया जाय, उसको उन्होंने रिपोर्ट कर दिया।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, मेरे व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर नहीं आया ....

श्री कमलापति त्रिपाठी---

एक व्यवस्था का प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह उचित है कि हमारे अध्यक्ष इशारा कर दिया करेंगे किसी सवाल के लिये ?

श्री अध्यक्ष---

मैं यह सजेस्ट जरूर कर सकता हूं। इसमें दो चीज हैं। जो माननीय मंत्री जी ने कहा है वह उन्होंने जनहित में कहा है। उन्होंने कोई जजमेंट नहीं दिया है। जो जवाब उन्होंने दिया वह उन्होंने उस आधार पर पढ़कर सुना दिया जैसा उनके पास आया था।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मान्यवर, एक मौलिक प्रश्न है। जो उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे कि जनहित में है, उसका अन्तिम निर्णय आपके द्वारा होगा, कि है, कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

यह अन्तिम निर्णय मेरा नहीं है। जो जवाब उनके पास आयेगा, वही जवाब देंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जो जवाब देने में आनाकानी करेंगे इस नाम पर कि जनहित में है, तो उसका निर्णय कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष---

जब आप संतुष्ट नहीं होंगे तो नियम 49 में आप मेरे से वाद-विवाद मांगेंगे। केवल यही हो सकता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि फारूखी साहब को 15 वर्ष से ऊपर वहां हो गये और हो सकता है कि 15 वर्ष से ऊपर हो गय हों, तो क्या इस तथ्य को ध्यान म रखते हुए कि अब उनका रहना वहां जनहित में नहीं है क्योंकि इतनी लम्बी अवधि तक रहने से निहित स्वार्थ पैदा हो जाता है, तो क्या जनहित में उनका स्थानान्तरण करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, जो स्थानीय निकाय हैं जैसे महापालिका और नगरपालिका, वहां पर 15 वर्ष तो क्या 25 वर्ष तक लोग काम करते रहते हैं और अब भी लोग हैं। हम यह देख लेंगे कि उनका रहना वहां जनहित में है कि नहीं और जैसा मुनासिब होगा वैसी कार्यवाही करेंगे।

एक सदस्य—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष—

इस पर काफी समय हो गया।

प्रदेश की नगरपालिकाओं के एक्जीक्यूटिव आफिसरों की मीटिंग क निर्णय

*2—श्री रामगोपाल संड—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की नगरपालिकाओं के एक्जीक्यूटिव अफसरों की जो मीटिंग लखनऊ में दिनांक 27–28 जुलाई, 1972 को स्वायत्त शासन मन्त्री की अध्यक्षता में हुई उसमें मेहतर बंधुओं के हित में क्या निर्णय लिये गये ? क्या सरकार उन्हें सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री काजी जलील अब्बासी—

प्रश्नगत मीटिंग में मेहतरों के कल्याण के सम्बन्ध में एक्जीक्यूटिव आफिसरों को यह निदेश दिये गये थे कि:—

(1) सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने की शीघ्र कार्यवाही की जाय।

(2) मेहतर बन्धुओं के लिये पीने का स्वच्छ पानी, रोशनी, मकान का प्रबन्ध किया जाय।

श्री बलवीर सिंह—

जो उत्तर पढ़ा गया, वह समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

मैं भी नहीं सुन सका हूं। आप कृपाकर ठीक से पढ़े और धीरे-धीरे पढ़।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मेरा शासन से निवेदन है कि उनको हिन्दी पढ़ने में सहायता कर दी जाय।

श्री काजी जलील अब्बासी—

मैं हिन्दी अच्छी तरह से पढ़ सकता हूं।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, जब आपने यह कह ही दिया कि मन्त्री जी अपने विवेक से काम लेंगे तो वह अपने विवेक से पढ़ रहे हैं चाहें हमारी समझ में आये अथवा नहीं।

श्री अध्यक्ष---

उनका गला माइक्रोफोन नहीं पकड़ता । आप धीरे धीरे बोलें ।

श्री धर्मवीर---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्री अध्यक्ष---

बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता ।

श्री रामगोपाल संड---

पिछली जुलाई के महीने में प्रदेश के एक्जीक्यूटिव आफीसर्स की जो कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें शासन ने यह निर्णय लिया था कि नगरपालिकाओं के अन्दर मेहतर बन्धु जो अपने सिर पर मैला ढोते हैं, वह प्रथा समाप्त की जाय और उनको गाड़ियां आदि दी जायें । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट आई है कि कितनी नगरपालिकाओं ने यह व्यवस्था कर दी जिससे वह अपने सिर पर मैला न ढोवें? क्या गाड़ियों आदि के लिये कोई अनुदान दिया है ? ऐसी नगरपालिकाओं की संख्या कितनी है ? और यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री बेनी सिंह---

16 नगरपालिकाओं में इस तरह की प्रथा खत्म कर दी है ।

श्री रामगोपाल संड---

आपने 16 में खत्म करने के लिये कदम उठाया । जो शेष नगरपालिकायें हैं उनमें भी इस प्रथा को समाप्त करने के लिये इस बजट सत्र के अन्दर शासन कोई कार्यवाही करने जा रहा है ?

श्री बेनी सिंह---

श्रीमन्, यह हमारा संकल्प है कि अगस्त 73 तक सब जगह इस मैला उठाने वाली प्रथा को निर्मूल कर दें । इसके लिये हम कदम उठा रहे हैं । जहां यह प्रथा खत्म नहीं हुई वह जगह बहुत कम है । वहां हम अनुदान देते हैं कि इस सिर पर मैला उठाने वाली प्रथा को खत्म करें ।

श्री रामगोपाल संड---

मन्त्री जी यह गलत बयानी कर रहे हैं । वह कह रहे हैं कि बहुत कम रह गयी है जहां यह प्रथा समाप्त नहीं हुई है और अभी उन्होंने कहा कि 16 में समाप्त हुई है । जबकि 150 है ।

श्री बेनी सिंह---

जब मैंने आंकड़े मंगाये थे कि कितनी नगर महापालिकाओं ने यह प्रथा समाप्त की तो 25 की सूची आयी थी । उनमें 16 में समाप्त हुई है ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

नगर महापालिकाएं पांच हैं और वह सोलह कह रहे हैं । उन्हें यही नहीं मालूम कि नगर महापालिकायें कितनी हैं ।

श्री अध्यक्ष---

रामगोपाल संड का प्रश्न है । वह बोल रहे थे । क्या आपको जवाब ठीक मिल गया ।

श्री रामगोपाल संड—

जी नहीं। दूसरा प्रश्न है। शासन ने निर्णय लिया था मेहतरों के लिये मकान बन जायेंगे, पानी और रोशनी का प्रबन्ध हो जायगा। क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितनी बस्तियों में पानी और रोशनी का प्रबन्ध हो गया कितने मकान बन गये ?

श्री बेनी सिंह—

जहां-जहां बड़े-बड़े शहरों में गया तो वहां मैंने देखा कि कहां रोशनी और पानी का प्रबन्ध हुआ। लेकिन जहां तक मकानों की बात है वह इतनी जल्दी नहीं बन सकते। उनके लिये व्यवस्था की जा रही है।

श्री रामगोपाल संड—

अध्यक्ष महोदय, क्या आप इनके उत्तर से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि जहां-जहां मैं गया लेकिन नाम एक भी नहीं बतलाया।

श्री अध्यक्ष—

मेरे संतुष्ट होने का सवाल नहीं है।

श्री बलवीर सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि यह भंगी बन्धु सबसे गरीब, पिछड़े हुए और उपेक्षित है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कोई कमेटी या आयोग गठित करने के लिये तैयार है जो इनकी हालत का अन्दाजा लगा कर सुझाव दे सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इसकी घोषणा अपने बजट भाषण में वित्त मन्त्री जी द्वारा हुई है। हमने निश्चय किया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये एक आयोग गठित किया जाये जो यह देखे कि जो अधिकार संविधान या आपके कानून के अनुसार प्रदान किये गये हैं उनका परिपालन हो रहा है या नहीं और उनकी कौन सी शिकायतें हैं।

श्री बलवीर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल ही नहीं है। वह तो सबके लिये होगा। मैं तो खास तौर से भंगी बन्धुओं की बात कह रहा हूं। उनके लिये आप क्या कर रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं समझता हूं यह काम उससे भी पूरा हो जायगा। जो आयोग गठित करेंगे उसे इन बन्धुओं के लिये विशेष रूप से रेफरेन्स कर दिया जायगा।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

क्या माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी नगरपालिकायें ऐसी हैं जहां पर कि मेहतर बन्धुओं के लिये सफाई और पानी का प्रबन्ध नहीं है और उनके लिये सरकार क्या करने जा रही ?

श्री बेनी सिंह—

इसमें तो सूचना की जरूरत होगी।

श्री पारस नाथ सिंह—

क्या सरकार वे सुविधायें जो नगर महापालिकाओं में दे रही हैं जैसे सफाई, उनके घर में रोशनी आदि की टाउन एरियाज व नोटिफाइड, एरियाज में भी देगी?

श्री बेनी सिंह—

देंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह स्वतंत्रता का रजत जयन्ती वर्ष है। जहां तक मुझे याद है एक डेड लाइन दी गयी थी शायद 2 अक्तूबर से या 15 अगस्त से, तारीख मुझे याद नहीं है, कि उस तिथि के बाद से मेहतर सिर पर मैला नहीं ढोयेंगे। फिर ऐसा उत्तर "कि साल भर के अन्दर कर दिया जाएगा" क्यों दिया जा रहा है? निश्चित तिथि क्यों नहीं तय कर दी जाती है कि इस प्रथा को समाप्त कर दिया जायगा?

श्री बेनी सिंह—

15 अगस्त, 1973 तय की गयी थी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मन्त्री जी को यह विदित है कि उन्होंने यह व्यवस्था की थी कि मैला सिर पर न ढोया जाए और इलाहाबाद नगर महापालिका और दूसरी नगरपालिकाओं को ट्रेक्टर देने की बात तय हुई थी? क्या मन्त्री जी को यह सूचना है कि नगरपालिका उत्तरकाशी को ट्रेक्टर नहीं दिया गया था?

श्री बेनी सिंह—

माननीय सदस्य को थोड़ा सा भ्रम है—यह नहीं तय हुआ था। व्हील बरोज देने की बात थी ताकि वे उसको हाथ में लें चल चल सकें। उत्तरकाशी नगरपालिका को क्या जवाब दिया गया इस वक्त तो मैं नहीं बता सकूंगा। ट्रेक्टर देने का आश्वासन नहीं दिया गया था—व्हील बरोज का आश्वासन दे सकता हूं।

नगर पालिका कासगंज (एटा) के अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*श्री नेतराम सिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले में नगरपालिका कासगंज के अधिशासी अधिकारी के आचरण, उनके अभद्र व्यवहार, अनियमितताओं एवं पद के दुरुपयोग के कितने शिकायती-पत्र माह सितम्बर, 1971 से जून, 1972 तक जिलाधिकारी एटा को मिले? और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की? क्या यह भी सच है कि मुन्सिफ कासगंज की अदालत में इनके अभद्र व्यवहार के कारण मानहानि का मुकदमा चल रहा है?

श्री बेनी सिंह—

जिला मैजिस्ट्रेट, एटा के पास माह सितम्बर, 1971 से जून, 1972 तक अधिशासी अधिकारी कासगंज के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई अतः शासन द्वारा किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक मुन्सिफ कासगंज के न्यायालय में उनके अभद्र व्यवहार के कारण मानहानि का मुकदमा चलने का प्रश्न है इस विषय में दिनांक 24-4-1972 जो मुन्सिफ कासगंज के न्यायालय से एक नोटिस अधिशासी अधिकारी कासगंज को प्राप्त हुआ था जिसका जवाब देने के उपरान्त उक्त न्यायालय ने उक्त नोटिस समाप्त कर दिया।

*4—श्री नेतराम सिंह—

[9वें शक्रवार के लिये प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहकारी संस्थाओं के गबन के मामले तथा विशेष पुलिस दस्ते संगठन

*5—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में सहकारी संस्थाओं के गठन के कुछ मामले मार्च, 1972 तक पुलिस में दर्ज किये गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन कितनी-कितनी राशि के कब-कब ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 21-3-72 तक राज्य की सहकारी संस्थाओं में 1,73,44,426 रु0 49 पैसे के कुल 1862 गबन के मामले पुलिस में दर्ज किये गये । इनमें से 56,12,234 रु0 76 पैसे के 764 मामलों में पुलिस ने चार्जशीट लगा दी है और 2,91,529 रु0 88 पैसे के 76 मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है ।

शेष 1,14,40,661 रु0 85 पैसे के 1022 मामले अभी पुलिस की जांच में है जिनके जनपदवार † विवरण सदन के पटल के लिये संलग्न है ।

*6—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री त्रिलोक चन्द—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ऐसे गबन के मामले निपटाने के लिये एक विशेष पुलिस दस्ता गठित किया गया है ? यदि हां, तो उसका आधार और रूप क्या है और इस पुलिस दस्ते में कौन-कौन राजपत्रित कर्मचारी हैं और उनका वेतन-मान कितना-कितना है तथा इस दस्ते में मार्च सन् 1971-72 तक कौन-कौन कार्य किया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

सहकारी संस्थाओं के गबन की विभिन्न थानों पर लिखाई गई एफ0 आई0 आर0 की शीघ्रता से जांच करने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग में एक विशेष अनुसंधान शाखा का गठन किया गया है जो मुख्यालय लखनऊ में स्थित है । उक्त शाखा में निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारी नियुक्त हैं:—

क्रम-संख्या	अधिकारी का नाम		संख्या	वेतन	विशेष वेतन
				रु0	रु0
1	पुलिस अधीक्षक	..	1	700-1,100	150
2	उप पुलिस अधीक्षक	..	1	300-900	75
3	सीनियर जन अभियोक्ता	..	1	300-900	75
4	सहायक निबन्धक	..	1	300-900	रिक्त

†छापा नहीं गया ।

उपरोक्त के अतिरिक्त गढ़वाल मण्डल को छोड़कर प्रदेश की 10 मण्डलों में से प्रत्येक में एक उप पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति का प्राविधान है। उनका वेतन-मान 300–900 रु0 है और 75 रु0 प्रति माह विशेष वेतन भी मिलेगा।

पुलिस विशेष अनुसंधान शाखा दिनांक 31–3–72 को 253 मामलों की विवेचना कर रही थी। इन सब में 31,86,403 रु0 22 पैसे की धनराशि गबन की गई है। 115 अभियुक्त उक्त तिथि तक गिरफ्तार किये जा चुके थे तथा अभियुक्तों ने अनुसंधान के प्रभाव के कारण 51,747 रु0 81 पैसे जमा कर दिया था।

श्री शम्भू नाथ चौधरी––

करीब 56 लाख रुपये से संबंधित मामलों में चार्जशीट लगी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जवाब में विस्तारपूर्वक बतला दिया गया है। पुलिस 253 मामलों में विवेचना कर रही है और 115 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। और भी कार्यवाही हो रही है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी––

115 व्यक्ति जो गिरफ्तार किये गये हैं वह तो विभाग की पुलिस द्वारा किये गये हैं। 56 लाख रुपये के मामले और हैं जिनमें चार्जशीट दी जा चुकी है। उसमें से कितने गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

1862 गबन के मामले हैं जिनमें से 764 मामलों में चार्ज शीट लग गई है और 76 मामलों में फायनल रिपोर्ट लग गई है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी––

उत्तर साफ नहीं आया है। 115 आदमियों को विभाग की पुलिस ने गिरफ्तार किया है लेकिन 56 लाख के मामले और हैं जिनमें प्रदेश की पुलिस चार्जशीट दे चुकी है, तो उसके अन्तर्गत कितने लोग गिरफ्तार किये गये हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह––

इसमें सूचना की जरूरत होगी।

श्री पारस नाथ सिंह––

मन्त्री जी के उत्तर में पता लगता है कि सबसे ज्यादा गबन सहकारिता विभाग में हुआ है। तो क्या मन्त्री जी इसके लिये गबन के मामले कम हों कोई उच्च स्तरीय आयोग गठन करने की बात करेंगे ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)––

6 महीने का समय दिया था, 3 महीने बीत गये हैं, बाकी 3 महीने में भ्रष्टाचार समाप्त हो जावेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

इसी काम के लिये विशेष अनुसंधान शाखा का गठन किया गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

1 करोड़ 14 लाख के मामले पुलिस के विचाराधीन हैं। क्या आप इन मामलों को अपनी अनुसंधान शाखा को सौंप देने को तैयार है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

बहुत से मामले तो सौंप भी दिये गये हैं।

श्री त्रिलोक चन्द--

इसमें लिखा है कि पुलिस की जांच का विवरण सूचना पलट पर संलग्न है लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिला है। मैं प्रश्न कैसे करूं ?

श्री अध्यक्ष--

यह कोई दूसरा प्रश्न होगा।

श्री त्रिलोक चन्द--

इस प्रश्न में मेरा और श्री शम्भूनाथ चौधरी दोनों का नाम है।

श्री बीर बहादुर सिंह--

जनपद बार रिपोर्ट 32, 33 पृष्ठ में है। यह कहा गया है कि सूचना पटल क लिय संलग्न है।

अध्यक्ष--

यह बहुत लम्बा चौड़ा है। मेरे पास मौजूद है। यह माननीय सदस्य को नहीं दिया गया है। आपने लिख दिया कि सदन के पटल के लिये संलग्न है, तो पटल के लिये संलग्न करना चाहिये था।

श्री त्रिलोक चन्द--

मान्यवर, इसे स्थगित कर दीजिये।

अध्यक्ष--

चौधरी साहब को मिला होगा, आप उसको देख लीजिये।

श्री त्रिलोक चन्द--

वह भी नहीं लाये हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

एक प्रश्न पूछ लेने दीजिये। माननीय सहकारिता मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 6 महीने में विभाग से भ्रष्टाचार समाप्त हो जावेगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि किससे मतलब था, जितने भ्रष्टाचार के कसेज हैं वह समाप्त हो जावेंगे, या भ्रष्टाचार समाप्त हो जावेगा ?

(उत्तर के लिये खड़े होने पर)

मेरे सवाल का जवाब दिलवा दें।

श्री बीर बहादुर सिंह--

इस सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है।

जिला परिषद् बस्ती में कर्मचारियों की छटनी तथा पुनर्नियुक्ति

*7—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती), श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल) तथा श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई और अगस्त सन् 1972 में जिला परिषद् बस्ती में कुछ कर्मचारियों की छटनी करके निकाला गया है? यदि हां, तो क्या जो पुनः नियुक्ति जिला परिषद् में की जा रही है उसमें छटनीशुदा कर्मचारियों को न करके नये लोगों की नियुक्ति की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां।

नियुक्ति में उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए छटनी शुदा कर्मचारियों को भी नियुक्त की गयी और अन्य व्यक्तियों की भी।

सदर अस्पताल तथा महिला अस्पताल (बस्ती) में पानी की टंकी के निर्माण में विलम्ब

*8—श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री शिवानन्द नौटियाल तथा श्री राम करन सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सदर अस्पताल, बस्ती तथा महिला-अस्पताल, बस्ती में विभाग के द्वारा पानी पीने हेतु टंकी का निर्माण तीन वर्षों से कराया जा रहा है और क्या यह सही है कि लाखों रु० खर्च करने के बावजूद भी सितम्बर, 1972 तक वह टंकी चालू नहीं की गई? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने के लिये सरकार सोच रही है?

श्री बेनी सिंह—

सदर अस्पताल बस्ती व महिला अस्पताल बस्ती में पेय जल की व्यवस्था के लिये निर्माण कार्य का प्राक्कलन रु0 1,32,600 की अनुमानित लागत का जून 1968 में तैयार किया गया था। नवम्बर 1969 में धन उपलब्ध कराने के पश्चात् स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग ने कार्य आरम्भ किया। मजदूरी और सामान की दरों में वृद्धि के कारण पुनरीक्षित प्राक्कलन 1,55,350/—रु0 की अनुमानित लागत के तैयार किए गए। अब तक कुल रु0 1,33,270/— व्यय किया जा चुका है और महिला अस्पताल बस्ती में सितम्बर 1972 में और सदर अस्पताल बस्ती में नवम्बर, 1972 में पानी की टंकी चालू कर दी गई है। विलम्ब के लिये कोई जिम्मेदार नहीं है न ही किसी के खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न उठता है।

*9—10—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

थाना सदर बाजार शाहजहांपुर में रजिस्ट्रार सहकारिता द्वारा गबन की रिपोर्ट

*11—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, जून 1971 में शाहजहांपुर के सदर बाजार थाने में जो तीन गबन की रिपोर्ट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहकारिता ने 31 हजार,

---

नोट—तारांकित प्रश्न 6 के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

35 हजार तथा 88 हजार की लिखाई उनमें क्या कार्यवाही हुई और जो रिपोर्ट 88 हजार के गबन की है उसके लिये उत्तरदायी कौन है और इस मामले को क्यों अभी तक पुलिस के सुपुर्द नहीं किया गया और क्यों जांच शुरू नहीं हुई? यदि हां, तो क्यों ?

सहकारिता मन्त्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

रु0 31,720.08 पैसा के गबन के मामले में विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा विवेचना की जा रही है। 88,921 रु0 32 पैसा के सम्भावित गबन की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराये जा चुकी हैं। गबन का उत्तरदायित्व जांच पूरी होने के बाद ही निर्धारित किया जा सकेगा। तीसरा मामला 21,725.00 रुपये के गबन का है, न कि 35,000 रु0 का। उक्त मामले की रिपोर्ट थाना सदर में दिनांक 19-6-71 को लिखाई गई थी। यह मामला भी विशेष अनुसंधान शाखा की विवेचना में है।

*12—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[निरस्त]

म्युनिसिपल बोर्ड सहसवां (बदायूं) द्वारा डी० आई० जी० एवं मण्डलीय कमिश्नर को मान-पत्र

*13—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या स्वायत्तशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार म्युनिसिपल बोर्ड, बदायूं और सहसवां (जिला बदायूं) द्वारा डी0 आई0 जी0 एवं मण्डलीय कमिश्नर, बरेली को सितम्बर-अक्तूबर, 1971 में मान-पत्र भेंट किये गये जिसमें राजनतिक भाषण दिये गये ? यदि हां, तो क्या शासन अधिकारियों को स्वायत्त निकायों द्वारा मान-पत्र दिये जाने की प्रथा का निषेध आज्ञा प्रदान करेगी ?

श्री बेनी सिंह—

यह सत्य है कि सितम्बर 1971 में आयुक्त, रुहेलखंड, मण्डल बरेली को नगर-पालिका बदायूं व सहसवान ने अलग-अलग माने पत्र भेट दिये थे परन्तु आयुक्त अथवा किसी अन्य वक्ता द्वारा कोई राजनैतिक भाषण नहीं दिया गया था।

सितम्बर-अक्तूबर 1971 में उप महापुलिस निरीक्षक, बरेली को इन दोनों में किसी नगरपालिका ने कोई मान-पत्र भेंट नहीं किया था।

जहां तक अधिकारियों को स्वायत्त निकायों द्वारा मानपत्र दिये जाने की प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न है, यह प्रतिबन्ध आल इंडिया सर्विसेज (कन्डक्ट रूल्स 1938) में पहल ही से उपस्थित है जिसके अनुसार अधिकारीगण शासन की बिना पूर्व अनुमति के स्थानीय निकायों से मानपत्र स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

*14—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[निरस्त]

*15—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

[अतारांकित प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत परिवर्तित।]

आर० एम० पी० स्कीम के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर में सड़कों पर कार्य

*16—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर में आर० एम० पी० स्कीम की किन-किन सड़कों के नाम सितम्बर, 1972 तक समाप्त हो चुका है? ऐसी सड़कों के नाम क्या-क्या हैं ? क्या यह भी सत्य है कि इन सड़कों में कुसम्ही-मोतीराम अड्डा झंगहा सड़क भी है ? यदि हां, तो इस पर कार्य करने वाले कितने कांट्रैक्टरों को अभी तक कार्यादेशानुसार धन का भुगतान नहीं किया गया और ऐसा क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सितम्बर 1972 तक जनपद गोरखपुर में आर० एम० पी० स्कीम की निम्न सड़कों का काम समाप्त हो चुका है। और उसमें कुसम्ही मोतीराम अड्डा झंगहा सड़क भी है।

1—वोकटा जैतपुर सड़क

2—बाढ़या-पीपीगंज सड़क भाग (अ)

3—बाढ़या-पीपीगंज सड़क भाग (ब)

4—नौकी बाजार ब्रह्मपुर सड़क

5—पैसिया बाबू अड्डा सड़क

6—सिसवां-हेवती सड़क

7—कुसम्ही-मोती राम अड्डा झंगहा सड़क

कुसम्ही मोतीराम अड्डा झंगहा सड़क पर किसी भी कांट्रेक्टर द्वारा कार्य नहीं कराया गया है। अतः इस सड़क पर किसी भी कांट्रेक्टर को धन का भुगतान नहीं करना है।

विकास खण्ड मझवा (मिर्जापुर) के काश्तकारों की बोरिंग के लिए प्रार्थना

*17—श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड मझवा के कितने काश्तकारों द्वारा बोरिंग के लिये प्रार्थना-पत्र, दिनांक 14 सितम्बर, 1967 तक दिये गये? उनमें से कितनी बोरिंग हो चुकी और कितनी शेष रह गई है ? यदि शेष है तो क्यों ?

*श्री राम लखन—

मिर्जापुर जनपद के मझवा विकास खंड के 33 काश्तकारों द्वारा दिनांक 14-9-67 तक बोरिंग के लिये प्रार्थना-पत्र दिये।

उनमें से 33 बोरिंग हो चुकी है। शेष शून्य है।

जगदीशपुर (सुल्तानपुर) की ग्राम सेविकाओं का वेतन

18—श्री रामनिहोर राय, श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य तथा श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड, जगदीशपुर जिला सुल्तानपुर की समस्त ग्राम सेविकाओं को दीपावली के पूर्व का वेतन दे दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उक्त विकास खण्ड की 5 ग्राम सेविकाओं में से केवल 2 ग्राम सेविकाओं श्रीमती सावित्री देवी व श्रीमती धनपति देवी का मास अक्तूबर 72 का वेतन भुगतान नहीं किया जा सका था। श्रीमती सावित्री देवी 23-10-72 से अनधिकृत अवकाश पर थीं, और उन्होंने 1 अक्तूबर 1972 से 22 अक्तूबर 1972 का वेतन स्वयं नहीं लिया। दूसरी ग्राम सेविका श्रीमती धनपति देवी दशहरा से प्राइवेट चिकित्सक अवकाश पर थीं, और उनसे सिविल सर्जन का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया था जिसके प्राप्त न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका।

गोरखपुर के ब्लाकों में पौष्टिक आहार योजना

*19—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के किन-किन ब्लाकों में पौष्टिक आहार योजना से सम्बन्धित धनराशि सन् 1968 से 1972 माह अक्तूबर तक गई है? क्या यह सत्य है कि इस योजना में उक्त वर्षों में ब्लाक खोराबार में सामान क्रय में युवक मंगल दल के फर्जी अध्यक्षों एवं अन्य मदों पर भुगतान दिखा कर एक लाख छत्तीस हजार छः सौ चौंतीस रुपये का घपला हुआ है? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की जायगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड खोराबार एवं सरदार नगर को सन् 1968 से 1972 माह अक्तूबर तक पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत धन का आवंटन किया गया है।

ब्लाक खोराबार में इस योजना के अन्तर्गत युवक मंगल दल के लिये सामान क्रय करन एवं अन्य मदों पर जो भी व्यय हुआ है उसका लेखा जोखा ब्लाक का लिय में उपलब्ध है। किसी भी भी धन के व्यय में घपला नहीं है।

जिला कृषि अधिकारियों का लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन

*20—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या कृषि मन्त्री कृपा बतायेंगे कि कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश में दिनांक 15 नवम्बर, 1972 तक ऐसे कौन-कौन कार्यवाहक जिला कृषि अधिकारी थे जो लोक-सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं कराये गये? ऐसे जिला कृषि अधिकारियों को दिनांक 15 नवम्बर, 1972 तक उक्त पद पर कार्य करते कितनी-कितनी अवधि व्यतीत हो चुकी है और ऐसे अनमोदित (अनएप्रूव्ड) जिला कृषि अधिकारियों को एप्रूव तथा स्थायी करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है? तथा उन्हें कब तक एप्रूव और स्थायी कर दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम लखन—

केवल एक कार्यवाहक जिला कृषि अधिकारी थे जो लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं कराये गये हैं। इन्हें इस पद पर उक्त तिथि तक कार्य करते हुए केवल 2 मास 13 दिन ही हुए हैं। अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 1 में रिक्तियों पर मौलिक नियुक्ति तथा ज्येष्ठता निर्धारण का प्रश्न कृषि निदेशक के विचाराधीन होने के कारण इन के उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी—11, जिस में जिला कृषि अधिकारी का भी पद आता है, में अनुमोदन तथा स्थायीकरण के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सका है। अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग—1 में मौलिक नियुक्ति तथा ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में कृषि निदेशक द्वारा निर्णय हो जाने के बाद स्थानापन्न रूप से कार्यरत अधिकारियों के अनुमोदन के मामले में विचार होगा।

*21—श्री मोतीलाल देहलवी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*22—श्री चन्द्रभान शर्मा—

[3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 36 के अन्तर्गत उत्तरित]

*23—श्री कल्याण सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

नगर महा पालिकाओं के सभासदों के वेतन तथा भत्ते

*24—श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर) तथा श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को पता है कि संविद शासन ने सन् 1971 में नगर महापालिकाओं के सभासद आदि के लिये भत्ता व वेतन के रूप में कुछ उपलब्धियां देने का निर्णय किया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और अब तक आदेश जारी न करने का क्या कारण है ?

श्री बेनी सिंह—

संविद शासन ने सन्, 1972 में नगर महापालिकाओं के सभासद आदि के लिये भत्ता व वेतन के रूप में कुछ उपलब्धियों के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया था अपितु संविद शासन में तत्कालीन स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रूपनाथ सिंह यादव) द्वारा सन् 1971 में यह विचार व्यक्त किये गये थे कि जनहित में महापालिकाओं के सदस्यों द्वारा दिलचस्पी लिये जाने के लिये यह आवश्यक है कि मेयर और सभासदों के भत्ते तथा मानदेय के लिये प्राविधान किया जाए। नगर प्रमुखों तथा उप नगर प्रमुखों को भत्ते तथा मानदेय महापालिकाओं द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत किये जा सकते हैं। इसी प्रकार सभासदों को भत्ते अधिनियम की धारा 30 (क) के अन्तर्गत नियम बनाने के पश्चात् ही दिये जा सकते हैं। तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

*25—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[समिति के विचाराधीन निरस्त]

नगरपालिका (देहरादून) के कर्मचारियों की भविष्य निधि

*26—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वायत्तशासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून नगरपालिका द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि जो लगभग 12 लाख अभी तक जमा हुई थी अन्य मदों में व्यय कर दी गई है ? जिसकी जानकारी देहरादून के जिलाधिकारियों को कर्मचारियों द्वारा इसी वर्ष (1972) में दो-तीन बार दी तथा क्या कर्मचारियों ने अपनी भविष्य निधि के दुरुपयोग के विरोध में आन्दोलन की भी सूचना दी है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बेनी सिंह—

जी हां। नगरपालिका देहरादून ने भविष्य निधि की धनराशि अन्य मदों में व्यय कर दी थी जिसके सम्बन्ध में पालिका कर्मचारी यूनियन ने अपना प्रत्यावेदन दिनांक 16-10-71, 5-11-71 तथा अनुस्मारक दिनांक 21-1-72 जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून को भेजा था जिस पर जिलाधिकारी ने आख्या मांगी थी तथा आवश्यक कार्यवाही की। नगरपालिका देहरादून सामान्य भविष्यनिधि की धनराशि को धीरे-धीरे जमा कर रही है।

कर्मचारी यूनियन ने कोई आन्दोलन नहीं किया, अतः शासन स्तर पर कोई कार्यवाही करने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई ।

*27—श्री राम करन सिंह तथा श्री राजित राम पांडेय—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

*28—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा तथा श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

[7वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

पंचायत मन्त्रियों को राज्य कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता

*29—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या पंचायती राज मन्त्री दिनांक 19 दिसम्बर, 1972 के मंगलवार नत्थी (ख) के प्रश्न संख्या 45 के उत्तर के क्रम में बताने का कष्ट करेंगे कि पंचायत मन्त्रियों को 1 अक्तूबर, 1971 से राजकीय कर्मचारी घोषित करने पर भी राज्य कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दनांक 1 मार्च, 1972 के बजाय 1 अक्तूबर, 1972 से न दिये जाने के क्या कारण ह ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

पंचायत मन्त्रियों को शासकीय कर्मचारी घोषित किये जाने के बाद उनको राज्य कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिये जाने पर विचार करने के उपरान्त शासन ने यही उचित समझा कि उनको 1 मार्च, 1972 से राज्य कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जाय ।

लालकुआं (नैनीताल) दुग्ध सहकारी संघ में गबन की शिकायत

*30—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सहकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लाल कुआं जिला नैनीताल दुग्ध सहकारी संघ के अध्यक्ष की ओर से संघ के भूतपूर्व आनरेरी सेक्रेटरी के समय (1970-71) में हजारों रुपये के गोलमाल, अथवा गबन की शिकायत सरकार के पास आई है ? यदि हां, तो शासन ने आज तक (21-12-72) तक क्या कार्यवाही की है? और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

ऐसी कोई शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

*31—श्री हरिदत्त काण्डपाल—

[6वें शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

फरेंदा तहसील, जिला गोरखपुर में हरिजन के लिये कुएं

*32—श्री प्यारी देवी गुप्ता (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के फरेंदा तहसील के प्रत्येक विकास खंडों में हरिजनों के लिये किन-किन ग्रामों में कितने कुएं बनाये गये और उपरोक्त ब्लाकों में हरिजनों के लिये निकट भविष्य में कितने कुएं बनान जा रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1972–73 में सामुदायिक विकास विभाग द्वारा गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील के समस्त 6 विकास खण्डों में निम्नलिखित 26 ग्रामों में हरिजनों के लिये एक-एक पेयजल कूप निर्मित हो चुके हैं और एक कूप का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है जो कि विकास क्षेत्र बृजमनगंज के ग्राम बभनी बुजुर्ग में बन रहा है। निकट भविष्य में इन विकास खण्डों में हरिजनों के लिये 5–5 कुएं और बनाने की योजना है।

क्रमांक	विकास खंड का नाम		ग्राम का नाम
1—	बृजमनगंज	..	1—शाहाबाद
			2—हाता बला हरैया
			3—जिगनिहा
2—	धानी	..	1—नौसागर
			2—बरडांड
			3—सिकन्दराजीतपुर
			4—कहरौली
			5—भूसाबार
3—	कैम्पियरगंज	..	1—अलनाबाद
			2—जगल झझवा
			3—जंगल अगही
			4—नवापार
			5—परसिया
			6—शिवपुर करमहां
4—	फरेंदा	..	1—सेमरा महराज
5—	लक्ष्मीपुर	..	1—मल्हनी फुलवरिया
			2—बसन्तपुर
			3—राज मंदिर खुर्द
			4—बरई डीहा
			5—कजरी
6—	नौतनवां	..	1—कोहड़वल
			2—जारा
			3—बड़हरा
			4—रमगढ़वा
			5—चकूदह
			6—कोहरगड्डी

*33—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो कुएं बनाये गये वह किसकी राय से बनाये गये और किन-किन कुओं का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक से कराया गया?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला परिषद् गोरखपुर की परामर्शदात्री समिति की स्वीकृति के अनुसार उपरोक्त कुओं का निर्माण कराया गया है। विकास खण्ड नौतनवा के ग्राम कोहड़वल, जारा तथा

बड़हरा और विकास खण्ड लक्ष्मीपुर के ग्राम मल्हनी फुलवरिया में निर्मित कुओं का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक श्री रामलगन दूबे द्वारा कराया गया है। विकास खण्ड बानी के ग्राम नौसागढ़ तथा विकास खण्ड बुजमगंज के ग्राम शाहाबाद एवं हाताबेला हरैया में निर्मित कुओं का उद्घाटन श्री शिवनलाल सक्सेना, संसद सदस्य द्वारा कराया गया है।

बिन्दकी फतेहपुर की ग्राम सभा मदुरी व देवली में चुनाव सम्बन्धी शिकायत

*34—श्री प्रेम नारायण अहेरवार (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर तहसील बिन्दकी के ग्राम सभा मदुरी व देवली की मत-पत्र पेटियां सील होने तथा नतीजा घोषित कर देने के बाद बिना किसी चुनाव याचिका के ही मत पेटियां खुलवाई गई और मत गणना पुनः की गई? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं। गांव सभा मदुरी में निर्वाचन निर्विरोध हुआ था। गांव सभा देवचली की मतगणना को चुनाव की घोषणा व मतपत्रों को पैकेट में बन्द किये जाने से पूर्व ही परगनाधिकारी द्वारा मौके पर प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर, फिर से देखा गया व गणना सही पाई गई। उसके बाद मतपत्र पैकेट में नियमानुसार सील कर दिये गये। मत पेटियों के सील होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सहकारिता विभाग के सहायक निबन्धकों की वरिष्ठता सूची तथा पदोन्नतियां

*35—श्री उमा नाथ सिंह, श्री जगन्नाथ राव, श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी तथा श्री राम सागर (जिला जौनपुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग में कार्यरत सहायक निबन्धकों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन हो चुका है? यदि नहीं तो क्यों? क्या नवम्बर 72 में कुछ स्थानापन्न एवं अस्थाई सहायक निबन्धक एडहाक रूप से पदोन्नत किये गये हैं, और क्या इन एडहाक पदोन्नतियों से पहले ही चली आ रही किसी अन्य अधिकारी की एडहाक पदोन्नति समाप्त की गई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

उत्तर प्रदेश सहकारिता सेवा (श्रेणी-II) नियमावली के नियम 28 के अनुसार सहायक निबन्धकों की वरिष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आधार पर निश्चित की जाती है। जिन सहायक निबन्धकों की मौलिक नियुक्ति हो चुकी है उनमें से 4 को छोड़कर, जिनकी वरिष्ठता बाद में निर्धारित की जायगी, शेष सब वरिष्ठता अन्तिम रूप से निश्चित करके विज्ञप्ति की जा चुकी है।

नवम्बर 1972 में तीन अस्थायी/स्थानापन्न सहायक निबन्धकों की तदर्थ रूप से उप निबन्धक के पदों पर पदोन्नति की गयी। इन तदर्थ पदोन्नतियों से पूर्व 4 अधिकारियों की स्थानापन्न पदोन्नति समाप्त करने के आदेश समय-समय पर प्रसारित किये गये क्योंकि उक्त अधिकारियों की स्थानापन्न पदोन्नति केवल स्थानीय व्यवस्था के रूप में अल्प काल के लिये की गयी थी और वे ज्येष्ठता के आधार पर दीर्घकालीन तदर्थ पदोन्नति के लिये पात्र नहीं थे।

उपभोक्ता योजना में अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदों की समाप्ति

*36--श्री उमा नाथ सिंह, श्री जगन्नाथ राव, श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री रामसागर--

क्या मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उपभोक्ता योजना में 1961-62, 1962-63 में किन-किन अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी जुनेजा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तथा उपभोक्ता योजना हेतु स्वीकृत कितने पदों को समाप्त किया गया था और क्या अधिकारी अभी भी विभाग की सेवा में हैं? यदि हां, तो किस आधार पर?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत सब से पहले 8 सहायक निबन्धकों के पदों का सृजन दिसम्बर, 1962 में हुआ। अतः वर्ष 1961-62 में उक्त योजना के अन्तर्गत किस अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता। वर्ष 1962-63 में उक्त 8 पदों का सृजन होने के पश्चात् उन पर निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति समय-समय पर की गयी:--

(1) सर्वश्री बी० पी० गोयल
(2) राधे श्याम गुप्ता
(3) निहाल सिंह
(4) बलवीर सहाय सक्सेना
(5) सतीश चन्द्र सक्सेना
(6) हरीशंकर मंगलानी
(7) बी० एस० तिलारा
(8) सिद्धार्थ चौबे

जुनेजा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 19 पद समाप्त किये गये परन्तु इन पदों की समाप्ति के कारण किसी अधिकारी की सेवा समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठा क्योंकि विभाग में उस समय सहायक निबन्धकों के अन्य बहुत से पद रिक्त थे।

*37--श्री पारसनाथ सिंह--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

*38--श्री त्रिवेणी सहाय--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

भूतपूर्व खंड विकास अधिकारी, स्व० श्री भानु प्रताप सिंह के वेतन तथा पेंशन में विलम्ब

*39--श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वर्गीय श्री भानु प्रताप सिंह, भूतपूर्व खंड विकास अधिकारी जामो, जनपद सुल्तानपुर के बकाया वेतन व भविष्य निधि में जमा धनराशि तथा पेंशन की धनराशि अब तक उनकी पत्नी को भुगतान न किये जाने का क्या कारण है जबकि श्री सिंह को स्वर्गवासी हुए लगभग 4 वर्ष हो रहे हैं? सरकार श्री सिंह के बकाया वेतन तथा भविष्य निधि एवं पेंशन की धनराशि अब तक देने में क्यों असमर्थ रही तथा कब तक यह धन श्री सिंह की पत्नी को मिल सकेगा?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

स्वर्गीय श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) की पत्नी को पारिवारिक पेंशन एवं भविष्यनिधि में जमा धनराशि के भुगतान हेतु अधिकार-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित किये जा चुके हैं तथा उनकी पत्नी को कृषि निदेशक के पत्र दिनांक 7-3-73 द्वारा सूचित भी किया जा चुका है कि वह उसका भुगतान गोंडा कोषागार से प्राप्त कर ले।

श्री सिंह दिनांक 1-4-67 से 31-10-67 तक स्थानापन्न क्षेत्र विकास अधिकारी थे और उक्त अवधि का इनका बकाया वेतन बिल आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को दिनांक 22-1-73 को प्री आडिट हेतु भेज दिया गया है अथारिटी प्राप्त होने पर आवश्यक भुगतान कर दिया जायगा।

श्री सिंह के मरणोपरान्त, उनकी सेवा पुस्तिका महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से प्राप्त करने, अपूर्ण सेवापुस्तिका पूर्ण कराने, पारिवारिक पेंशन प्रपत्र तैयार कराने, सम्पूर्ण सेवाकाल के बकाया रहित प्रमाण-पत्र एकत्रित करने तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से पर्याप्त लिखा-पढ़ी करने के कारण प्रसंगगत मामलों से संबंधित धनराशि के भुगतान में विलम्ब हुआ

कर निर्धारण के आदेशों पर आपत्तियां

*40—श्री नैपाल सिंह (जिला मेरठ)—

क्या पंचायतीराज मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा सं0 6078-क 33-1-72, दिनांक 3 अक्तूबर, 72 द्वारा जो कर निर्धारण के बारे में आदेश जारी किये गये हैं, क्या उनके बारे में जिला परिषदों से आपत्तियां प्राप्त हुई हैं? यदि प्राप्त हुई हैं, तो किन-किन जिला परिषदों से प्राप्त हुई हैं? और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला परिषद्, वाराणसी, रायबरेली तथा सहारनपुर से आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जो विचाराधीन हैं।

गाजियाबाद में प्लाटों का आवंटन

*41—श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद सुधार मंडल विभिन्न सेक्टरों में आवासिक प्लाटों को आवंटित करने के लिये जिस निश्चित तिथि तक आवेदन-पत्र मांगता है उस तिथि के पश्चात् कितनी अवधि तक प्लाट आवंटन देने का कार्य पूरा कर दिया जाता है? यदि ऐसी कोई व्यवस्था समय की नहीं है, तो क्या मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करने का विचार कर रहे हैं?

श्री बेनी सिंह—

गाजियाबाद सुधार मण्डल विभिन्न सेक्टरों में आवासिक प्लाटों को आवंटित करने के के लिये जिस निश्चित तिथि तक आवेदन-पत्र मांगता है उस तिथि के लगभग दो माह से छः माह के पश्चात् सामान्यतया प्लाट आवंटन करने का कार्य पूरा कर दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

लोहिया नगर (गाजियाबाद) में किराये की दुकानों के लिये टेन्डर

*42—श्री मन्जूर अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि गाजियाबाद सुधार मण्डल द्वारा लोहिया नगर के सोपिंग सेन्टर में बनाई गई दुकानों को किराये पर आवंटन

करने के लिये प्रीमियम (पगड़ी) के टेंडर किरायेदारों के इच्छुक लोगों से मांगे गये हैं? यदि हां, तो क्या मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सुधार मण्डल, गाजियाबाद में इस प्रीमि म को लाग करन के लिये सरकार से कब आदेश प्राप्त किये थे ?

श्री बेनी सिंह—

जी हां। गाजियाबाद सुधार मण्डल द्वारा लोहियानगर में बनाई जा रही दूकानों के लिये प्रीमियम के टेण्डर मांगे गये हैं। इसके लिये शासन की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

हरिजनों की पदोन्नति हेतु आरक्षण

*43—श्री जीतेन्द्र पाल सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने को कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश मन्त्री मण्डल के निर्णय, जिसमें 18 प्रतिशत हरिजनों को पदोन्नति में निश्चित किये गये हैं के अनुपालन में सहकारी विभाग में जो निकट भविष्य में 50 सहायक निबन्धक के खाली पदों की पूर्ति होनी है उसमें हरिजनों को कितन स्थान सुनिश्चित किये गये हैं? यदि नहीं किये तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के सम्बन्ध में औपचारिक आदेश अभी हाल में राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग की राजाज्ञा संख्या 65/2/69—रा0 एकी0, दिनांक 8 मार्च, 1973 द्वारा प्रसारित किये गये हैं। सहायक निबन्धकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में उक्त राजाज्ञा के अनुसार हरिजनों के लिये स्थान अरक्षित करने के विषय में कार्यवाही की जा रही है।

नगरपालिका सहारपुर को डेवलपमेंट चार्जेज का भुगतान

*44—श्री राम सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहारनपुर नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत जो नई कालोनियां वर्ष 1961 से 1971 तक बनाई गई हैं उनमें से सरकारी आदेशानुसार बोर्ड के कोष में कितना-कितना धन डेवलपमेंट चाजज के रूप में जमा हुआ है ? क्या यह सही है कि डेवलपमेन्ट चाजज का कोई धन नगरपालिका सहारनपुर के कोष में जमा नहीं हुआ है जिससे बोर्ड से लाखों रुपये की हानि हुई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बेनी सिंह—

वर्ष 1961 से 1971 तक सहारनपुर नगरपालिका ने अपने क्षेत्र के अन्तर्गत 10 कालोनियों के निर्माण की स्वीकृति दी। इनमें से 2 कालोनी के कालोनाइजर ने नियमानुसार 2,237 रु0 तथा 2,510 रु0 डेवलपमेन्ट चाजज के रूप में नगरपालिका के कोष में जमा किये हैं। शेष आठ कालोनी के कालोनाइजर उत्तर प्रदेश की नगरपालिकाओं की आवासिक और अनावासिक क्षेत्रों में सार्वजनिक स्ट्रीट्स के ले आउट की नियमावली के नियम संख्या 6 के अन्तर्गत नगरपालिका की संतुष्टि के अनुसार और उनकी सहमति से अपने खर्चे पर स्वयं डेवलपमेन्ट करेंगे। नगरपालिका सहारनपुर को इस कारण हानि होने का प्रश्न नहीं उठता ।

सुरक्षा सेवा कर्मचारियों को मकान तथा भूमि का आवंटन

*45—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यू0 पी0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा सुरक्षा सेवा के कर्मचारियों को मकान और भमि के आवंटन, में क्या सन् 1962 के चीनी युद्ध

और सन् 1965 के पाकिस्तानी युद्ध से प्रभावित सुरक्षा सेवा के कर्मचारियों अथवा उनके आश्रितों को सुविधा दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी सिंह—

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अपनी आवास योजनाओं में सभी सुरक्षा-कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को 15 प्रतिशत तक आवासीय भू-खण्ड आरक्षित किये जाते हैं। भू-खण्डों के अतिरिक्त निर्मित भवनों में भी 15 प्रतिशत तक आवंटन करने की सुविधा दी जाती है।

खिर्शू (गढ़वाल) में पैदल मार्गों की मरम्मत

*46—श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गढ़वाल के विकास क्षेत्र खर्शू के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1972–73 के अन्तर्गत कितने पैदल मार्गों की मरम्मत की गई और कितनों का नव-निर्माण किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

विकास क्षेत्र खिर्शू के अन्तर्गत वर्ष 1972–73 में 8 पैदल मार्गों की मरम्मत कराई गई। 3 पैदल मार्गों के निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है और इन मार्गों पर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

इंडस्ट्रियल कारपोरेजन (मैनपुरी) में खाद के गोदामों की सील बन्दी

*47—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या यह सही है कि एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के हाल में मैनपुरी स्थित समस्त खाद के गोदामों को परगना मजिस्ट्रेट ने गोलमाल तथा ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत पर सील कर दिया है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है तथा अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामलखन—

राज्य कृषि औद्योगिक निगम के मैनपुरी स्थित समस्त खाद के गोदामों को 13-12-1972 से 18–12–1972 तक राज्य कृषि औद्योगिक निगम के मैनपुरी स्थित सहायक बिक्री अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर सील करा दिया गया था। किन्तु अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार जांच में कोई शिकायत तथा गोलमाल नहीं मिला। जिलाधिकारी, मैनपुरी के आदेश दिनांक 19–12–1972 द्वारा समस्त गोदाम पुनः खोल दिये गये हैं।

साधन सहकारी समिति, भाऊपुर (कानपुर) में गबन से संबंधित व्यक्तियों की गिरफ्तारी

*48—श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18 दिसम्बर, 1972 को कानपुर जनपद की साधन सहकारी समिति, भाऊपुर माधो सिंह के सरपंच श्री राम मनोरथ पाण्डे, श्री राम बहादुर खजांची तथा श्री राधेश्याम, भूतपूर्व एकाउन्टेन्ट को सहकारिता विभाग के स्थानीय पुलिस सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया है ? यदि हां, तो किस अभियोग में तथा इनके प्रति किस अधिकारी ने कब रिपोर्ट अंकित कराई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां। सम्बन्धित व्यक्तियों को समिति के 60,000 रु0 का गबन करने के अभियोग में गिरफ्तार किया गया है तथा गबन की रिपोर्ट श्री ओ0 पी0 पाण्डेय, कार्यकारी अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि0, कानपुर ने दिनांक 18-12-72 को थाना बिठूर (कानपुर) में अभियोग संख्या 224 के अन्तर्गत दर्ज कराई है।

जिला सहकारी बैंक (मुजफ्फरनगर) का बकाया धन

*49—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंक मुजफ्फरनगर का कुल कितना रुपया 5 वर्षों से अधिक का बकाया पड़ा है ऐसे व्यक्तियों के कृपया नाम दिये जायें जिन पर 5,000 रु0 या उससे अधिक धनराशि शेष है और इस धन को अब तक वसूल न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मुजफ्फरनगर सीधे सदस्यों को ऋण न देकर अपनी सदस्य समितियों को ऋण देता है जिन पर पांच वर्षों से बकाया धनराशि मुबलिग 3,20,145.35 पैसे हैं। ऋण वसूल करने की जिम्मेदारी समितियों की है अतएव 5,000 रु0 या उससे अधिक धनराशि बकायादारों के नाम की सूची तथा वसूली न होने के कारण देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

कंचनपुर-बंजरिया सड़क (देवरिया) का ठेका

*50—श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला देवरिया में कंचनपुर-बंजरिया सड़क पर कंकड़ का ठेका फर्जी तौर पर पारसनाथ नामक व्यक्ति को दिया गया है जो सेना मे अब भी सैनिक है और जिला परिषद्, देवरिया द्वारा 4 हजार रुपया अधिक भुगतान जून, 1972 में किया गया जबकि उक्त परसनाथ ने न तो स्वयं काम ही कराया और न चैक पर हस्ताक्षर ही किये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला देवरिया में कंचनपुर-बंजरिया घाट सड़क पर मील 2 व 3 में कंकड़ भराई के ठेके का टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे। जो टेण्डर प्राप्त हुए थे, इनमें सबसे कम रेट का टेण्डर श्री पारसनाथ राय का था। अतः नियमानुसार उनके नाम ठेका स्वीकार किया।

परिषद् के कथनानुसार श्री पारसनाथ का नाम सैनिक पंजी में नहीं है।

जून, 1972 में श्री पारसनाथ को 3,000 रु0 के रनिंग बिल का भुगतान किया गया था और अभी अन्तिम भुगतान शेष है।

श्री पारस नाथ ने चेक स्वयं हस्ताक्षर करके प्राप्त किये हैं।

बुलन्दशहर में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत नहरों पर कार्य

*51—श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत 1972-73 के वित्तीय वर्ष में नहरों की पटरों के पक्का करने के लिये जो रकम मंजूर हुई है उसका कार्य आरम्भ हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक यह कार्य आरम्भ हो जायगा और उसके मुकम्मल होने की कब तक आशा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत नहरी सड़कों को पक्का करने के लिये कोई धनराशि मंजूर नहीं हुई है।

लिंक रोड्स योजना के अन्तर्गत नहरी सड़कों को पक्का करने के लिये लगभग 5 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत जिला परिषद्, बुलन्दशहर की परामर्शदात्री समिति ने 7.6 किलोमीटर की तीन सड़कों का चयन किया है। नहर विभाग की स्वीकृति देर से मिलने के कारण उक्त सड़कों पर कार्य शीघ्र न हो सका। अब स्वीकृति मिल गई है। सड़कों का प्राक्कलन तैयार हो गया है। शीघ्र कार्य शुरू हो जायगा और आशा की जाती है कि जून, 1973 तक यह कार्य पूरा हो जायगा।

कृषि विभाग के कर्मचारियों की सेवाय

*52—श्री सुखपाल पांडेय—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो कालोनाइजेशन स्कीम के समाप्त होने पर कृषि विभाग में आये और उनमें से कितनों की सेवायें कृषि विभाग में जोड़ी गयीं और कितनों की नहीं जोड़ी गयीं और कितने कर्मचारियोंके सेवायें जोड़ने के प्रतिवेदन अनिर्णीत हैं? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री राम लखन—

कालोनाइजेशन स्कीम समाप्त होने पर 13 कर्मचारी कृषि विभाग में आए जिनमें से 6 कर्मचारियों की सेवायें कृषि विभाग में जोड़ी गईं और एक की सेवा नहीं जोड़ी गई। 3 की सेवायें जोड़ने के प्रत्यावेदन विचाराधीन है और 3 कर्मचारियों ने इस सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

सहायक अभियंता, चैतन्य स्वरूप मित्तल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*53—श्री शिव कैलाश तथा श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अभियन्ता, श्री चैतन्य स्वरूप मित्तल, अनुरक्षण इकाई स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, झासी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों से सम्बन्धित कोई शिकायती-पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा राज्य मंत्री व मंत्री स्वायत्त शासन विभाग को माह अक्तूबर, 1972 के दूसरे सप्ताह में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री बेनी सिंह—

जी हां, शिकायतें निम्नलिखित हैं:—

1—सरकारी जीप का व्यक्तिगत कार्यों में प्रयोग।

2—जीप की लाग बुक म गलत प्रविष्टि।

3—सरकारी कर्मचारियों को घर के काम में लगाये रखना।

4—नान टेक्निकल व्यक्ति से नान टेक्नीकल कार्य कराना एवं टेक्निकल व्यक्ति से नान टेक्निकल कार्य कराना।

5—सरकारी खर्चे से व्यक्तिगत कार्य करना।

6—फर्जी कोटेशन लेना एवं फर्जी कोटेशन निकलवाना तथा मन चाहे व्यक्ति से कार्य कराना।

7—थोड़े पैसे के लालच में पाइप तोड़वाना ।

8—कार्यरत मजदूरों को पूरी मजदूरी न देना ।

9—प्राइवेट वाहन द्वारा ठेकेदारों से समान की ढुलाई कराना ।

शिकायतों की जांच की जा रही है ।

*54—श्री मोहन लाल कपूर—

(6ठें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जिला मुजफ्फरनगर में बनाई जाने वाली सड़कों के संबंध में शिकायत

*55—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत मुजफ्फरनगर जिले में बनाई जाने वाली सड़कों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा 1 जुलाई, 1972 को जो शिकायत उन्हें दी गयी थी उस पर अभी तक क्या कार्यवाही उन्होंने कराई है तथा किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गई ? कृपया जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत मुजफ्फरनगर जिले में बनाई जाने वाली सड़कों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा 1 जुलाई, 1973 को दी गई शिकायत की जांच संयुक्त सचिव, सामुदायिक विकास द्वारा की गई । जांच से शिकायत सही नहीं पाई गई । इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पत्र दिनांक 8 मार्च, 1973 में माननीय सदस्य को स्थिति से अवगत करा दिया है । अतएव जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

बिसवां तथा सिधौली (सीतापुर) के प्रधानों का चार्ज

*56—श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर) तथा श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)—

क्या सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के तहसील सिधौली तथा बिसवां के नव निर्वाचित कितने प्रधानों को ग्राम सभा का पूर्ण चार्ज अभी तक नहीं मिला है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला सीतापुर की तहसील सिधौली के 28 तथा बिसवां के 13 नवनिर्वाचित प्रधानों को पूर्ण चार्ज नहीं मिला है । चार्ज न मिलने का कारण यह है कि कुछ भूतपूर्व प्रधानों पर भारतीय दंड विधान की धारा 409 के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, कुछ मामले धन अपहरण से सम्बन्धित हैं तथा कुछ भूतपूर्व प्रधानों का स्वर्गवास हो गया है और उनके उत्तराधिकारियों से चार्ज दिलाने में कठिनाई हो रही है । इन सभी मामलों में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

घोसी (आजमगढ़) में असना-सुल्तानपुर सड़क निर्माण

*57—श्री राम बिलास पांडेय—

क्या सरकार बतायेगी कि तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में ग्राम मानिकपुर असना से ग्राम सुल्तानपुर तक की पांच किलोमीटर लम्बी सड़क जिस पर सन् 1970 में पच्चीस फिट चौड़ी मिट्टी पड़ चुकी है अब तक इन्हें पक्की न करने और उन पर पुलिया न बनाने का क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मानिकपुर असना–सुल्तानपुर सड़क आवागमन हेतु चालू करने के लिये जिला परिषद् ने मिट्टी भराई कार्य करा दिया था। परिषद् की सीमित आय होने के कारण उसको पक्की तथा पुलिया न बना सकी।

*58—श्री हरीसिंह विष्ट—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होन के कारण निरस्त)

असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटी, मुरलीधर जाटव (मैनपुरी) के भ्रष्टाचार की शिकायत

*59—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मुरलीधर जाटव, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी मैनपुरी के विरुद्ध उनके बांदा व मैनपुरी के कार्यकाल से सम्बन्धित उन्हें व रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी, उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार की शिकायतें जिला सहकारी बैंक के संचालकों की ओर से प्राप्त हुई थीं? यदि हां, तो दोनों जिला की अलग-अलग शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई? क्या यह भी सही है कि श्री जाटव के विरुद्ध श्री ओ0 पी0 शर्मा डिप्टी रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटी आगरा ने सन् 1971 में जांच की थी और जांच के बाद उनकी तनजुली की सिफारिश की थी? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

रामपुर खरेहटा (गोंडा) के प्रधान के विरुद्ध गबन व भ्रष्टाचार की शिकायत

*60—श्री रामबिलास पांडेय—

क्या सरकार को ज्ञात है कि गांव सभा रामपुर खरेहटा, विकास खंड नवाबगंज, जिला गोंडा की स्थानीय जनता की ओर से प्रधान, रामपुर खरेहटा के विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार तथा पक्षपात की शिकायतें अक्तूबर, 1971 से मई, 1972 के बीच की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। जिला गोंडा विकास क्षेत्र, नवाबगंज की गांव सभा, रामपुर खरेहटा के प्रधान के विरुद्ध एक शिकायती पत्र दिनांक 13–5–1972 जिलाधिकारी गोंडा को जुलाई, 1972 में प्राप्त हुआ था। उसकी जांच तहसीलदार तरबगंज द्वारा की गई और जांच के उपरान्त परगना अधिकारी द्वारा प्रधान को निलम्बित कर दिया गया था और जांच की कार्यवाही चल रही थी इस बीच प्रधान ने उच्च न्यायालय से निलम्बन की कार्यवाही को स्थगित कराने के आदेश प्राप्त कर लिये है। फलतः सब कार्यवाही इस समय स्थगित कर दी गई है।

श्री लल्लू सिंह चौहान, संचालक जिला सहकारी बैंक, मैनपुरी की पदविमुक्ति

*61—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें जानकारी है कि श्री लल्लूसिंह चौहान समिति के सदस्य न होते हुये भी जिला सहकारी बैंक, मैनपुरी के संचालक पद पर बने हुये हैं? यदि हां, तो सरकार ने उनको पद से हटाये जाने हेतु क्या कार्यवाही की?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

श्री लल्लू सिंह चौहान को बैंक के संचालक मण्डल ने अपनी बैठक दिनांक 5–2–73 में पारित प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा संचालक पद से अलग कर दिया है।

बहरावती (आगरा) में पशु डिस्पेन्सरी की मांग

*62—श्री रघुनाथ सिंह (आगरा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला आगरा तहसील, किरावली के अन्तर्गत ग्राम बहरावती खास में पशु डिस्पेंसरी खोलने हेतु विकास समिति फतेहपुर सीकरी की सिफारिश पर वाह पशु चिकित्सक फतेहपुर सीकरी की रिपोर्ट दिनांक 17 सितम्बर, 1972 के आधार पर जिला पशु अधिकारी के यहां शीघ्र पशु डिस्पेंसरी खोलने हेतु उप निदेशक, पशु पालन विभाग, आगरा के माध्यम से सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम लखन—

शासन को ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

उप विकास आयुक्त (झांसी) कार्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति

*63—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उप विकास आयुक्त, झांसी के कार्यालय में आडिट पार्टी में जो कर्मचारी हैं वह अपने सेवाकाल के पूरे समय में झांसी में कब से नियुक्त हैं? एक ही कार्यालय में अधिक समय से नियुक्त कर्मचारियों के स्थानान्तरण के विषय में शासन का क्या नियम है और इस मामले में उसे लागू न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उप विकास आयुक्त कार्यालय झांसी की मण्डलीय लेखा पार्टी में एक मुख्यांकित तथा दो आंकित तैनात हैं। श्री बुद्धसिंह, मुख्यांकिक के पद पर दिनांक 30-12-72 से तथा श्री राम बहादुर शर्मा एवं श्री प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव आंकिकों के पद पर दिनांक 20-6-69 से एवं 17-5-72 से कार्यरत हैं। उपरोक्त तीनों कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल में उक्त तिथि से पूर्व उप विकास आयुक्त कार्यालय, झांसी की लेखा पार्टी में कभी भी तैनात नहीं रहे। मुख्यांकिक व आंकिकों के स्थानान्तरण के बारे में कोई अवधि निर्धारित नहीं है।

नगरपालिका (मुरादाबाद) को ऋण तथा अनुदान

*64—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, मुरादाबाद में वित्तीय वर्ष 1969-70 से वर्ष 1971-72 तक प्रत्येक वर्ष में किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अनुदान के रूप में दी गई?

*65—क्या स्वायत शासन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगरपालिका द्वारा प्रत्येक वर्ष उपरोक्त धनराशि का उसी मद में पूर्ण रूपेण उपयोग कर लिया गया या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जिला इलाहाबाद में टाउन एरिया के कर्मचारियों को वेतन में विलम्ब

*66—श्री राजित राम पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद की समस्त टाउन एरियाओं के अल्पभोगी कर्मचारियों को पिछले साल भर से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिये तुरन्त व्यवस्था करेगी ?

श्री बेनी सिंह—

इलाहाबाद जनपद के टाउन एरिया मऊआइमा में कर्मचारियों का वेतन अक्तूबर, 1972 तक का दे दिया गया है । टाउन एरिया, भारतगंज तथा भरवारी ने भी कर्मचारियों का वेतन, नवम्बर, 1972 तक का भुगतान कर दिया है । बाकी सभी टाउन एरियाओं ने दिसम्बर, 1972 तक का वेतन भुगतान कर दिया है । जिलाधिकारी, इलाहाबाद को आदेश दे दिये गये हैं कि टाउन एरियाज के कर्मचारियों का शेष वेतन तो शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करायें ।

इलाहाबाद के टाउन एरिया मऊआइमा के कर्मचारियों का वेतन

*67—श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहागाद, टाउन एरिया, मऊआइमा के कर्मचारियों का वेतन कितने माह से नहीं दिया गया है तथा क्यों ?

श्री बेनी सिंह—

जनपद इलाहाबाद टाउन एरिया, मऊआइमा के कर्मचारियों का वेतन अक्तूबर, 1972 तक का भुगतान कर दिया गया है और शेष वेतन शीघ्रतिशीघ्र भुगतान करने के लिए जिलाधिकारी, इलाहाबाद को आदेश दे दिये गये हैं ।

रजत जयन्ती में आदर्श ग्रामों की घोषणा

*68—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वतंत्रता रजत जन्यन्ती के सिलसिले में प्रदेश के प्रत्येक जिलों में कितने गांव को आदर्श गांव घोषित किया जायेगा और उन्हें क्या-क्या सुविधायें दी जायेंगी ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ समारोह के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिले के 875 विकास खंडों में एक-एक जयन्ती ग्राम का चयन किया जाना है । इन जयन्ती ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था, निर्बल वर्ग के लिए आवास व्यवस्था, स्कूल भवनों का पुनरोत्थान, भूमिहीनों को भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन, विद्युतीकरण, सिंचाई की व्यवस्था, लिंक रोडों का निर्माण तथा पंचायत उद्योगों की स्थापना आदि कार्यक्रम लिए गए हैं ।

*69—श्री राम नगीना मिश्र—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

भूमि विकास बैंकों की शाखाओं के प्रबन्धकों पर भ्रष्टाचार के आरोप

*70—श्री महराम सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक की शाखाओं के कुछ प्रबन्धकों (मैनेजर) को भ्रष्टाचार क आरोप में सन् 1971 और 1972 में निलम्बित

किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन लोग हैं और उनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप हैं तथा सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक एक स्वचालित संस्था है और अपने कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का उसका अपना दायित्व है। शासन का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

महानगर (लखनऊ) में कृषि विभाग का कार्यालय

*71—श्री बब्बन सिंह (जिला बलिया)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग ने अक्तूबर, 1972 से महानगर, लखनऊ में एक मकान 1,250 रु0 प्रति माह किराये पर ले रखा है और उसमें आज तक कोई कार्यालय नहीं खुला है? यदि हां, तो उस मकान का कुल कितना किराया बिना दफ्तर रहे मकान मालिक को दिया गया है और कार्यालय न खुलने के क्या कारण हैं?

श्री रामलखन—

जी हां, मकान अक्तूबर, 1972 से किराये पर लिया गया है और उसमें कार्यालय भी खुल चुका है। बिना दफ्तर खुले रु0 3,387.10 पै0 का किराया दिया गया। कुछ समय मकान खाली पड़े रहने का कारण स्वीकृत पदों पर नियुक्ति देरी से होना था।

कृषि निदेशालय में सहायक लेखाकारों का प्रश्न-पत्र

*72—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री बब्बन सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि निदेशालय में गत 24, 25 दिसम्बर, 1972 को ली गई सहायक लेखाकारों की परीक्षा का प्रश्न-पत्र पहले से ही मालूम हो गया था? यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी पर है और अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामलखन—

जी हां। दो कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया और जांच अभी जारी है।

*73—श्री प्यारेलाल शर्मा—

[5वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न 68 के अन्तर्गत उत्तरित।]

नगरपालिका प्रतापगढ़ द्वारा चन्द्र शेखर आजाद तथा सुभाष की मूर्ति को हटाना

*74—श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़), श्री उदयनाथ (जिला वाराणसी), श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर) तथा श्री शिवपाल सिंह (जिला उन्नाव)—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि नगरपालिका, प्रतापगढ़ के कई सदस्यों एवं जनता के घोर विरोध के बावजूद तथा राजाज्ञा 642-बी/111-ख—202-59, दिनांक मार्च 2, 1963 का उल्लंघन करते हुये स्वतंत्रता की रजत जयन्ती वर्ष में शहीद पार्क से चन्द्र शेखर आजाद एवं सुभाष पार्क से सुभाष की मूर्ति को हटा कर उन पार्कों में दुकानें बनाने हेतु नगर-पालिका, प्रतापगढ़ अपने निर्णय पर दृढ़ है? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री बेनी सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

तीरगांव घाट (बाराबंकी) में नाव व्यवस्था

*75—श्री महराम सिंह—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी में स्थित तीरगांव घाट पर दिनांक 1 अक्तूबर, 1972 से दिनांक 14 अक्तूबर, 1972 तक सर्वसाधारण हेतु उपलब्ध नाव की व्यवस्था क्यों बन्द रही जब कि चालू वर्ष के लिये घाट की नीलामी दिनांक 18 सितम्बर, 1972 को ही हो गई थी? उपरोक्त व्यवस्था के बन्द होने के कारण सर्वसाधारण को जो असुविधायें हुईं उसके लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार है और इस कठिनाई को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

बाराबंकी जिले में स्थित तीरगांव घाट के ठेके का नीलाम दिनांक 18 सितम्बर, 1972 को हुआ परन्तु ठेकेदार द्वारा जमानत की धनराशि जमा न किए जाने के कारण जिला परिषद् ने स्वयं 23 अक्तूबर, 1972 से घाट चलाने का प्रबन्ध किया।

सर्वसाधारण की हुई असुविधा के लिये ठेकेदार ही जिम्मेदार है जिनके विरुद्ध आवश्य कार्यवाही परिषद् द्वारा की जा रही है।

*76—श्री महराम सिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सर्वसाधारण से जो धनराशि नाव द्वारा माल तथा व्यक्तियों की उतराई के रूप में लिया जाता है उसकी उन्हें कोई रसीद दी जाती है? यदि हां, तो दिनांक 15 अक्तूबर, 1972 से अब तक कितनी रसीदें जारी की गईं और उससे कितनी धनराशि उपलब्धि हुई तथा इस व्यवस्था में रत कर्मचारियों, केवटों तथा नाव आदि के किराये में कितना व्यय हुआ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सर्वसाधारण से जो धनराशि माल तथा व्यक्तियों के उतराई के रूप में वसूल की जाती है उसके लिये रसीदें दी जाती हैं।

दिनांक 23 अक्तूबर, 1972 से 1 जनवरी, 1973 तक कुल 1,600 रसीदें जारी की गईं जिनसे 635.20 रुपये की आय हुई और परिषद् के कर्मचारियों, मल्लाहों तथा नाव के किराये पर कुल 638.72 रुपये व्यय हुए।

*77—श्री राम सिंह—

[निरस्त]

*78—श्री जयराम वर्मा—

(सातवें बुधवार के तारांकित प्र0 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

राजकीय कृषि फार्म, कल्लीपर (वाराणसी) का उद्यान

*79—श्री महावीरसिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—तथा श्री त्रिलोक चन्द—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कृषि फार्म, कल्लीपुर (वाराणसी) को राजकीय उद्यान बनाने के लिये लाखों रुपया व्यय किया गया परन्तु वह राजकीय उद्यान न बनकर कृषि फार्म ही रह गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री राम लखन—

वाराणसी मंडल में कोई उद्यान नहीं था इसलिये जून, 1971 में यह प्रयास किया गया कि कल्लीपुर फार्म पर शाक-भाजी के बीज और पौध पैदा करने के लिये मदर प्लांट्स

लगाये जायें । इस कार्य पर लगभग 17,200 रु0 व्यय हुआ परन्तु वहां शाकभाजी का बीज व पौध उगाना अधिक सहायक सिद्ध नहीं हुआ । अतः इसे रबी सन् 1972 में फिर उपरोक्त पौध और बीज के स्थान पर खाद्यान्न उत्पादन के लिये दे दिया गया ।

वाराणसी में उद्यान निरीक्षकों का सेवाकाल तथा स्थानान्तरण

*80—श्री महावीर सिंह चौहान तथा श्री त्रिलोक चन्द—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मंडल में वरिष्ठ उद्यान निरीक्षकों की सेवा अवधि क्या है ? क्या ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनका स्थानान्तरण जनहित में 10 वर्ष की सेवा अवधि पार कर जाने के फलस्वरूप हुआ परन्तु बार-बार रोक दिया गया है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम लखन—

वाराणसी मंडल में कार्य करने वाले 8 वरिष्ठ उद्यान निरीक्षकों में से एक वर्ष 1956 से, एक वर्ष 1968 से एक वर्ष 1970 से,तीनवर्ष 1971 से तथा दो वर्ष 1972 से कार्य कर रहे हैं । इनमें से कोई वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक ऐसा नहीं है जिसको वाराणसी मंडल के किसी एक जिले में 10 वर्ष से अधिक समय हो गया हो । एक वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक का प्रथम बार 8 वर्ष बाद तथा दूसरी बार 9 वर्ष बाद स्थानान्तरण किया गया था परन्तु मानवता एवं जनहित के आधार पर दोनों बार रोक दिया गया ।

अतारांकित प्रश्न

जिला कानपुर के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कें

1—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर) तथा श्री रामकुमार दीक्षित—

क्या पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत छोटी-छोटी ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिये शासन की ओर से करीब 14 लाख रुपया दिया गया था और कानपुर जिला परिषद् परामर्शदात्री समिति की बैठक 20—6—72 को सर्वसम्मति से 21कि0मी0 छोटी-छोटी सड़कें बनाये जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था जिसकी पुष्टि 1-7-1972 की बैठक में की जा चुकी है ? यदि हां, तो यह सड़कें कौन-कौन सी हैं और उनकी-अलग अलग लम्बाई क्या है और इनके निर्माण कराये जाने का कार्य कब शुरू किया जायगा और कब तक बनकर तैयार हो जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां । विवरण संलग्न है । प्रस्तावित सड़कें सम्पर्क मार्गों के रूप में बनाये जाने के योग्य नहीं थी । प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 550 पर)

जिला मुरादाबाद में मत्स्य पालन हेतु तालाब

2—श्री जितेन्द्रपाल सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बतायेंगे कि मछली विभाग, मुरादाबाद द्वारा इस वर्ष कितने नये तालाब बनवाये गये और कहां-कहां पर ? क्या गंगेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र में भी कोई तालाब मछली पालने हेतु बनवाया गया ? यदि नहीं, तो क्या बनवाने का विचार है ?

श्री राम लखन—

मत्स्य विभाग द्वारा वर्ष 1972–73 में मुरादाबाद जनपद में कोई भी नया तालाब नहीं बनवाया गया ।

गंगेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी तालाब विभाग द्वारा नहीं बनवाया गया और न उस क्षेत्र में ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत तालाब बनवाने का विचार हो ।

सहकारी बैंक, मुरादाबाद में कथित गबन

3—श्री जितेन्द्रपाल सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मुरादाबाद में दिनांक 5 अक्तूबर, 1972 को 27 हजार 2 सौ रुपयों का गबन हुआ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट पुलिस में क्यों नहीं लिखाई गई जबकि बैंक में विभागीय अधिकारी सचिव के पद पर कार्यरत हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां। चूंकि उक्त रकम क संदिग्ध भुगतान को संबंधित खातेदारों ने स्वीकार कर लिया है। अतः बैंक के सचिव की इस मामले को पुलिस में देने से संबंधित रिपोर्ट बैंक के संचालक मंडल के विचाराधीन है ।

4—श्री सूबेदार प्रसाद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जिला परिषद्, मिर्जापुर द्वारा वैद्यों का वेतन भुगतान

5—श्री सबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि महामहिम राज्यपाल के चार—आदेश दिनांक 31 दिसम्बर, 1969, 14 मई, 1970, 22 फरवरी, 1971 और 29 जून, 1972 के देने पर जिला परिषद्, मिर्जापुर ने वैद्यों का वेतन भुगतान किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

1 अगस्त, 1972 से वेतन दिया जा रहा है। पिछले बकाया के भुगतान के लिये आयुक्त वाराणसी मंडल को आदेश दे दिये गये हैं ।

जिला परिषद्, मैनपुरी के मुन्शियों का हंगाई भत्ता

6—श्री बिहारीलाल (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री महराम सिंह—

क्या सामुदायिक विकास एवं पंचायत राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, मनपुरी के पौड़ मुंशी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष द्वारा मैनपुरी परिषद् में काम करने वाले वाड़ा मुंशियों को जी0ओ0 नं0 3613 के अनुसार महंगाई भत्ता न मिलने संबंधी कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 3 अप्रल, 1972 व 16 अगस्त, 1972 को मिले हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, महंगाई भत्ते के भुगतान संबंधी आदेश आयुक्त, आगरा मंडल को भेज दिये गये हैं ।

चमोली में सहायक विकास अधिकारियों का वेतन

7—श्री शेरसिंह बानू—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के किन-किन विकास क्षेत्रों में कितने सहकारी निरीक्षक ग्रुप 2 के सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं ? और अभी तक कितने ऐसे सहायक विकास अधिकारियों का वेतन निर्धारण नहीं हो पाया है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

8—श्री मोतीलाल यादव—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

गोरखपुर के पंचायत सेवकों का वेतन

9—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या पंचायती राज मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में लगभग आधे दर्जन पंचायत सेवकों को वेतन माह अप्रैल एवं मई, 1972 का नहीं मिला है ? यदि हां, तो इनकी ओर से कितनी बार अपने वेतन के विषय में अपने विभागीय अधिकारियों को पत्र दिये तथा अब तक वेतन दिलाने के विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। ऐसे 6 पंचायत सेवक हैं जिनमें केवल एक पंचायत सेवक (श्री श्याम बली यादव) ने अपने वेतन के लिये 3 प्रार्थना-पत्र दिये थे। प्रत्येक पंचायत सेवक के मामले से संबंधित सूचना संलग्नक में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 551 पर ।)

भूमि संरक्षण विभाग (मिर्जापुर) के अधिकारी

10—श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री राम निहोर राय—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण विभाग, राबर्ट्सगंज तथा विन्ढमगंज (मिर्जापुर) के अन्तर्गत कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनको रहते हुये 3 वर्ष से ऊपर हो गये हैं और उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है तथा क्यों ?

श्री राम लखन—

भूमि संरक्षण अनुभागमें राबर्टसगंज तथा विन्ढमगंज (मिर्जापुर) के अन्तर्गत कोई भी अधिकारी तीन वर्ष से ऊपर कार्यरत नहीं है ।

राजगढ़ (मिर्जापुर) में कथित शुष्क कृषि योजनायें

11—श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री राम निहोर राय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मिर्जापुर जिले के राजगढ़ क्षेत्र में शुष्क कृषि योजना अन्तर्गत कितने प्रकार की योजनायें चल रही हैं तथा प्रारम्भ से 15 दिसम्बर, 1972 तक उन पर अलग-अलग कितना धन व्यय किया गया ?

श्री राम लखन—

(1) मिर्जापुर जनपद के राजगढ़ क्षेत्र में कोई शुष्क खेती परियोजना नहीं चल रही है अतः इस योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र में कोई धन व्यय करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(2) हां, सन् 1972 में इस क्षेत्र के कुछ गांवों के 2074 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में यूरिया का पर्णीय छिड़काव अवश्य किया गया था जिस पर लगभग 23864 रुपये व्यय हुआ था। हालांकि यह क्षेत्र शुष्क कृषि की परियोजना के अन्तर्गत नहीं आता था परन्तु सूखे की स्थिति को देखते हुये भारत सरकार ने योजना क्षेत्र के बाहर ही सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये यूरिया का पर्णीय छिड़काव करने की स्वीकृति दे दी थी।

जिला मिर्जापुर के पंचायत सेवकों का स्थानान्तरण तथा वेतन

12—श्री राम निहोर राय—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के कितने पंचायत सेवकों को स्थानान्तरण मई, 1972 से दिसम्बर, 1972 तक किया गया और कितने पंचायत सेवकों का स्थानान्तरित समय का वेतन व मार्ग व्यय दिया गया और कितनों को नहीं दिया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला मिर्जापुर में 28 पंचायत सेवकों को 1 मई, 1972 से 31 दिसम्बर, 1972 तक स्थानान्तरित किया गया 25 पंचायत सेवकों को स्थानान्तरित समय का वेतन नियमित रूप से दिया गया है। 3 पंचायत सेवकों को वेतन का भुगतान नहीं दिया गया है। वेतन न दिये जाने का कारण यह है कि उक्त 3 पंचायत सेवकों में से 1 पंचायत सेवक निलम्बित है। दूसरे पंचायत सेवक स्थानान्तरित क्षेत्र में योगदान करने के पश्चात से ही अवकाश पर चल रहे हैं तथा तीसरे पंचायत सेवक स्थानान्तरित समय से ही अवकाश पर हैं। किसी भी स्थानान्तरित पंचायत सेवक ने अपना यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत नहीं किया है। अतः उनको मार्ग व्यय नहीं दिया गया है।

रायबरेली के विकास खंडों में त्वरित योजनान्तर्गत सड़कें

13—श्री शिव प्रसाद पाण्डेया (जिला रायबरेली)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रायबरेली के विकास खंड सलोन व ऊंचाहार में किन-किन सड़कों को त्वरित योजना के अन्तर्गत लिया गया है ? उनकी लम्बाई क्या है और उनम कितना धन व्यय होगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वांछित सूचना इस प्रकार है—

नाम विकास खंड	सड़क का नाम	लम्बाई	होने वाला व्यय
1—सलोन	सलोन-रसूलपुर सड़क	10.4 कि0 मी0	4.762 लाख रु0
2—ऊंचाहार	ऊंचाहार-खरौली	7 किलोमीटर	3.21 लाख रु0

जिला एटा के तकावी अमीन

14—श्री बदन सिंह यादव (जिला एटा) तथा श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा के अन्तर्गत कितने तकावी अमीन ऐसे हैं जो 5 साल से बराबर एक ही विकास क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

श्री राम लखन—

एटा जिले में केवल एक तकावी अमीन 5 वर्ष से बराबर एक ही विकास क्षेत्र में कार्य कर रहा था क्योंकि उसके विरुद्ध किसी भी स्तर से कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई थी तथा उसकी वसूली निर्धारित लक्ष्य से अधिक थी। इस तकावी अमीन का अब स्थानान्तरण कर दिया गया है।

संकीट (एटा) में गेहूं का बीज तथा खाद वितरण

15—श्री बदन सिंह यादव तथा श्री राम प्रसाद देशमुख—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र, संकीट, जिला एटा के अन्तर्गत रबी की फसल में गेहूं का बीज 30 अक्तूबर से पहले कितना दिया गया और 30 अक्तूबर के बाद कितना दिया गया और इसके साथ खाद किस मात्रा में दी गई ? और कौन सी खाद दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन—

विकास क्षेत्र, संकीट जिला एटा के अन्तर्गत रबी की फसल में गेहूं 30 अक्तूबर से पहले 160.20 कुन्तल दिया गया तथा 30 अक्तूबर के बाद 5 कुन्तल गेहूं का बीज दिया गया और इसके साथ विभिन्न संस्थाओं द्वारा उर्वरक का वितरण तत्वों के रूप में निम्न प्रकार मैट्रिक टनों में है:—

उर्वरक का वितरण		नैत्रजनिक	फास्फेटिक	पोटैशिक
30-10-72 तक	..	18	13	12
31-10-72 से	..			
31-1-73 तक	..	492	300	198
कुल वितरण	..	510	313	210

ग्राम सभा पटिहन (खीरी) में पंचायत-कर का कथित बकाया तथा वसूली

16—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा पटिहन, विकास क्षेत्र, पलिया कलां, जिला खीरी के निवासियों पर वर्ष 1961 से वर्ष 1972 तक कुल कितना पंचायत-कर लगाया गया और कितना वसूल हुआ कितना बाकी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

चूंकि गांवसभा पटिहन के पुराने प्रधान ने नये प्रधान को अपने कार्यकाल के कागज-पत्र नहीं दिये हैं। अतः वांछित सूचना देना संभव नहीं है। पुराने प्रधान से चार्ज लेने की कार्यवाही की जा रही है।

टाउन एरिया, किठौर (मेरठ) में नाले का निर्माण

17—श्री मंजूर अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का 31 मार्च, 1972 का पत्र टाउन एरिया, किठौर (मेरठ) आबादी का पानी निकालने के हेतु नाला बनाने के लिये प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक किन कारणों से नाला नहीं बनाया जा सका ?

श्री बेनी सिंह—

जी हां। नगर क्षेत्र समिति किठौर के पास धन न होने के कारण नाला अभी तक नहीं बनाया जा सका।

तहसील तरबगंज गोन्डा में कथित हैन्ड पाइप

18—श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ) तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा के अन्तर्गत तहसील तरबगंज, मौजा कचनापुर, परगना बारिच के किन-किन ग्रामों के कितने -कितने हैन्ड पाइप लगवाये गये हैं और उनकी कुल मौजावार संख्या क्या है? यदि नहीं, तो इस कार्य को अब तक क्यों नहीं पूरा किया गया है और अब कब तक उपरोक्त कार्य को पूरा कर दिया जायगा?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इस जनपद के तहसील तरबगंज के मौजा कचनापुर परगना बारिच के ग्रामों में हैन्ड पाइप लगवाने की कोई योजना नहीं है। अतः उक्त कार्य के होने अथवा पूरा कराने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

जिला सीतापुर में सड़कों का निर्माण

19—श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्ता तथा श्री कृष्णकान्त अवस्थी—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि त्वरित योजना द्वारा सीतापुर जिले को सिधौली तथा बिसवां तहसील में जिन सड़कों पर मिट्टी का कार्य हो गया था अभी तक पुलियों तथा सड़क पक्की होने का कार्य समाप्त न होने का क्या कारण है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला सीतापुर की त्वरित योजना के अन्तर्गत सड़क परियोजनाओं का निर्माण 31, मार्च 1974 तक पूरा करने के आदेश हैं। कंकड़ कुटाई का कार्य जारी है। 9 पुलिया बन चुकी है, सोलिंग तथा अन्य 8 पुलियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

20—श्री त्रिवेणी सहाय—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

बी0 डी0 ओ0 सुधौली, बस्ती के विरुद्ध शिकायत

21—श्री सुखपाल पान्डे तथा श्री राम करन सिंह—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 19 जून, 1971 से सितम्बर, 1972 के मध्य बी0 डी0 ओ0, वि0 क्षे0, सुधौली जिला बस्ती के विरुद्ध जिलाधिकारी तथा जिला नियोजन अधिकारी, बस्ती तथा विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा अन्य उच्च अधिकारियों को कब-कब शिकायत प्राप्त हुई है और संबंधित आरोपों पर 30 सितम्बर, 1972 तक क्या क्या कार्यवाही की गई है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 552 पर)

श्री राजनारायण की गिरफ्तारी तथा रिहाई के संबंध में की गयी जांच के बारे में सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब म श्री राजनारायण की गिरफ्तारी क सिलसिले में बताना चाहता हूं। (व्यवधान) मंन मुख्य मंत्री जी से कहा था कि आप इसकी जांच करें। उन्होंने कहा था कि छूट गय वह। आम शिकायत यह थी कि वह छूटे नहीं थे। अब उसका उत्तर उन्होंने डिटेल में इंक्वायरी करके दिया है, वह सुनाना चाहता हूं।

"दिनांक 17 जनवरी, 1973 को विधान सभा में श्री राजनारायण की रिहाई के संबंध में जो प्रश्नोत्तर हुए थे उनके अनुसार मैंने जांच करवाई कि शासन के आदेशों के बावजूद श्री राजनारायण किन परिस्थितियों में दिनांक 17 जनवरी, 1973 तक रिहा नहीं हो सके। जांच में निम्नलिखित तथ्य जानकारी में आये।

श्री राजनारायण दिनांक 9 जनवरी, 1973 को भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये थे। दिनांक 11 जनवरी, 1973 को उनकी ओर से जमानत की दरख्वास्त अतिरिक्त जिला मेजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जिस पर रुपये 1,000 की दो जमानत और इतनी ही रकम का एक मुचलका दाखिल होने पर श्री राजनारायण को रिहा करने के आदेश दिये गये। जमानत नामें उसी दिन दाखिल हो गये और तदनुसार रिहाई के आदेश जेल को भेजे गये किन्तु रिहाई के आदेश के साथ जो मुचलका भेजा गया था उस पर श्री राज नारायण ने हस्ताक्षर नहीं किये थे। अतएव वे उस दिन रिहा नहीं किये जा सके। उसी दिन अर्थात् 11 जनवरी, 1973 को विशेष सचिव गृह ने अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट मिर्जापुर को फोन पर यह आदेश दिये थे कि श्री राज नारायण को तुरन्त रिहा करने की व्यवस्था की जाय। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट ने गृह सचिव को सूचित किया कि उन्होंने श्री राज नारायण के रिहाई के आदेश जारी कर दिये हैं और वे जेल से छूट कर जाने वाले हैं। संभवतः अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने यह समझा कि श्री राज नारायण की रिहाई के लिये जो आदेश उन्होंने दिये थे जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है उनके अनुसार वे उस समय छूट गये होंगे। उसके उपरान्त दिनांक 17 जनवरी, 1973 को जब तक यह बात नोटिस में आई कि श्री राजनारायण अभी मुक्त नहीं हुए हैं तो शासन द्वारा इस आशय के पुनः आदेश भेजे गये कि श्री राज नारायण को तुरन्त रिहा कर दिया जाय। यह भी आदेश दिये गये कि उनके विरुद्ध दायर मुकदमा भी वापस ले लिया जाय। किन्तु इसी बीच उसी दिन सेशन न्यायालय द्वारा श्री राज नारायण व्यक्तिगत प्रतिभूति पर रिहा कर दिये गये थे। शासन के आदेशों को देखते हुए उनके विरुद्ध दायर मुकदमें की कार्यवाही को भी बाद में समाप्त कर दिया गया।

जांच से यह बात सामने आई कि जब दिनांक 11 जनवरी, 1973 को श्री राजनारायण रिहा नहीं हो सके तो उसकी सूचना शासन को तुरन्त नहीं दी गई और इस प्रकार शासन ने श्री राज नारायण की रिहाई के आदेश दिये थे उनका अनुपालन सही रीति से नहीं किया गया अतएव संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निणय लिया गया है।"

म ने सूचना दे दी आपको।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मेरा प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न है। आज मैंने नत्थी "घ" में प्रश्न संख्या 11 के द्वारा यह पूछा था कि ये जो तीन गबन के मामले हैं डेढ़ लाख के उनका उत्तरदायी

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]
कौन है और उस मामले को क्यों अभी तक पुलिस के सुपुर्द नहीं किया गया और जांच तक भी शुरू नहीं की गयी है। तो कृपया मुझे नियम 49 में आज्ञा दे दें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास तो आया नहीं ।

श्री सुरेंद्र विक्रम---

मैं भेज दूंगा लिखकर ।

विधान सभा दर्शक दीर्घा प्रवेश-पत्रों के संबंध में शिकायत

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, गैलरी पासेज के बारे में एक बात कहनी है । आपने जो नयी व्यवस्था की है इससे बड़ी दिक्कत यह हो रही है कि जब हमसे पासेज के फार्म लेकर लोग जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि सेक्रेटेरियट में प्रवेश करने के फार्म अलग से लाइये। सेक्रेटेरियट में प्रवेश करने के लिये अलग से पास बनवाने जायें फिर विधान सभा का पास बने और सेक्रेटेरियट के पास के लिये कहा जाता है कि 3 बजे आप आ सकेंगे । तो जब 3 बजे आयेंगे तो विधान सभा का पास कैसे बनेगा । मेरी समझ में नहीं आता कि जो पहले से पद्धति चली आ रही थी दारुलशफा में पास बनने की उसको क्यों बन्द कर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष---

यह तो सब नेताओं ने तय किया था ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

उसके अनुसार यह बात नहीं हो सकती कि जिसको हम पास दें वह बाहर खड़ा रहे । आपकी प्रक्रिया में कहीं गलती है ।

श्री अध्यक्ष---

तो आप मेरे कमरे में इसे डिसकस कर लें मुझसे क्योंकि यहां मेरे पास सामग्री तो है नहीं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

अब 13 मार्च, 1973 से 10 मई, 1973 तक के लिये शासन द्वारा प्रस्तावित तथा सदन की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1973 की बैठक में अनुमोदित कार्यक्रम नत्थी 'ङ' में दिया गया है । वह आप सबको मिल चुका है । तो उसके ऊपर कोई प्रस्ताव आप उपस्थित करते हैं ।

(प्रस्ताव के लिये देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 558 पर)

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है यह स्वीकार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि यह सब स्वीकृत है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मुझे आपत्ति है ।

श्री अध्यक्ष--

अगर आपको आपत्ति है तो पुनर्विचार के लिये भेजना पड़ेगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

वही तो मैं कह रहा हूं । जो विशेषाधिकार का मैंने दिया था तो सदन में आपने घोषणा की थी कि चूंकि गैर सरकारी विधेयक विधान सभा के रिपोर्टर्स के बारे में आ गया है वह 26 मार्च को पेश होगा । लेकिन जो यह कार्यक्रम है उसके अनुसार यह कहीं आयेगा ही नहीं जबकि आपकी घोषणा थी कि 26 मार्च को वह पेश होगा । तो आपकी घोषणा का पालन होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कि मीटिंग में यह तय हुआ कि 26 मार्च को नहीं बैठेंगे लिहाजा उस वक्त वह कट गया । आज हमने असरार अहमद साहब से बातचीत करके यह तय किया है कि किसी दूसरे रोज....

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

10 मई के बाद सदन नहीं बैठेगा । तो नतीजा यह होगा कि किसी दिन भी वह विधयक नहीं आयेगा।

श्री अध्यक्ष--

इन्हीं दिनों में होगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

आप आश्वासन देते हैं कि मेरा गैर सरकारी विधेयक इसी सत्र में होगा

श्री अध्यक्ष--

इसी सत्र में और इन्हीं दिनों में 10 मई के अन्दर ही । कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक कराकर यह तय कर लेंगे ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

श्रीमन्, 7,8,9,10,11 अप्रैल को छुट्टियां हैं और 12 और 13 को सदन की बैठक है । 14,15,16 फिर छुट्टियां हैं । 13 को बैसाखी है । पश्चिम साइड में बैसाखी का त्योहार बहुत बड़ा माना जाता है । पिछली दफा भी हमने कह कर उस दिन छुट्टी करवायी थी । इसलिये मेरा निवेदन है कि 12 और 13 को भी छुट्टी की जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से पिछले साल भी प्रार्थना की थी और आज भी करता हूं कि जो पूर्व या लखनऊ में बैठे हुए उनको शायद नहीं मालूम कि हरिद्वार में बैसाखी बहुत बड़ा पर्व होता है और सारी वेस्टर्न यू0पी0 वहां इकट्ठी होती है । तो जब आप डेढ़ महीने का लेखानुदान स्वीकार कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष--

तो आप यह सूचना भेज दीजिये मेरे पास । अगले हफ्ते में फिर कार्य-मंत्रणा समिति की मीटिंग बुलाऊंगा ।

[श्री अध्यक्ष]

इस पर विचार कर लेंगे, अभी गुंजायश थोड़ी सी है । 15 तारीख तक यानी डेढ़ माह का वोट आन अकाउन्ट मांगा है । तो इस पर विचार कर लेंगे । लेकिन सर्व सम्मति से ही हो सकेगा।

मैं समझता हूं अब कार्य-मंत्रणा समिति का प्रस्ताव जो एजेंडे की नत्थी 'ङ' पर है स्वीकार किया जाय ।

(किसी सदस्य ने आपत्ति नहीं की)

गाजीपुर के ग्राम रेवतीपुर में प्रमुख के चुनाव के उपरान्त विभिन्न दलों में संघर्ष से असंतोष और भय के वातावरण के संबंध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राधाकृष्ण गोस्वामी)—

अन्य जिलों की भांति गाजीपुर जिले में भी क्षेत्र विकास समितियों के प्रमुख एवं उप प्रमुख पदों के चुनाव दिनांक 2-3-73 को सम्पन्न कराये गये । शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के विचार से पूरे जिले में दिनांक 1-3-73 से 5-3-73 तक के लिये धारा 144 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी करके किसी प्रकार के हथियार व लाठी आदि लेकर बाहर निकलने, बिना पूर्व अनुमति के सार्वजनिक सभा करने तथा जलूस निकालने आदि पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था ।

ग्राम रेवतीपुर थाना गहमर के पोलिंग स्टेशन पर तथा शेष ग्राम में थानाध्यक्ष गहमर के अतिरिक्त एक सब-इंसपेक्टर एक हेड कान्सटेबिल, 12 कान्सटेबिल तथा एक सेक्शन पी0ए0सी0 की ड्यूटी लगाई गई थी । परगनाधिकारी जमानिया को रेवतीपुर में ही शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये नियुक्त किया गया था । जिलाधिकारी गाजीपुर भी इस मतदान केंद्र पर कुछ समय के लिये करीब 2.30 बजे दिन में गये थे ।

दिन में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा । अपरान्ह 4 बजे मतदान समाप्त होने के पश्चात् चुनाव का नतीजा 5.10 बजे घोषित किया गया । ब्लाक प्रमुख पद के लिये श्री नागेन्द्र नाथ राय विजयी घोषित हुए और उनके मुकाबले में श्री साहेब सिंह एक वोट से हार गये ।

चुनाव का नतीजा सुनने के लिये दोनों पार्टी के लोग ब्लाक भवन के सामने एकत्रित हो गये थे । चुनाव का नतीजा सुनकर दोनों पक्षों के लोगों पर भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया हुई और कुछ गाली-गलौज हुआ । मतदान केन्द्र पर नियुक्त मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस अधिकारियों ने ब्लाक भवन के सामने तथा करीब से दोनों पक्षों के लोगों को हटा दिया जिससे कोई अप्रिय घटना न घटे ।

लगभग सायं 5.45 बजे पश्चिम की ओर से गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ी । पुलिस के अधिकारी तथा कर्मचारीगण उस तरफ दौड़ पड़े । पुलिस अधिकारियों ने जाकर देखा कि ब्लाक भवन से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 125 गज की दूरी पर 10 व्यक्तियों को बन्दूक के फायर से चोट लगी है जिनमें एक एल0आई0यू0 का सब-इंसपेक्टर भी था, जो उस समय वहां ड्यूटी पर तैनात था । पुलिस एवं उपस्थिति मजिस्ट्रेटों द्वारा सभी घायलों को एक बस तथा दो जीपों द्वारा पुलिस के साथ सदर अस्पताल, गाजीपुर भेज दिया गया । पुलिस ने जीप द्वारा अभियुक्तों का पीछा भी किया जो एक जीप तथा मोटर-साइकिल से भागे थे । भीड़ के कारण पुलिस को जीप निकाल कर दौड़ाने में कुछ बिलम्ब हुआ । पीछा करने पर कोई अभियुक्त पकड़ा नहीं जा सका किन्तु उनकी मोटर साइकिल जो वे बीच में छोड़कर चले गए थे, ग्राम रेवतीपुर और ग्राम डेढ़ गावां के बीच पीछा करते समय पुलिस को सड़क पर पड़ी मिली ।

श्री रामेशवर राय ने इस घटना की लिखित रिपोर्ट उसी दिन घटनास्थल पर थाना-ध्यक्ष गहमर को दे दी, जिस पर थाना गहमर में एक मुकदमा अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/188 भा0दं0वि0 एवं धारा 25/27 असलहा ऐक्ट कायम किया गया। श्री नरेन्द्र नाथ राय को गाजीपुर अस्पताल सेउसी रात उपचार हेतु वाराणसी भेजा गया था जहां रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। यह सूचना प्राप्त होन पर उपरोक्त मुकदमें में धारा 302 भा0दं0वि0 का अपराध भी जोड़ दिया गया।

घटना की सूचना प्राप्त होने पर उसी दिन सन्ध्या समय जिला मजिस्ट्रेट तथा स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक घायलों को देखने के लिये अस्पताल गए और दो घायलों को बनारस भेजने की व्यवस्था की। तदुपरान्त घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस एवं पेट्रोलिंग का प्रबन्ध करने और शांति व सुरक्षा बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश देकर वे स्वयं घटनास्थल पर गये।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में 8 अभियुक्तों को नामांकित किया गया है। अभियुक्तों की गिरक्तारी के लिये कई बार दविश दी गई। एक अभियुक्त ने 6-3-73 को न्यायालय में आत्म-समर्पण किया। शेष अभियुक्तों की सम्पत्ति धारा 87/88 जाप्ता फौजदारी के अन्तर्गत कुर्क कर ली गई है। दो अन्य अभियुक्तों ने दिनांक 10-3-73 को न्यायालय में आत्म-समर्पण किया।

दोनों पक्षों के ऐसे 68 व्यक्तियों के विरुद्ध जिनसे शांति भंग होने की आशंका है धारा 107/117 जाप्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। दोनों पार्टियों से संबंधित 9 व्यक्तियों के बन्दूक के लाइसेंस भी निलम्बित कर दिये गये हैं।

इस मुकदमें की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को दिये जाने के लिए शासन द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं। मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस ने परिस्थितियों के अनुसार सतर्कता से काम लिया और उचित कार्यवाही की। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि फायर करने वाले लोग बिल्कुल अप्रत्याशित ढंग से आये और किसी भी पक्ष द्वारा हथियार लाने और फायर करने का पहले से कोई अन्देशा नहीं था। किसी विधायक को इस घटना में चोट आने की सूचना नहीं है। सामान्य जनता में कोई विशेष आतंक अथवा भय की भावना नहीं है। स्थिति सामान्य है।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं जब वहां पर दफा 144 लगी थी और रिपोर्ट से भी साबित है कि चुनाव परिणाम मालूम होने के बाद गाली-गलौज परस्पर हुआ और फिर आखिर में गोली चली और उसमें एक लड़का मारा गया, कि क्या यह पुलिस की लापरवाही नहीं रही? क्या यह सत्य नहीं है कि वहां पर दो विधायकों के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे और उन विधायकों के प्रभाव के कारण पुलिस अपने कर्त्तव्य का पूरी तरह से पालन नहीं कर सकी?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, माननीय सदस्य स्वयं एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं, उनको मालूम होना चाहिये कि चुनाव के समय दोनों पार्टियों के लोगों, उनके समर्थकों का इकट्ठा होना और बठना 144 का उल्लंघन नहीं है। वे सब लोग अपने अपने कैम्पों में बैठे थे और चुनाव परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब चुनाव परिणाम घोषित हुआ तो एक दूसरे की जय-जयकार करने लगे और फिर एक दूसरे पर गाली की बौछार हुई। उसको सुनकर तत्काल सबको वहां से हटाया गया और ब्लाक कम्पाउन्ड से बाहर वे चले गये और बाहर जाने के बाद पश्चिम

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

दिशा से गोली की आवाज सुनाई दी । वहां पर भी एक की ड्यूटी लगी हुई थी । उन किसी के पास हथियार नहीं था । अचानक कुछ लोग आये और उन्होंने गोली चलाई तो इसमें पुलिस की असतर्कता और लापरवाही का प्रश्न कहां है ?

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

जो आठ आदमी नामजद रिपोर्ट में किये गये हैं, उनके नाम और पते क्या सरकार बताने की कृपा करेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

वे इस प्रकार हैं—सर्वश्री इनाम वारिश खां, कस्बा बमनियां, थाना बमनियां, बृज नारायण सिंह पुत्र, हजारी सिंह, साकिन गौहदा, थाना दि० नगर, रामअवध सिंह पुत्र राज नारायण राय, साकिन बवाड़े, दि० नगर, साहिब सिंह, पुत्र मुक्खी सिंह, साकिन मैदनीपुर, श्री विशुनसिंह पुत्र मुक्खीसिंह, साकिन मैदनीपुर, दि० नगर, सिंहासन सिंह, पुत्र तिलेश्वरसिंह, साकिन गौहदा, दि० नगर, रामसूरत यादव, साकिन कालूपुर, दि० नगर, राम अवतार सिंह साकिन कालूपुर, दि० नगर ।

श्री बंशीधर पांडेय—

क्या उनको यह जानकारी है कि ये जो 8 व्यक्ति नामजद हुए हैं, इस में से केवल 2–3 ने सरेंडर किया है और बाकी जिन्होंने नहीं सरेंडर किया है, उनके विषय में क्या पुलिस पर दबाव पड़ा है जिसके कारण वे भगा दिये गये हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, दफा 87 व 88 की कार्यवाही हो गयी । उनका सामान कुर्क हो गया । गिरफ्तारी की कार्यवाही की जा रही है । हाजिर नहीं होते हैं तो गिरफ्तार किया जायगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह जिनकी गाजीपुर अस्पताल में जाकर मृत्यु हो गयी, नगेन्द्र राय की, क्या इनका पोस्टमार्टम करवाया गया, और क्या पोस्टमार्टम में मौत का कारण गोली लगना है और यदि है तो क्या गोली की जांच करायी कि किस बन्दूक से चली है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

काज आफ डेथ इज कोमा रेजल्टिंग फ्राम हेड इंजरी । उसके आधार पर हर चीज की जांच करवायी ही जायगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं जानना चाहता था कि अगर गोली से मौत हुई है तो क्या उस गोली की जांच करायी गयी कि वह किस बन्दूक से चली है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इसमें "circular gun shot wound of entry 0·5 cm. X0·5 cm. X brain deep on the left side of forehead 1 cm. above the inner and of left eyebrow margine inverted" है । यह गोली उसमें उपलब्ध नहीं हुई । लेकिन फिर भी गोली से उनकी मृत्यु हुई है । यह पोस्टमार्टम में है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

फिर तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया । अगर गोली उपलब्ध नहीं हुई तो उनके शरीर के अन्दर गोली गयी है या फिर गोली छिपाई गयी है, फिर जानकारी होगी कैसे कि किस बन्दूक से चली है ? इसलिए विशेषकर जानकारी करायेंगे कि गोली किसके बन्दूक से चली है और अगर गायब हो गयी तो यह किसने गायब की है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जांच तो हो रही है । हर चीज की जांच करायी जायगी । डिटेल से जांच करायी जायगी ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जिन सज्जन की मृत्यु हो गयी, उनको जानबूझ कर गोली का निशाना बनाया गया या अनजान में उन्हें चोट लगी थी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

यह तो मारने वाले को जानकारी है । किसी को क्या जानकारी हो सकती है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

माननीय मंत्री ने बताया कि ब्लाक से घटनास्थल नजदीक ही है, क्या वह स्पष्ट करेंगे कि ब्लाक से कितने फासले पर फायरिंग हुई और जिस समय फायरिंग हुई उस समय पुलिस का दफा 144 में प्रबन्ध था ? इतने असलहा जिस जगह पर एकत्र थे जहां से यह फायरिंग हुई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जहां पर यह फायरिंग हुई 125 गज के लगभग दूरी पर थी । किसी के पास कोई असलहा नहीं था । अचानक कोई जीप से आया जिस पर कुछ असलहा वाले थे जिन्होंने कांड किया और चले गये ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

जो असलहा लेकर आये उनके लाइसेंस रद्द किये गये या नहीं और दूसरे जो जब पुलिस को पता चला कि चुनाव घोषणा के बाद झगड़ा हो गया तो पुलिस ने जाकर उनको अलग-अलग गांवों में क्यों नहीं भेज दिया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

आमतौर से एलेक्शन होते हैं । सभी एलेक्शनों के रेजल्ट अनाउंस होता है । जीतने वाला उत्साह से मनाता है और हारने वाला निराश होता है । यह स्वाभाविक है । दोनों अपने-अपने ग्रुपों की तरफ, कैम्पों की तरफ चले गये । पुलिस और एल0आई0 यूनिट के तथा अन्य इन्सपेक्टर उधर चले गये । अचानक जीप से कुछ लोग आये और गोली चला कर चले गये ।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, इस घटना के सम्बन्ध में जो वक्तव्य यहां पर मंत्री जी ने दिया है उसको यदि आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जायेगा कि वहां के अधिकारियों, मजिस्ट्रेट और पुलिस को पहले से ही यह मालूम था कि वहां पर इस तरह की घटना हो सकती है । क्या माननीय मंत्री जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

यह जानने की कोशिश करेंगे कि जब वहां पर लोगों को पहले सूचना थी क्योंकि वहां पर पहले से ही थानाध्यक्ष, 12 कांस्टेबुल और एल0आई0यू0 के लोग थे, और कहा-सुनी भी वहां पर हुई तो तुरन्त ही 160 की कार्यवाही न करके उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जिससे कि घटना बच सकती थी ? इसका मतलब यह है कि वहां पर राजनीतिक दबाव जरूर काम कर रहा था जिससे कि कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्या इस ओर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे ? इससे तो आपकी पुलिस और एल0 आई0 यूनिट का निकम्मापन साबित होता है कि वहां पर लोगों के पास फायर मौजूद होते हुए कोई जानकारी नहीं कर पाये। ऐसा जानबूझकर किया गया है।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मान्यवर, जायसवाल जी ने तो बहस कर दी। जैसे कि अदालत में बहस की जाती है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसकी जांच सी0आई0 डी0 करती है और उसे इसकी जांच के आदेश दे दिये गये हैं कि इस संबंध में रिपोर्ट जल्दी वह दे। घटना अवश्य दुखद हुई है। यह हम मानते हैं कि पुलिस और पी0ए0सी0 की मौजूदगी में कैसे कोई गोली मार कर निकल गये। इसकी जांच हो रही है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जायेगी।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या एफ0आई0आर0 में यह दर्ज नहीं है कि किसने फायरिंग की और किसलिये की है और क्या वह आदमी जिसने फायरिंग की है, वहां पर मौजूद नहीं था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, जिन्होंने गोली चलाई वे वहां पर नहीं थे। जीप से वे आये थे और जीप में असलहा थे, इसलिये उनका उस स्थान पर मौजूद रहने का प्रश्न नहीं है।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)--

जिस जीप से वे लोग आये थे उसका क्या नम्बर था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जीप का नम्बर नहीं देखा जा सका। एक मोटर साइकिल का नम्बर प्राप्त हो गया है और मोटर साइकिल भी पूरी की पूरी प्राप्त हो गई है।

श्री शफीक अहमद खां--

यह मालूम करना चाहता हूं कि उसका नम्बर किसी ने नहीं देखा ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो उन्होंने बता दिया।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि मोटर साइकिल का नम्बर प्राप्त हो गया है, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि उसका नम्बर क्या है और उसके मालिक का क्या नाम है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह जो घटना हुई है उसके संबंध में रिपोर्ट सी0आई0डी0 से मिलगी। प्रश्न के उत्तर के लिये जो सूचना मांगी गई थी वह आपके सामने पढ़क

सुना दी गई । यदि इस प्रकार जिरह की जाय तो सभी प्रश्नों का जवाब इस वक्त नहीं दिया जा सकता है । यह घटना जरूर हुई है और उसकी इन्क्वायरी करने के आदेश सी0 आई0डी0 को दे दिये गये हैं । उसकी रिपोर्ट आने के बाद तफसील से पता लग जायेगा ।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)---

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि मोटर साइकिल जो पकड़ी हुई है क्या उसके मालिक की जानकारी भी आपको है ? क्या उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, अभी इसकी सूचना नहीं है । यह निश्चित है कि जिसकी मोटर साइकिल है उसका किसी न किसी प्रकार से घटना से संबंध है । किसी को छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता है ।

कार्य-स्थगन के प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

अब मैं कार्य-स्थगन के प्रस्ताव लेता हूं ।

आज मेरे पास नियम 56 के अन्तर्गत 6 प्रस्तावों की सूचना आयी है लेकिन कोई प्रस्ताव मैंने कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार नहीं किया है ।

एक श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री मोहन लाल कपूर, श्री हिम्मत सिंह, श्री हरिनाथ तिवारी, श्री शंकर प्रसाद जायसवाल और श्री रामगोपाल संड का है, "काशी विश्वविद्यालय में शांति और व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त गम्भीर ।"

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, कल एक घटना के संबंध में मैंने आपको नियम 52 के अन्तर्गत दिया था लेकिन उसको आपने नहीं माना और उस पर चर्चा नहीं हुई और यह दूसरी घटना घटित हो गयी है । कल काशी विश्वविद्यालय के 6 हजार विद्यार्थियों का जुलूस जा रहा था जिस पर बड़ी निर्ममता और बेरहमी से पी0ए0सी0 ने प्रहार किया जिससे 76 आदमी खून से लथपथ हो गये जो गिरफ्तार किये गये और 7 व्यक्ति जो गिरफ्तार नहीं किये गये वे भी खून से लथपथ हो गये । वहां के छात्रावास में तालाबन्दी है जिससे वहां के विद्यार्थी भोजन तक नहीं पाये और 6 हजार विद्यार्थी छात्रावास को छोड़कर शहर में सोये थे । इसका कारण यह है कि वहां के उप कुलपति केवल पुलिस के आधार पर नियंत्रण कर रहे हैं। वहां के मैजिस्ट्रेट और मुख्य मंत्री तक की वे परवाह नहीं करते । क्योंकि वे समझते हैं कि उनका सीधा संबंध मुख्य मंत्री से न होकर प्रधान मंत्री से है और उनके खिलाफ प्रधान मंत्री से उनकी चुगली कर देंगे ।

जिला मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वहां की पी0ए0सी0 ने एक विधायक तक को ढेले मारे । आज वहां की ऐसी परिस्थिति है कि बिलकुल तनाव की स्थिति है और जनता में असंतोष है । एक तरफ विश्वविद्यालय के एक क्षेत्र में तो पुलिस द्वारा लाठी चार्ज हो रहा था और दूसरी तरफ वहां के जिलाधीश व अन्य अधिकारी हिन्दू गर्ल्स स्कूल में नाच-गान देखने में व्यस्त थे । एक तरफ खून की नदी बह रही थी और इसके लिये उप कुलपति और जिला मैजिस्ट्रेट की तरफ से असामाजिक तत्वों को छूट सी मिली हुई है कि वे खुले आम रिवाल्वर व अन्य हथियार लेकर घूमें फिरें। मालूम होता है कि वहां के जिला मजिस्ट्रेट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

और मुख्य मंत्री भी उपकुलपति से इसलिये दबे हुए हैं कि कहीं वह प्रधान मंत्री से चुगली न कर दें । मान्यवर, यह बहुत ही महत्व का प्रश्न है । इसके लिये आप यह न जवाब दे दें कि बजट के सिलसिले में इस पर बहस हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, मैं फैसला दे रहा हूं । आपने इस प्रश्न को उठाया है और माननीय पांडेय जी ने भी ऐसा दिया था, तो उसको मैंने नियम 52 में स्वीकार किया है । इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी से बातचीत करके कोई दिन फिक्स कर लीजिये, उस दिन उस पर चर्चा हो जायेगी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैंने कल एक घटना के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट किया था लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और दूसरी घटना घट गयी जिससे वहां खून की नदी बही और इसकी वजह से जनता में घोर असंतोष है । इससे बढ़ कर महत्व का प्रश्न और क्या हो सकता है कि जिसमें 14 हजार विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित बातें हैं । अगर इसको आप मंजूर नहीं करेंगे तो फिर किस को करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसको मैं कामरोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इसमें राजनीतिक दांवपेंच की बातें हो रही हैं । वहां का उप-कुलपति मुख्य मंत्री तक की परवाह नहीं करता और जिला मैजिस्ट्रेट खुला नंगा नाच कर रहा है । इससे बढ़ कर महत्व का प्रश्न और क्या हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

इसको मैं नियम 52 के अन्तर्गत स्वीकार किया है और मुख्य मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही करें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इसने महत्वपूर्ण प्रश्न को आप स्वीकार नहीं करते हैं, इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष—

एक श्री शम्भूनाथ चौधरी व श्री त्रिलोक चन्द का है "राज्य सरकार द्वारा बिजली की कटौती किये जाने के संबंध में 12-3-73 को जनता द्वारा लखनऊ व कानपुर बन्द का आह्वान ।"

इसको मैंने स्वीकार नहीं किया है।

एक श्री नित्यानन्द स्वामी का है "प्रदेश के ग्राम सेवकों द्वारा अपनी मांगों क संबंध में लखनऊ में प्रदर्शन।"

इसको मैंने नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकार किया है ।

एक सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम बंशीधर पांडेय, राम बिलास पांडेय और अमरनाथ दुबे का है "राज्य के पी0 एस0 एस0 एवं मेडिकल कालेज के डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाने से प्रदेश में विषम परिस्थिति" ।

इसको मैंने नियम 51 के अन्तर्गत देने का आदेश दिया है।

एक श्री बांकेलाल का है "देवरिया जनपद में रबी की फसल तथा गन्ना में पैरिल्ला कीड़ा लगने से जनता में हाहाकार।"

इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बाद में आया हूं। (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष--

वक्तव्य के लिये आपका स्वीकार किया है। कामरोको में नहीं आ सकता है।

श्री पारस नाथ सिंह (जिला देहरादून)--

मान्यवर, बहराइच का कलेक्टरेट जल गया है। कल मैंने इसकी सूचना भी दी (व्यवधान)...

श्री बांके लाल--

सरकार खामोश बैठी है। इसलिये मेरा कहना है कि दो घंटे के लिये इस पर बहस सुन ली जाय। (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष--

एक माननीय बंशीधर पांडेय, राम बिलास पांडेय तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम का प्रस्ताव इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अभूतपूर्व घटना वकीलों की सामूहिक घटना के सम्बन्ध में है, इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

श्री पारस नाथ सिंह--

वहां अराजकता बढ़ जायेगी। (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष--

वक्तव्य में आयेगा।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1973†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन), विधेयक, 1973 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह अधिनियम, 1970 में पारित हुआ था। इसके द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को जिला परिषद् के अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य का अधिकार दिया गया था। 22 मार्च, 1973 को इसकी तीन साल की अवधि पूरी होने वाली है और इस बीच में जिला परिषदों का गठन नहीं हो सका है। इस लिये यह प्रस्ताव है कि इसकी 6 महीने की अवधि बढ़ा दी जाय ताकि इनका गठन हो सके।

---

†8 मार्च, 1973 की कार्यवाही में छपा है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1973 को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह में दे तथा जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो ।

श्रीमन्, यह बात सही है कि अभी तक जिला परिषदों का गठन नही हो सका है और गठन न होने का कारण यह सरकार स्वयं है ।

श्री अध्यक्ष—

आप इसमें शामिल होना चाहते हैं ?

*श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जी नहीं, हम तो समय कम करना चाहते हैं और इन का जल्दी गठन कराना चाहते हैं । इस समस्या पर विचार करने के लिये सरकार ने एक समिति का गठन किया था और श्री जगनप्रसाद रावत उसके चेयरमैन थे । इसका गठन इसलिये किया गया था कि क्षेत्र समिति तथा जिला परिषदों और पंचायतों का गठन कैसे किया जाय । इसके बाद सरकार ने कोशिश नहीं की कि यह समिति अपनी रिपोर्ट जल्दी दे और जो इस सदन के माननीय सदस्यों की आकांक्षा है, जो इस प्रदेश की जनता की आकांक्षा है कि स्वायत्त शासन संस्थाओं का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर किया जाय । जहां भी जनतंत्र पद्धति है वहां यह व्यवस्था रखी गई है । हमने सोचा यह था और आप जो समिति गठन किये हैं उसके आधार पर कार्य करें लेकिन हमें ऐसा लगता है कि समिति जिस उद्देश्य से बनी थी वह उसके लिये है नही । साफ है कि जिन लोगों को सरकार मंत्री परिषद् में जगह नहीं दे सकी उनको खुश करने के लिये इसे गठित कर दिया गया है, कहीं सिंचाई आयोग का चेयरमैन शर्मा जी को और कहीं किसी को बना दिया गया । जो उद्देश्य है वह तो आप की निगाह में है ही नहीं । यदि ऐसा होता तो 6 मास हो गये आज भी आप ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि चुनाव के समय आयोग की रिपोर्ट आ जायेगी और आप उसके अनुसार निर्वाचन करा सकेंगे ।

हमने संशोधन इसीलिये दिया है कि साढ़े तीन वर्ष के स्थान पर सवा तीन वर्ष कर दिया जाय । हमारी मंशा इससे यह है कि आप की जो कमेटी है मान लें कि पंचायत राज चुनाव करा लिये लेकिन क्षेत्र समितियों के जो चनाव हुये हैं उसकी अप्रत्यक्ष प्रणाली है । सारी कठिनाइयों को मंत्री जी जानते हैं । सब से ज्यादा हरिजन और पिछड़ी जातियों के सभापति मुर्गा बनाये गये हैं, दो तीन केन्द्रों पर हमारा विश्वास अब भी है कि ऐसा हुआ है और हमें यहां कहना पड़ता है । बलिया क ही बात नहीं है हर जिले में सभापतियों की खरीद होती है । हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग डर जाते हैं किन्हीं का से बल से या धन की प्रभुसत्ता से । बड़ ोग जो ब्लाक प्रमुख के चुन।ा में खड़े होते हैं वह उनको जबरदस्ती एक सप्ताह दो सप्ताह पहले बलिया में नहीं बहुत जगह पर पकड़ कर जानवरों की तरह घरों में बन्द कर ते हैं और उनकी सत्ता का हनन कर के जबरदस्ती उनसे वोट अपने लिये दिलाते हैं । ऐसा क्यों होता है ? क्योंकि सभापतियों को ब्लाक प्रमुख चुनने का अधिकार दिया गया है ।

यह इसलिये भी हो रहा है कि अगर आपके ब्लाक प्रमुख जिला परिषदों के सदस्य न रह और ऐसी व्यवस्था हो जाय और जो राजनैतिक तिकड़म जिला परिषद की चयरमनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के लिये होती है उसके कारण से यह सब होता है। इस तरह से राजनीति के अखाड़े यह आप के ब्लाक बन जाते हैं और जब ब्लाक बन जाते हैं तो नतीजा यह होता है कि हर प्रकार की जबरदस्ती और सारी जनतांत्रिक परम्पराओं की उपेक्षा कर के कोशिश की जाती है और हथकंडे किये जाते हैं। इसका नतीजा जनतंत्र के लिये घातक हो रहा है और स्वच्छ जीवन पैदा नहीं हो रहा है। मैंने एक बार मंडल के चुनाव के समय कहा था कि निश्चित रूप से आप की कमेटी रिपोर्ट नहीं देगी, आप इस को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें और वह अपनी पूरी रिपोर्ट दे दे तथा जिला परिषदों का जो गठन कराया जा रहा है उसमें यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के हथकंडे न हों तो आप प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करा दें।

मान लीजिये, एक विकास खंड है उसको 2 क्षेत्रों में बांट दें और फिर बालिग मताधिकार के आधार पर उसमें चुनाव करायें। हरिजनों का प्रतिनिधित्व भी बहुत जरूरी है। आज हरिजनों का जो चुनाव होता है, मैंने देखा है कि वे ही व्यक्ति चुनकर आते हैं, जो बड़े-बड़े लोगों के चापलूस होते हैं, नौकर होते हैं, और उन बड़े बड़े लोगों के चरवाहे होते हैं। उनको इसलिये भेजा जाता है ताकि वे बड़े-बड़े लोगों, महन्तों की इच्छानुसार कार्य करें। जो हरिजन स्वविवेकी हैं, अपने विवेक से कार्य करने वाले हैं, ऐसे लोगों की संख्या न्यून होती है, वे प्रायः आते नहीं हैं। मेरे विचार में जो जिला परिषद् बने वह सारे लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करें। हमें याद है कि अंग्रेजों के जमाने में जब चेयरमैन का चुनाव होता था, भले ही उसे वोट देने का कुछ ही लोगों को अधिकार प्रत्यक्ष होता था। जिला परिषद् के सदस्यों का तो होता ही था। चेयरमैन का तो नहीं क्योंकि यह बहुत बड़ा काम हो जायगा लेकिन सदस्यों का निर्वाचन बालिग मताधिकार के आधार पर कराया जाय और हरिजनों का जो कोटा है उसके आधार पर कराया जा सकता है। इससे जिला परिषदें जनता की आकांक्षाओं के लिये सही उपयोगी सिद्ध होंगी। इसलिये मैंने आपसे यह प्रार्थना की है। ब्लाक प्रमुख क्षेत्रीय समिति के विकास की प्रगति को देखें।

जिला परिषद क्षेत्र समिति के ऊपर होता है, उनके कार्य को देखता है। अगर वह सदस्य हो जाता है तो जिला परिषद एक प्रकार से परेशानी में पड़ जाता है। जिसने विकास में लाखों रुपये का गबन किया है वह ही चेयनमैन रहता है तो क्या होगा। मंत्री जी महसूस करेंगे कि कुर्सी का लोभ बड़ा भारी होता है। जैसे गांधी जी कहते थे कि सिद्धान्त के पीछे कुर्सी का लोभ छोड़ना होगा आज ठीक उसके विरुद्ध काम हो रहा है। आज कुर्सी का लालच बहुत बढ़ता जा रहा है। जो कमेटी बनाई गई है, उसमें अगर हमारे ऐसे लोगों के सुपुर्द कर दें, तो एक महीने में हम लोग जनतांत्रिक ढांचा खड़ा कर दें क्षेत्र समिति और जिला परिषद् का। इनके साढ़े तीन महीने की मन्शा क्या है? कभी-कभी, श्रीमन्, यह चर्चा चलती है कि यह सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। पहले 7/8 जनवरी, फिर 16 जनवरी, फिर फरवरी, इस चुनाव की तारीखें टालते रहे। माननीय मंत्री जी ब्लाक के गठन की तारीखें बार-बार बढ़ाते चले गये। कहा यह जाता था कि त्योहार पड़ गया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप उनकी तिथि तय करने बैठते थे, तो कौन त्योहार बीच में पड़ रहा है, क्या यह बात आप के दिमाग में नहीं रहती। जब तारीख नजदीक आ जाती है, तभी त्योहार देखते हैं? तो यह, मान्यवर, उसकी परिस्थिति है। 6 महीने मार्च में खत्म हुये। फिर अप्रैल, मई, जून, बरसात में चुनाव होंगे नहीं। जून के इधर अगर चुनाव करा लिया, तब तो गठन हो जायेगा, लेकिन जून के बाद गठन होने वाला नहीं है। जून के बाद बरसात आ जायेगी। फिर तो जनवरी-फरवरी में तूफान आने वाला है, उसमें इनकी सारी पोल खुलने वाली है।

साढ़े तीन महीने इसीलिये लिया है कि सभी लोग चुनाव के अखाड़े में उतरेंगे और जिलाधिकारी के माध्यम से सारी राजनीति जिला परिषद में करेंगे, वोट हासिल करेंगे।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

हम यह संशोधन करने को मजबूर थे । जून तक का ही इनको मौका दिया जाय और जून के भीतर हो जाय । सितम्बर के बाद करना चाहें, तो ठीक नहीं होगा । बरसात में फिर इनका बाढ़ और सूखा आ जायेगा। एक लेख निकाला है, मान्यवर, 'फारच्यून' नामक अखबार में कि आगे और विपत्ति आने वाली है । राजनैतिक संकट और आर्थिक संकट भी होंगे । ये सारी प्रक्रिया सामने आ रही है । उस संकट की आड़ में जिला परिषद् को ये चाट जायेंगे । इसलिये यह संशोधन दिया है कि साढ़े तीन की जगह सवा तीन किया जाय । अगर सवा कर दें तो हम प्रस्ताव वापस ले लेंगे । इन शब्दों के साथ इस विधेयक का मैं विरोध करता हूं ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं बहुत थोड़े शब्दों में अपने विचार रखूंगा । मान्यवर, पिछले लगभग 12 14 वर्षों का अगर इतिहास इस कांग्रेस सरकार का देखें तो यही देखने में आया है कि इन्होंने अपनी सुविधा की पूर्ति के अनुसार, चाहे जिला परिषद् का चुनाव हो, या नगरपालिका का चुनाव हो बराबर उसको टाला है । समय पर चुनाव नहीं करा पाये । कौन सा विचार इनके मस्तिक में सर्वोपरि है कि जिनके आधार पर ये इस सम्बन्ध में निर्णय करते हैं कि कब चुनाव करायें ? य हमेशा यही देखते हैं कि कौन-सा वसर है जो इनके लिये उपयुक्त है। कौन-सी परिस्थितियां ऐसी हैं, जिनमें इनका उल्लू सीधा होगा । कहीं पर, मान्यवर, ये चूक जाते थे और कहीं पर सफल हो जाते थे । उसी आधार पर आज इन्होंने उसे टाला है । यह जो जिला परिषद् का चुनाव है, कभी समय पर हुआ नहीं । मैं समझता हूं 12 वर्ष से कम नहीं होगा । आज भी इसको टालते ही जा रहे हैं । हमारे मंत्री महोदय कह सकते हैं कि इधर एक डेढ़ महीने आपने कहा तो टाल दिया । बात बिल्कुल सही है ।

इस अवसर पर भी उन्होंने अपनी अवसरवादिता का परिचय दिया । 11 वर्ष तक तो वह चुनाव टालते आये और इन्होंने इस मौके पर चुनाव रखा, जब हमारा अधिवेशन था। वह यह जानते थे कि हम कहेंगे ही कि इसको टाल दो, तो इन्होंने टाल दिया । यही नहीं मान्यवर, एक तो वह मौका था दूसरा मौका मोहर्रम का था और तीसरा मौका शिवरात्रि का था जब यह चुनाव टाला गया । और अब जो चुनाव करा रहे हैं वह अपनी सुविधा से अपने हित में करा रहे हैं ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मैं यह कहना चाहता हूं कि इतनी जल्दी कृतज्ञता को न छोड़ दें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं कृतज्ञता नहीं छोड़ता । मैं तो माननीय मंत्री जी और आर्या साहब का हृदय से कृतज्ञ हूं कि जिन्होंने जनसंघ की गर्दन रेतने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं रेत पाये । लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि छः महीने पहले जो हमने यह घोषणा कर दी थी कि हमारा अखिल भारतीय अधिवेशन 9-10 को होने जा रहा है तो कौन सा ऐसा आवश्यक काम था कि उसी दिन रख दिया । अन्त में आपका 11 वर्ष का पाप धोने के लिये जनसंघ वालों को कहना पड़ा क्योंकि वह मजबूर थे । उतनी कृपा के लिये हम आपके कृतज्ञ हैं ।

मान्यवर दूसरा पहलू यह है कि चूंकि अगर यह क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम ठीक से बनाया गया होता तो हमें कुछ कहने का मौका नहीं मिलता और जब यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अवसर आया है तो इस पर एक- डेढ़ महीने का समय दे दिया जाय और बड़ी अच्छाई से, गहराई से विचार कर लिया जाय और विचार करने के बाद यह विधेयक के शक्ल में सामने आवे ताकि हम उस पर अच्छे-अच्छे सुझाव दे सकें। इस अवसर पर चूंकि क्षेत्र समिति से संबंधित है, एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत बी0 एल0 डब्लू0 काम करते हैं। 10 हजार की संख्या में वह प्रदर्शन करने जा रहे हैं और आपको उनकी मांग का औचित्य देखना चाहिये। उनकी दो मांगें हैं---एक तो यह है कि उनके तरक्की के रास्ते खोल दिये जाने चाहिये, उनके वेतनमान बढ़ा दिये जाने चाहिये और दूसरी मांग यह है कि उनका भी एक डाइरेक्ट्रट होना चाहिये। भिन्न-भिन्न विभागों से लोग आते हैं और तरक्की होने पर वह अपने विभाग में चले जाते हैं। अगर कुछ अच्छा काम होता है तो उनको श्रेय मिल जाता है और अगर कोई डिसक्रेडिट वाली बात है तो वह ग्राम सेवक को होती है।

आपका ग्राम सेवक गांव का आधार बनने जा रहा है--चाहे कोआपरेटिव हो, चाहे खाद का वितरण हो, चाहे हरित क्रांति में अन्य चीजों का विकास हो, कहने का मतलब यह है कि साधारण जीवन से सम्बन्धित जो बातें हैं वह ग्राम सेवक से सम्बन्धित हैं। वह बड़े शान्तिपूर्ण ढंग से बिला आपको चुनौती दिये हुये, आपनी मांग रखते हैं तो उन पर विचार किया जाना चाहिये। चूंकि यह बात क्षेत्र समिति से सम्बन्धित है इसलिये यह बात मैंने आपसे कही। हालांकि वह मुझ से मिले नहीं हैं, लेकिन अखबारों में पढ़ा है कि वह बहुत भारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं चौधरी साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(इस समय 12 बजकर 58 मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)---

मान्यवर, इधर के सदस्यों को भी अवसर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

मिलेगा।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, अवधि बढ़ाने से सम्बन्धित जो संशोधन पेश किया गया है, इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि इन्ही की पार्टी थी जब जिला परिषद् का विघटन किया गया। जो जनतंत्रीय इकाइयां होती हैं अगर उनको चुनाव के द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो वह बहुत सही बात होती है और अगर ऐसा नहीं हो, तो यह खराब बात होती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब भारत में पंचायतराज का इन्ट्रोडक्शन हुआ था और पहले पहले पंचायती राज की स्थापना की बात का निर्णय लिया गया था, उस समय बलवन्त राय कमेटी बनी हुई थी।

उसके बाद संथानम कमेटी बनी। इस कमेटी ने पंचायतराज की संस्थाओं के रिसोर्सेज के सम्बन्ध में अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। बलवन्त राय मेहता कमेटी जब बनी तब प्रधान मंत्री पं0 जवाहर लाल नहरू थे और उनकी पंचायती राज में बहुत दिलचस्पी थी। उस कमेटी के आधार पर पंचायती राज की स्थापना हुई और यह सोचा गया कि पंचायती राज का जो थ्री टायर सिस्टम होगा--गांव पंचायत, क्षेत्रीय समिति और जिला परिषद् यह सेल्फ गवर्निंग बाडीज होंगी।

डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स में भी यह है कि पंचायतों को स्टेट आगनाइज करेगी और उनके थ्रू कार्यक्रम चलेगा। लेकिन इनके राज्य में पंचायती राज का विघटन ही नहीं हुआ बल्कि उसका गला घोंट दिया गया। आपको याद होगा, आप मंत्री थे और उस जमाने में पं0 कमलापति त्रिपाठी जो मुख्य मंत्री हैं तब फाइनेन्स मिनिस्टर थे। उस समय यह तय हुआ

[श्री बंशीधर पाण्डेय---]

था कि ब्लाक के नीचे जितने भी विकास के कार्यक्रम होंगे वह ब्लाक की एजेन्सी के थ्रू होंगे और सारा बजट वहां ट्रांसफर कर दिया जायगा । अभी माधो बाबू ने ग्राम सेवक की बात लेकर कहा । उस समय भी एनीमल हसबैन्डरी के, पंचायत के, कोआपरेटिव, फारेस्ट के, ए0 डी0 ओ0 हार्टीकल्चर के बैठते थे। अलग अलग विभाग के लोग अपने डिपार्टमेन्ट पर डायरेक्ट कंट्रोल करते थे । उस जमाने में मना किया गया और कहा गया कि बी0 डी0 ओ0 नुकलियस होगा और वह ब्लाक समिति का चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से काम करेगा और इसी तरह से तीनों टायर्स की कल्पना की गयी थी । गांव पंचायत, क्षेत्र समिति इन दोनों से पब्लिक रिप्रेजेन्टेशन की नहर चली । गांव पंचायत का क्षेत्र समिति में रिप्रेजेन्टेशन हुआ और क्षेत्र समिति के बाद इन्होंने गर्दन काटकर, जहां कि सोचने की और चैनेलाइज करने की शक्ति है, आई0 ए0 एस0 के हाथ में दे दी। क्या यही सोचा गया था कि जनता की भावना गांव पंचायत में और गांव पंचायत की भावना क्षेत्र समिति में और क्षेत्र समिति की भावना आई0 ए0 एस0 के दिमाग में ।

मैं आपसे कहता हूं कि यह इतना बड़ा काला धब्बा है कि आपने जिला परिषदों का गला घोंट दिया इसलिये कि वहां आपकी मेजारिटी नहीं है । सन् 63 में चुनाव हुये । पांच साल हो गये थे और फिर आपने टाइम बढ़ा दिया लेकिन उस बीच में भी आप चुनाव नहीं करा सके और आपने सरकारी कर्मचारियों के हवाले कर दिया । इसका मतलब है कि सरकार का जनतांत्रिक पद्धति में विश्वास नहीं था नहीं तो जिला परिषद का चुनाव कराते जिला परिषद् ही नहीं अगर हमारा बहुमत हो जाय तो आप हमें यहां भी मौका नहीं देंगे और राष्ट्रपति की मोहर लगवा देंगे और एसेम्बली तोड़ देंगे । उड़ीसा में क्या हुआ । वहां भी आपने बहुमत का आदर नहीं किया । अगर आप बहुमत का आदर नहीं करेंगे तो मैं आपसे कहता हूं कि इस देश में कमोशन और क्रेओस होगा ।

श्री बलदेव सिंह आर्य---

यह एसेम्बली है, पार्लियामेंट नहीं है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

आल इंडिया पंचायत परिषद् की स्थापना आचार्य जय प्रकाश नारायण जी की अध्यक्षता में हुई थी । मैंने भी उसकी कई मीटिंग्स एटेंड की थीं । जब गुप्ता जी मुख्य मंत्री थे तब हाई कोर्ट से स्टे होने के बावजूद आर्डिनेन्स निकाल कर जिला परिषद् का चुनाव तीन महीने के अन्दर करवा दिया था । आपने क्यों नहीं कराये । आपकी मंशा ही नहीं है । मैं आपको और भी बताता हूं कि आप 6 महीने का जो बढ़ा रहे हैं तो आप अपने अन्तर विद्रोह में अभी से फंस गये हैं । अब 100 विधायक लिख रहे है कि त्रिपाठी सरकार मस्ट गो । ये 100 जो विधायक ह यह बयान दे रहे हैं कि this ministry must go क्यों जाय ? इनके दिल में यह भावना मौजूद है और ये जानते हैं कि ये 150 विधायक बलि के बकरे हैं । मान्यवर, यह बलि के बकरों की जमात बैठी हुई है ?

चरे हरित त्रण बलि पशु जैसे ।

अपनी बलि बेदी पर जाने से पहले वे लालच में फंसे हुए हैं जैसे कि बलि का बकरा हरी घास को खोने के लालच में फंसा रहता है। राज मंगल जी पाण्डेय बैठे हैं। वे बर्दाश्त नहीं कर सके और कटवादी अपनी बिरादरी को । मैं आपसे कहता हूं कि पंचायती राज की क्या कल्पना थी और आज क्या है ? 5 टायर सरकार की कल्पना थी---गांव सभा, क्षेत्र समिति, जिला परिषद्, स्टेट गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट । इनके आश्वासन पर भरोसा नहीं रह गया है । ये नहीं चाहते कि जिला परिषद में अध्यक्ष बिठाया जाय क्योंकि हर जगह गबन हो गये हैं । ये 6 महीना लिख रहे हैं । मैं आपको बता देता हूं

इस हाउस में कि ये अपने टिकट के चक्कर में फंसे हैं । ये 100 विधायक ही नहीं बल्कि 150 आयेंगे । जिनके टिकट कटने लगेंगे वे आन्दोलन करके यहां से ले कर दिल्ली के हरे लान तक चक्कर लगायेंगे ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

विधायक तो इधर के परेशान हैं लेकिन तकलीफ आपको क्यों हो रही है ।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

मुझे आप पर बहुत दया आती है—बहुत दया आती है । आप पर इतनी दया आती है कि दया भी लज्जित हो जाती है । क्यों बुलवाते हो पुराने इतिहास को जब माननीय जय राम वर्मा की बगल में बैठ कर वकालत किया करते थे ? ये 6 महीने के लिये टालने की कोशिश करेंगे ।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि ये सितम्बर में चुनाव नहीं करा पायेंगे । सितम्बर में तो ये अपने अन्तरविरोध में फंस जायेंगे । उस समय एसेम्बली भी नहीं रहेगी । ये आर्डिनेन्स पास कर देंगे कि अब ये चुनाव सन् 1974 के बाद में होंगे । यह बात इस सरकार के दिमाग में है । यह बात इनके दिमाग में है कि कहीं 25—30 विरोधी चेयरमैन चुनकर आ गये तो काठ की गाडी के आगे घोड़ा होगा । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब विधायकों ने आपको लिख कर दिया है कि इन आई0 ए0 एस0 आफिसरों को हटाइये फिर आप क्यों नहीं हटा रहे हैं ? क्या कलेक्टर सब मरजों की दवा है ? सिर में चक्कर आये या पैर में दर्द हो जाये तो एस्प्रो खा लो । उसी तरह से कलेक्टर को समझ रखा है । एक-एक दिन में कलेक्टर को 18—20 मीटिंग एटेन्ड करनी होती है । कहीं वह खाद्य समिति का अध्यक्ष है, कहीं चकबन्दी समिति का अध्यक्ष है और कहीं जिला परिषद् का अध्यक्ष है । ला ऐन्ड आर्डर का अध्यक्ष अलग से है । वह कितनी बाडीज की अध्यक्षता करेगा ।

आज इस सरकार की निन्दा इस प्रदेश की जनता में हो रही है । यह सरकार कठपुतली सरकार है । आई0 ए0 एस0 आफिसरों के खिलाफ जब पहली बार अभियन्ताओं की हडताल हुई है तब आपको मालूम हुआ है कि ये आई0 ए0 एस0 आफिसर तो बैठे—बैठे यहां से दिल्ली तक मामला फिट किये रहते हैं ।

उनका प्रमोशन टाइम बाउन्ड प्रोग्राम में होता है । टाइम स्केल ऊपर से करा लेते हैं । स्वराज्य के बाद पंचायत राज में बड़े अच्छे कर्मचारी आये थे । मैं कुछ को जानता हूं बड़े अच्छे कार्यकर्ता थे । यह विभाग आजादी के बाद खोला गया तो इसमें आ गये और कांग्रेस पृष्ठ भूमि में कार्य करना चाहते थे । इनकी विभाग में दुर्दशा है । जो सरकारी कर्मचारी आई0 सी0 एस0 और आई0 ए0 एस0 ब्रिटिश को दंडवत करते थे और यहां के नेताओं के खिलाफ विदेशों में प्रचार करते थे, उनको इनके ऊपर रख दिया गया । श्री गिरजा शंकर बाजपेयी ने श्री जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित के खिलाफ सेनफ्रांसिसकों की कांफ्रेंस में अंग्रेजों की कठपुतली होकर प्रचार किया था और देश के आजादी के इतिहास को दबाया था । क्या आप समझते हैं कि यह लोग ओवरनाइट बदल गये हैं । क्या यह कलेक्टर कांग्रेस को जीवन प्रदान करेगा । यह तो मन्दोदरी रानी है । कोई भी राजा रहे वह रानी ही रहेगी । तो मैं कहता हूं कि जयचन्द और मीर जाफर वाली बात आप कर रहे हैं । इतिहास से सबक नहीं लेते हैं । यह लोग राजनीति में रहे होते तो अधिक नहीं तो इससे कम स्थान पर नहीं रहते ।

पिछली सरकार ने बी0 एल0 डब्लू0 और बी0 डी0 ओ0 के सारे कार्य को मिलाकर डिपार्टमेंटल प्रमोशन रक्खा था । इन्होंने उसको खारिज कर दिया । इनके सामने

[श्री बंशीधर पाण्डेय—]

कलेक्टर है और कोई दूसरा अधिकारी दिखलाई नहीं पड़ता है । जिला परिषद् से शिक्षा को ले लिया है और बेसिक एजूकेशन बना दिया है । वह सती का शरीर हो गया है । महादेव जी जब सती मर गई और उसको ले गये तो कहीं तो उस की गर्दन गिरी और कहीं पैर गिरे । इसी प्रकार से शिक्षा विभाग को तीन भागों में कर दिया है । उच्च, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा । जो अधिकार जिला परिषद् के थे उनको भी छीन लिया । हम लोगों ने जिला परिषद् के लिये कल्पना की थी कि वह तीसरी सरकार होगी । जनता की प्रतिनिधि होगी । आप उसको मौका क्यों नहीं दे रहे हैं ? मैं तो कहता हूं कि जिला परिषद् के अध्यक्षों ने आपके मंत्रिमंडल के मंत्रियों के मुकाबले 1/4 भी गल्तियां नहीं की हैं ।

भ्रष्टाचार की बात मैं नहीं कर रहा हूं । भ्रष्टाचार के अध्यक्षों के खिलाफ उतने चार्जेज नहीं हैं जितने कि आपके मंत्रियों के खिलाफ लगे हैं और वह भी विरोध पक्ष के द्वारा नहीं आपके ही लोगों ने प्रधान मंत्री को लिखकर दिये हैं । आप अध्यक्षों के पावर लेकर सेन्ट्रलाइज करना चाहते हैं । अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी इस पर विचार करेगी तो यही कहेगी कि आपने जरूरत से ज्यादा अधिकार ले रक्खे हैं । आपको जो रात में स्वप्न आ गया वही सुबह करना चाहते हैं । उत्तर प्रदेश में जितने जिला परिषद के अध्यक्ष थे उनको एक मिनट में हटा दिया है । एक सुबह कह दिया कि जिला परिषद को बढ़ा दो । इनका स्वप्न जनतंत्र में सारी जनता के कार्यों को दबाये दे रहा है । पहले जिला परिषद् को फंड्स दिये जाते थे, ड्यूटी दी जाती थी । डा0 सम्पूर्णानन्द जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने क्षेत्र समिति और जिला परिषद् विधेयक जो 1961 में पेश किया था तो उसकी स्पीच में पढ़ रहा था, उसमें कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर इंगलैंड की जो डिस्ट्रिक्ट काऊंटी कहलाती है उसकी तरह से पुलिस का ऐडमिनिस्ट्रेशन जिला परिषदों को दिया जायगा । गुप्ता जी की जब ज्वाइन्ट कांग्रेस की सरकार थी और वित्त मंत्री बैठे हुये थे तो चर्चा की गयी थी कि आज इनके पास फंड क्या है । पहले जिला परिषदों को ब्लाकों के फंड जाते थे । कई लाख के फंड्स पहले स्टेज में होते थे, 5 लाख का सेकेन्ड स्टेज में और थर्ड स्टेज में एक्सेलरेटड प्रोग्राम के अन्तर्गत दो लाख रुपया सालाना का कम से कम होता था । आज किसी क्षेत्र समिति के पास 10—5 हजार रुपया भी नहीं मिलेगा । सिर्फ थोड़ा सा हरिजनों के कुयें में चला गया और कोई कार्य-क्रम नहीं है ।

लेबर का कार्यक्रम जो ब्लाक का था, वह भी नहीं है । ब्लाक प्रमुख को कोई अधिकार ही नही है । चुनाव में लाठी—गोली चलायी गयी । क्षेत्र समिति के चनाव में 7—7 प्रधानों को मोटर ट्रक में लाद कर घुमाते ही रहे जब तक दो मार्च, नहीं आया । तो जिसके पास पैसा है वह सब कुछ कर सकता है । तो आप तत्काल इस अमेंडमेंट को टर्न-डाउन कर दीजिये, मत लाइये । विरोधी दल और आप सब लोग मिलकर के तय करें और आप में से किसी को कलेक्टर की जगह नामिनेट करिये और पूरा अधिकार दीजिये । पंचायत रिसोर्सेज, कमेटी बैठी थी संथामन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर । तत्कालीन वित्त मंत्री कैलाश प्रकाश उसके अध्यक्ष थे । उसने अपनी रिपोर्ट दिया, सरकार ने मंजूर किया था । लेकिन यह सरकार उसको लागू नहीं करती है और रद्दी की टोकरी में फेंक देती है । उसकी रिपोर्ट थी कि स्टेट रेवेन्यू का कम से कम चौथाई हिस्सा पंचायतों की ग्रांट में चला जाय । मैं तो कहता हूं कि आज की परिस्थिति में जो यह 800 कुछ करोड़ का बजट है उसमें से 24 करोड़ निकाल दीजिये इस कार्य के लिये और सारी मशीनरी बैठी हुई है—पंचायत राज सेक्रेटरी है, बी0 एल0 डब्लू0 हैं, और कितने ही कार्यकर्ता हैं उनसे काम कराइये । उनके पास आज कोई काम नहीं है ।

पंचायत में रिसोर्सेज बढ़ाने के लिये काम दीजिये । क्षेत्र समिति के लिये क्षेत्र निधि बना दी गयी थी और पंचायत राज रिसोर्सेज कमेटी ने रिकमेंड किया था कि कुछ चीजों पर कुछ अपनी चीजों पर उनको टैक्स लगाने का अधिकार होना चाहिये । वित्त अधिकारियों ने कुछ एतराज किया था लेकिन 20 पैसे का शेस एजूकेशन का टैक्स का अधिकार दिया गया था । यह सारा कार्य क्रम आमदनी के बढ़वाने के लिये किया गया। आज तो जिला परिषदों की पोलिटिकल पावर्स को भी काट डाला । आज जिला परिषद् क्या है ? एजूकेशन की ग्रांट 90 परसेंट उनको हुआ करती थी । आज आमदनी का भी कोई रास्ता नहीं और टैक्स लगाने का भी अधिकार नहीं । आज जिला परिषदों की स्थिति कलेक्टरों की खानापूरी के कार्य क्रमों तक सीमित रह गयी है। अभी ऐडवाइजरी कमेटी में बेसिक एजूकेशन की बैठक में कलेक्टर भी बैठे हुये थे ।

कलेक्टर ने खुद अपनी परेशानी को जाहिर किया। मेज, कुर्सी, स्कूल बिल्डिंग बनाने का काम जिला परिषद् का लेकिन इन चीजों को इस्तेमाल करने वाला जो टीचर होगा वह जिला परिषद् के अध्यक्ष के कंट्रोल में नहीं रहेगा। वह बेसिक एजूकेशन के कंट्रोल में रहेगा। पहले जिला परिषद् के मेम्बर की मजाल नहीं होती थी कि वह मास्टरों के दबाव को बर्दाश्त कर सकें । लिहाजा उनके नजदीक ही ट्रांसफर होते थे और कोई बात होती थी तो मेम्बरों से कह सुन लेते थे । अब तो वह बेसिक एजूकेशन के अन्डर होगा । एक एस0 डी0 आई0 की शिकायत मिली कि वह मास्टरों से पान बीड़ी वसूल करवाया करता था । हमारे जिले में एक डिप्टी इन्स्पेक्टर की मृत्यु हो गयी । उन्होंने मुगल सराय के एक तालाब में मास्टरों से मछली मारने के लिये कहा और मछली मारने के लिये चले गये और जाल में फंस कर मर गये । यह मैं आप को इसलिये बता रहा था कि यह जो आपने बेसिक एजूकेशन जो जिला परिषद् से निकाल दिया इसलिये उसका अफसर सब्जेक्ट टु दि कंट्रोल आफ दि पब्लिक आफ दि डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा । अब तो जिला परिषद् के जिम्मे पी0 डब्लू0 डी0 की 50-60 हजार की ग्रांट रह गयी और 10-5 रुपये की दवाई दे दें । इसके अलावा और कोई काम उनके जिम्मे नहीं रह गया । जनतंत्र म बर्टिकल विकास होता है और आप स्टैलिन वाला कार्य कर रहे हैं डाइरेक्टेड कंट्रोल का । ऊपर से डायरेक्शन हमेशा डेमोक्रेसी के विपरीत माना जाता है । महात्मा गांधी के जमाने में सोचते थे कि ग्राम राज्य होगा । लेकिन हो उसके बिल्कुल उल्टे रहा है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह सबसे खतरनाक बिल है । इसका मतलब है आई0 ए0 एस0 और अफसरशाही को बढ़ाना । इसलिये इसको मंत्री जी वापस लें ।

(श्री त्रिलोक चन्द का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)---

अब तक एक विरोध पक्ष से एक इस पक्ष से आप बुलाते थे । अब क्या नयी व्यवस्था आपने शुरू कर दी है ?

श्री उपाध्यक्ष---

नयी व्यवस्था नहीं है । आपको भी समय मिलेगा । स्वार्थ के लिये परमार्थ का आश्रय नहीं लेना चाहिये । अभी तक तो आप लोग तयार नहीं थे ।

श्री राम प्यारे---

हमारी तरफ से 3-4 आदमी खड़े थे, हम तैयार थे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

कोरम तक तो यह रख नहीं पाते ।

श्री राम प्यारे--

हम तैयार हैं, हमें बोलना है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपसे कहा तो है कि आपको समय मिलेगा । आप क्यों शास्त्रार्थ कर रहे ह । आप न दल के नेता है, न दल की तरफ से कोई अधिकार आपको दिया गया है । ...(व्यवधान)... आपका दल चाहता है कि 3-3 विधेयक भी आज ही पास हो जाय । आपको अपने सरकारी पक्ष के नेतृत्व के साथ सहयोग करना चाहिये । कल कार्य-मंत्रणा समिति में इन विधेयकों को पास करने के लिये तय भी हुआ था । आपको समय मिलेगा । आप कृपया बैठिये ।

*श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । इस क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक के द्वारा 6 माह का समय सरकार लेना चाहती है । मैं तो ऐसा महसूस करता हूं कि इस सरकार को जिला परिषद ऐक्ट पर यकीन ही नहीं है । हम देखते हैं कि हर सत्र में यह सरकार इस ऐक्ट में कोई न कोई संशोधन ले आती है । अभी जो चुनाव क्षेत्र समितियों आदि के हुये हैं, ऐसा लगता है कि अब उस चुनाव के प्रोसीजर में मंत्री जी की आस्था नहीं है । यह ऐक्ट डिफेक्टिव लगता है । यह इतना इनकप्लीट है कि हर बार मंत्री जी को संशोधन लाना पड़ता है । पहले कोआपरेटिव सोसाइटीज से चुने हुये नुमाइन्दो के अनुमेलन के लिये संशोधन लाये थे । उसके पहले विधायकों को ब्लाकों में रखने से सम्बन्धित संशोधन लाये थे । उसी सम्बन्ध में फिर दूसरा संशोधन लाये । पहले यह तय हुआ कि एक विधायक को सब जगह वोट देने की छूट होगी । हरिजनों का रिप्रेजेन्टेशन भी उसी के साथ रखा गया । फिर यह हुआ कि जहां उनकी 8 से कम संख्या होगी वहां विधायक और एम0 पी0 यदि मिल कर 2 हो जायेंगे तो उनकी संख्या काट दी जायेगी । और वह काटी गयी। तो इस ऐक्ट में तरमीम लाकर, इसमें संशोधन लाकर ऐसा महसूस हुआ कि इस ऐक्ट में उनका विश्वास नहीं है । इसीलिये यह संशोधन प्रवर समिति के लिये लाया गया कि मंत्री जी इसके लिये प्रवर समिति बैठायें जो मेहनत करके इसमें आमूलचूल परिवर्तन करके इसे जनतंत्र की भावना के अनुकूल बनाये ।

जो 6 महीने का संशोधन लाकर समय मांगा गया है, मैं समझता हूं, इससे कोई ज्यादा काम होने वाला नहीं है । लेकिन उनकी मंशा साफ है उन्होंने जो चुनाव कराये, ब्लाक प्रमुखों के चुनाव कराये, किन्तु उसमें जो एक सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का होने वाला था, उसको अलग करा दिया । क्योंकि उनकी मंशा साफ नहीं थी कि क्षेत्र समितियों का गठन पूर्ण हो जाये । अब प्रश्न यह है कि वह शेष चुनाव कब होगा । यह पता नहीं है । 6 महीने का समय लगे, अब जिला परिषद् के सदस्य का चुनाव होना बाकी है । मैं आशंका करता हूं कि इस 6 महीने के समय में वह उसका चुनाव भी नहीं करा पायेंगे जो बाकी रहा है । इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार सितम्बर में फिर एक बार 6 महीने का समय मांगेगी और इस तरह से बार-बार टालती रहेगी । क्योंकि इनका जो संशोधन होता है, जो विचार होता है, उसमें पोलेटिकल गेम प्राप्त करने की यह कोशिश करते हैं, जैसा कि इन्होंने अभीतक किया है ।

जहां तक हरिजनों का सवाल है, उनका जिस तरह से पुराने ऐक्ट में रिप्रेजेन्टेशन है, वह तरीका भी ज्यादा अच्छा नहीं था, उनका यह तरीका भी बदलना चाहिये । जो चुनाव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मौजूदा हुये हैं, उसमें भी जो तरीका अपनाया गया था, जिस ढंग से चुनाव हुये, उससे मैं समझता हूं, हरिजनों को 8 आदमियों का रिप्रेजेन्टेशन देने का वह कोई मायने नहीं रखता है । मैं अपने जिले की एक घटना का उदाहरण देना चाहता हूं जो अपने क्षेत्र की है । नन्दराम नामक हरिजन उप प्रमुख का पर्चा दाखिल करने गया तो नई कांग्रेस के एक भूतपूर्व विधायक जो उस क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, उन्होंने उसको पर्चा देने से रोक दिया और उसका पर्चा फाड़ दिया गया । इसकी उसने एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई, लेकिन उस पर आजतक कोई कार्यवाही नहीं हुई । तो फिर ऐसे ऐक्ट से लाभ क्या है । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस 6 महीने के टाईम को आप बिलकुल न बढ़ायें और यदि बढ़ायें ही तो 3 महीने का बढ़ायें जो मेरा संशोधन है और 3 महीने में जिला परिषद् के एक सदस्य और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव सम्पन्न करा लें । यदि आपकी मंशा साफ है कि जिला परिषदें चलें और अपना कार्य सुचारु रूप से चलायें तो आप 3 महीने से ज्यादा समय न लें । यदि ऐसा नहीं होता है तो आपकी मंशा साफ है कि आप इसको कराना नहीं चाहते और टालना चाहते यह हैं और आप सोचते यह हैं कि वह कौन सा समय है जब अपने तरीके से इसे करा सकें ।

श्री उपाध्यक्ष---

श्री राज मंगल जी पांडेय बैठे हैं, उन सब लोगों ने निर्धारित किया है कि इतना-इतना काम करो । तो हमको क्या पड़ी है कि हम सबको बोलने का मौका न दें । लेकिन कई लोग बोलेंगे तो. . . .

(श्री राम प्यारे का नाम पुकारने के बाद) कार्य-मंत्रणा समिति में जो सरकारी पक्ष के प्रवक्ता हैं वह याद रखें कि अपने लोगों को ऐसा नहीं करेंगे, तो मुश्किल से एक ही बिल हो सकेगा ।

श्री राम प्यारे---

मैं बड़ा आभारी हूं कि अपने मौका दिया । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा टाइम रहे लेकिन हर विषय पर दोनों तरफ के विचार आने चाहिये । यह आवश्यक है ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसके लिये आप चिन्तित न हों क्योंकि सरकारी पक्ष बहुत सबल है । माननीय मंत्री जी अपनी स्थिति समझते हैं, वह बहुत सामर्थवान हैं । लेकिन आप अपनी बात संक्षेप में कहें ।

श्री राम प्यारे---

मैंने देखा कि उस तरफ बैठने वाले लोगों की तरफ से गलतियां हुई हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

समय इसी में जायगा ?

श्री राम प्यारे---

मैं यह कह रहा था कि जो आज तक बातें आयी हैं, (व्यवधान) पांडेय जी जानकारी कर लेंगे, मुझे अच्छी तरह से जानकारी है, कई बार विधायकों की तरफ से मांग आयी कि शिक्षा को निश्चित तौर से जिला परिषदों से अलग करना चाहिये । हमारी सरकार ने जो किया है । उसको सर्वत्र स्वागत हुआ है, केवल यहां नहीं जनता में भी स्वागत हुआ है । मुझे याद है जब जिला परिषद में यह शिक्षा रही है, ट्रान्सफरों में 50-50 रुपये लेते थे ।

(कोलाहल) . . .

श्री बंशीधर पांडेय--

विधायक और मंत्री ले रहे हैं वह ?

दो-दो लाख रुपया लेकर बिक गये और मंत्री 10 करोड़ खा गये ।

*श्री राम प्यारे--

हमारी सरकार ने बधाई का कार्य किया है। जहां तक जनता का प्रश्न है, गांधी जी का स्वप्न पंचायती राज का था, वह स्वप्न पूरा नहीं हुआ। इसमें जिम्मेदारी उधर और इधर दोनों तरफ की है । जो अभी प्रमुखों का चुनाव हुआ है । मुझे मालूम है कि किस तरह से 15-15 रोज पहले से सभापतियों को बन्द कर रखा गया, इसमें खुल कर पैसा चला है। पिछली बार इस बिल पर बोलते हुये मैंने कहा था वास्तव में प्रमुखों का चुनाव अध्यक्षों का चुनाव जनता द्वारा होना चाहिये । क्योंकि हमारे प्रदेश में अशिक्षा के कारण, गरीबी के कारण, नैतिक स्तर गिर चुका है जिसके कारण अभी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता इस लिये जनता के सही प्रतिनिधि नहीं आ पाते । मुझे अपने जिले का अनुभव है । प्रमुख के चुनाव में वह नहीं जीता है जो जनता का सही मानी में कल्याण करने वाला है । बल्कि वह लोग जीते हैं जो अधिक से अधिक साधन और पैसा इकट्ठा कर सकते थे।

मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि जो आयोग आपने बिठाया है मुझे जानकारी है कि उसकी भावना है कि जो एलेक्शन हो डाइरेक्ट इलेक्शन हो । साथ ही साथ मैंने कहा था कि वह जो गरीब तबके के लोग थे, हरिजन, आदिवासी उनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं हो सका । मैं पांडेय जी को याद दिलाना चाहता हूं कि यह ऐसा चुनाव नहीं है जिसको बहुत महत्व देना चाहिये । इसमें जो समय बढ़ाने की बात है, कई क्लाज हैं, मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जो अभी चुनाव हुआ है उसमें पेटीशन करने की व्यवस्था है । वह बिलकुल अस्पष्ट है । मैंने अच्छे-अच्छे एडवोकेट्स से राय लिया । उन्होंने कहा कि रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में यह है कि पेटीशन कौन करेगा, और क्या-क्या शर्तें होती हैं । इस प्रकार की इस में व्यवस्था नहीं है । जो जनता के सही सेवक प्रमुख नहीं हो सके हैं । सही ढंग से उनको अदालत में न्याय मिलने की कोई सम्भावना नहीं है ।

मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि वे अपने विभाग और एल0 आर0 की राय इस सम्बन्ध में लें और कानूनी जानकारी कर लें ताकि उन लोगों की रक्षा हो सके और जो जनता के प्रतिनिधि होने के लायक हों, वे ही हो सकें । साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अब जो चुनाव होने वाले हैं वे बहुत खर्चीले हैं । उनका चुनाव प्रमुखों के साथ हो जाना चाहिये था । आप फिर उसी तरह से उनका चुनाव करवा रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है अध्यक्षों का जो चुनाव हो रहा है उसमें आप कानूनी व्यवस्था दें । 6 महीने का समय बढ़ा दें, कोई बात नहीं है लेकिन ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो कानूनी अड़चन है वह कैसे दूर होगी ?

श्री रामप्यारे--

ऐक्ट में परिवर्तन किया जा सकता है । मैं माननीय मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि चूंकि जिला परिषद और पंचायत राज का कोई सेपरेट डाइरेक्टोरेट नहीं है वे फैमली-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्लानिंग और अन्य विभागों से जुड़े हुये हैं और उसके फलस्वरूप जो पुरस्कार आदि दिया जाता है वह इनको न मिलकर दूसरे विभाग वालों को मिल जाता है । इन जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों में लोगों को काम करते हुये 20–20 साल का समय हो गया है लेकिन उनकी अभीतक कोई पदोन्नति नहीं हुई है । अभी मुख्य सचिव महोदय ने कहा था कि जो 140 लोग यहां पर हैं वे पदोन्नति हो जायेंगे । इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस तरफ ध्यान दें । निश्चित रूप से इन लोगों का अगल से निदेशालय हो, पदोन्नति के चांसेज हों और वेतन आदि में जो असंगतियां है उनको दूर किया जाय अन्यथा इन पंचायत राज और जिला परिषदों में काम करने वाले लोगों में मजबूती नहीं आयेगी । इसलिये आपको इनके लिये एक रास्ता निकालना होगा ।

श्री उपाध्यक्ष––

आप क्या सुझाव देना चाहते हैं ?

श्री रामप्यारे––

मेरा निश्चित सुझाव है कि गांव सभाओं के सभापतियों का चुनाव जिस प्रकार से हुआ है उसी तरह से प्रमुखों का भी होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष––

वह तो हो गया, आगे के लिये क्या व्यवस्था हो ?

श्री रामप्यारे––

आगे के लिये यह है कि जो चुनाव अभीतक नहीं हुये हैं उनके सम्बन्ध में मैं मांग करता हूं कि अध्यक्षों का चुनाव जनता द्वारा हो अन्यथा बड़े-बड़े पूंजीपति और कैपिटलिस्ट जो लोग हैं वे पांच-पांच हजार रुपया माननीय सदस्यों को देकर चुनाव जीत लेंगे और इस प्रकार गांधी जी का जो स्वप्न था वह पूरा नहीं हो पायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न तो बहुत छोटा सा है कि इसकी अवधि 6 माह बढ़ा दी जाय..

श्री राम प्यारे––

पांडेय जी को आपने रोका नहीं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करके बैठ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष––

स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में जिस दिन बजट आयेगा उस दिन आयेगा तब आप अधिक बोल सकते हैं । इस समय तो इसकी अवधि 6 माह बढ़ाने के लिये संशोधन आया है ।

*श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)––

उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव आया है क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1973, उसके विरोध में मुझे निवेदन करना है । श्रीमन्, जब 3 वर्ष की अवधि बढ़ाई गई थी जिलाधीश इन जिला परिषदों की अध्यक्षता कर रहे थे और अब 6 माह की अवधि और बढ़ाने के लिये विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है । पूरे साढ़े तीन वर्ष इसकी अवधि बढ़ गई । इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है । जब हमारा देश आजाद हुआ उससे पहले से ही यह कल्पना थी और गांधी जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भाभी यादव—]

का यह विचार था कि हमारे देश में पंचायती राज बनेगा । लेकिन 25 वर्ष से मुतवातिर जो यह सरकार यहां बैठी हुई है उसके कारनामें में माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी बहुत ईमानदार हैं जिसे हम लोग शुरू से कहते आये हैं, वे गरीबों के हमदर्द हैं और गांधी जी के उसूलों पर चलने वाले, उनके अनुयायी बनते हैं। लेकिन में माननीय मंत्री जी को साफ बतला देना चाहता हूं कि इस सरकार के पिछले 25 वर्ष के जो कारनामे हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं । जिस तरह से रामचन्द्र को 14 वर्ष के बाद बनवास से लौटना पड़ा उसी तरह से इस सरकार ने 12 साल के बाद पंचायतों के चुनाव कराने की बात सोची । इतने वर्षों तक उसने जनता के हकों का हनन किया और 12 साल के बाद ही उसने पंचायतों का चुनाव कराया है ।

यही नहीं, माननीय मंत्री जी को यह भी भली भांति विदित है कि पिछले 12 वर्षों में पंचायतें बिलकुल खोखली और निकम्मी हो गयी हैं । यह सब लोगों को विदित है कि गांव की जनता की राय से ही गांव पंचायतें, जिला परिषदें, विधान सभा और लोक सभा बनती हैं । गांव की जनता कहती है कि क्या कारण है कि लोक सभा के चुनाव के लिये ठीक समय निर्धारित रहता है और जब कभी सरकार नहीं चलती है तो बीच में भी चुनाव हो जाता है, मध्यावधि चुनाव हो जाता है, विधान सभा का भी मध्यावधि चुनाव हो जाता है। लेकिन 12 वर्ष के बाद भी पंचायतों का चुनाव कराने के बाद भी यह कैसे हिम्मत पड़ती है कि फिर यहां अवधि बढ़ाने की बात कही जा रही है । इसका मतलब यह है कि यह सरकार पंचायतों की कोई परवाह नहीं करती, क्षेत्र समितियों की कोई परवाह नहीं करती, जिला परिषदों की कोई परवाह नहीं करती जिससे गांव की जनता का रोजमर्रा का काम होता है । गांव पंचायतों की चीजों को वहां की जनता समझती है, क्षेत्र समितियों की चीजों को वहां की जनता समझती है, जिला परिषदों की चीजों को वहां की जनता समझती है लेकिन विधान सभा और लोकसभा की बातों को हम और आप समझते हैं, तो मैं आपको साफ बतला देना चाहता हूं कि यह जो अवधि बढ़ायी जा रही है, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इसकी मंशा क्या है ?

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर खींचना चाहता हूं कि जो जनता की आवाज है उस आवाज पर आपको चलना चाहिये । 25 वर्षों में आपने गांव पंचायतों को चौपट किया, क्षेत्र समितियों को चौपट किया, जिला परिषदों को चौपट किया, यह गांधी जी कहा करते थे कि जब प्रजातंत्र होगा, हमारा देश आजाद होगा तो पंचायती राज बनेगा । यह किसी की कल्पना भी नहीं थी कि जनता के प्रतिनिधियों को हटा कर आप कलेक्टर और सरकारी नौकरों के हाथों में सारे अधिकार दे देंगे। मुझे पिछली बातें याद हैं कि जब हम लोग क्षेत्र समितियों के सदस्य थे, कमेटी के मेम्बर थे तो गरीबों पर जो टैक्स लगा था उसे हम लोगों ने छोड़ दिया । देहातों में मामूली बैलगाड़ियों पर जो टैक्स लगता था उसे छोड़ दिया लेकिन हाय रे जिला के कलेक्टर और सरकारी कर्मचारी—जो गरीब इक्केवान हैं, रिक्शा खींचते हैं, छोटे-छोटे दूकानदार हैं, उन पर लगे हुये जिन टैक्सों को हमने माफ कर दिया था, उन पर फिर टैक्स लगा दिया जिससे वे सब परेशान हैं । और जिनके पास ट्रक्स हैं, भट्टे हैं, बड़े-बड़े उद्योग करने वाले हैं, उन पर हम लोगों ने जो उस जमाने में टैक्स लगाया था उन पर से कलेक्टर और सरकारी कर्मचारियों ने उन टैक्सों को छोड दिया है। हाय री सत्तारूढ़ दल की सरकार, जब से कलेक्टरों के हाथ में जिला परिषदें गयी हैं, पहले जिस टैक्स से लोगों को छूट थी फिर से गरीबों पर उन टैक्सों को लगा दिया गया है।

यह जो आप अवधि बढ़ाने की बात कहते हैं, यह ठीक नहीं है । जो अभी ब्लाक प्रमुखों का चुनाव हुआ है, उस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया । देहात में एक कहावत है—रोवे के रहलीं, अंखियां खोदाय गइलीं । अब तक तीन बार अवधि बढ़ायी गयी है । कभी कह दिया गया कि हरिजनों को आना चाहिये, कभी कुछ और बात

कह दी गयी । अगर इस सिद्धान्त पर चलना चाहते हैं तो जनता की आवाज पर ठीक ढंग से चलने की कोशिश होनी चाहिये । कई-कई बार अवधि बढ़ायी गयी । पहली बार 6 महीने के लिये अवधि बढ़ायी गयी, बर्दाश्त, फिर साल भर की अवधि बढ़ायी गई, बर्दाश्त, फिर दो-ढाई-तीन वर्ष की अवधि बढ़ाई गयी, बर्दाश्त और इस तरह से फिर अब तीन वर्ष के बाद साढ़े तीन वर्ष नहीं होना चाहिये । फिर उसका नाम नहीं लेना चाहिये । आप विधान सभा के चुनाव के बाद जिला परिषदों का चुनाव कराना चाहते हैं । आप चाहते हैं कि सत्तारूढ़ दल के लोगों को वहां बिठा दिया जाय । इस तरह की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, इस तरह से आपकी बेईमानी को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी ।

चाहे विरोधी दल के लोग हों या सरकारी दल के लोग हों सब के ऊपर इसका असर पड़ेगा । आपने जैसे प्रमुखों का चुनाव करा दिया है उसी तरह से देहात के लोगों को उम्मीद थी जिला परिषदों का भी चुनाव जल्दी हो जायेगा और मई-जून तक इनका गठन हो जायेगा हर आदमी यही समझता था लेकिन जो यह संशोधन विधेयक आया है उससे बड़ा ताज्जुब हो गया है । मंत्री जी से लोग यह आशा करते थे कि वे गांधी जी का स्वप्न पूरा करेंगे, जनता की आवाज मानेंगे लेकिन आपके अन्दर कमजोरी है गांधी जी ने कहा था कि भारत-वर्ष का प्रधान मंत्री किसान का बेटा होगा । गरीब का बेटा होगा । भले ही वह पढ़ा लिखा कम हो लेकिन देशभक्त और सच्चा होना चाहिये । आपको इस इम्तहान में पास होना पड़ेगा । आपके पास पंचायतों का और विकास का विभाग है ।

स्वराज्य के बाद लोग कल्पना करते थे कि पंचायत राज्य बनेगा और गांव-गांव में विकास होगा । लेकिन किसी विभाग के मंत्री से यह सुनने को नहीं मिला कि बराबर अवधि बढ़ाई जाय । पता नहीं इसमें कौन सा राज छिपा हुआ है । यह आपके ऊपर कलंक है । अगर आपके ऊपर मुख्य मंत्री जी का दबाव पड़ता है तो आपको मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है । आपको ईमानदारी के साथ जिला परिषदों का गठन कर देना चाहिये अबिलम्ब । ऐसा कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपके इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं । मंत्री जी इस तरह से समझें कि "दुनिया में हूं लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं हूं ।" इस तरह की बात मत कीजिये कि सारी बात अन सुनी हो जाय । हमने सबक पढ़ा था कि गर जबाने कैस में शिकवये हिजरा करे, परदये नामूस लैला को अभी कुर्बा करे, नालकस हो तू अगर फरहाद के अंदाज में, जल जलसा डालदे शीरी के कसरे नाज में । ऐसा मीठा बोलने से काम चलने वाला नहीं है ।

श्री राम किशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही साधारण सा बिल है । इसमें केवल 6 मास की अवधि बढ़ाने का सवाल है । इसलिये इसको प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है । अगर विरोधी दल के लोग चाहते हैं कि जिला परिषदों का जल्दी चुनाव हो जाय तो प्रवर समिति वाला सुझाव वापस लेकर इसको मान लेना चाहिये । एक बात जरूर है कि क्षेत्र समिति में जैसे क्षेत्र प्रमुख का सदस्य होने का सवाल नहीं है उसी तरह से जिला परिषद के सदस्य के लिये भी होना चाहिये । यह क्षेत्र का सदस्य होने की बाध्यता नहीं होनी चाहिये । जिला परिषदों से शिक्षा को अलग किया है, जिला स्तर पर तो शिक्षा समिति बनी है और गांव के स्तर पर भी बनी है उसी तरह से क्षेत्र समिति को भी अधिकार होना चाहिये कि इसकी शिक्षा समिति होनी चाहिये । इन विचारों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र जिला परिषदों का चुनाव करा दिया जाय और प्रवर समिति वाला प्रस्ताव वापस लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

क्षेत्रीय प्रतिनिधि बाहरी कैसे हो सकता है, वह तो उसी में से होगा । ब्लाक प्रमुख तो हो सकता है लेकिन प्रतिनिधि तो चुनने वाले लोगों में से ही होता है, यह कठिनाई है ।

*श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, सामूहिक विकास मंत्री जी द्वारा जो बिल पेश किया गया है कि जिला परिषदों का कार्यकाल 6 मास बढ़ा दिया जाय, इसकी जानकारी पाकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ । आश्चर्य इसलिये हुआ कि जब यह दल जो सामने बैठा है इसने जिला परिषदों को मिली जुली सरकार के माध्यम से भंग किया था, उस समय यहां एक बड़ा अच्छा सा भाषण भी हुआ था और बड़ी अच्छी रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उस समय कहा गया था कि जिला परिषदों का प्रशासन बहुत खराब हो गया है इसलिये उनको भंग कर के अविलम्ब चुनाव करा के जिला परिषदों का एक अच्छे ढंग से फिर से गठन किया जायगा । उन्होंने जो कुछ भी किया लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उस समय जब यह मिलीजुली सरकार में थे और इन्होंने जिला परिषदों को भंग किया था तो एक दूसरा विचार इनके मन में था लेकिन अब उनके मन में एक दूसरी बात और डर पैदा हो गया है । मैं किसी की नीयत पर हमला नहीं करता लेकिन उनकी नीयत में यह है कि किसी तरह से भी जिला परिषदें हमारे कब्जे में या हमारे दल के कब्जे में रहें और अगर वह भी संभव न हो तो कम से कम वहां की प्रशासनिक व्यवस्था तो हमारे अधिकारियों के कब्जे में अवश्य रहे ताकि उनके दल का नियंत्रण जिला परिषदों पर बना रहे । एनकेनप्रकारेण यह उसी प्रयत्न में हैं ।

मेरी समझ में नहीं आया कि गांव सभाओं के चुनाव हो गये, एक व्यवस्था हो गई लेकिन उसके बीत जाने के बाद उनके सामने कौन-सी दिक्कत आई, कौन सी परेशानी थी कि उन्होंने क्षेत्र समिति और जिला परिषदों के गठन से संबंधित कार्य नहीं किया । उन्हें स्वायत्त शासित संस्थाओं में वैसी अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली जिसकी शासक दल आशा करता था, उससे बेचने का यह रास्ता निकाला गया है। चुनाव की तारीख बढ़ाना और कोआप्शन की दूसरी व्यवस्था करना यह सारी बातें इस बात की द्योतक हैं कि केवल इनकी नीयत यही है कि किसी भी तरह से इन का जिला परिषदों पर कब्जा बना रहे। ब्लाक प्रमुखों के चुनाव तो इन्होंने किसी तरह से करा दिय । कांग्रेस पार्टी की बैठक में उन की ओर से कहा गया कि 80 प्रतिशत प्रमुख कांग्रेसी हो गये हैं हालांकि हमें इन के इस 80 प्रतिशत की बात पर विश्वास नहीं है कि इतनी संख्या में इनका दल चुनकर आया है । उन को ऐसा लगता है कि जिला परषदें उन के हाथ से गयीं और उन को भय लगता है कि इसका असर 74 के आगामी चुनाव पर पड़ेगा । उन को इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिये था और वह इन स्वायतशासी संस्थाओं का चुनाव कराते लेकिन उससे बचने के लिये ही यह सारी प्रक्रिया कर रहे हैं ।

यह 6 मास का क्षेत्र समितियों का समय बढ़ा रहे हैं, वह बहुमत में हैं वह बढ़ भी जायगा लेकिन क्या यह इन 6 मास के अन्दर वहां चुनाव करा देंगे, इस तरह की घोषणा मंत्री जी करें, स्पष्टतः कहें कि सन् 74 के चुनाव के पहले हम जिला परिषदों का गठन कर देंगे। वह यह भी बतायें और घोषणा करें कि अपने क्षेत्रों की जिला परिषदों में वहा नहीं बैठेगें। लेकिन बात यह है कि उनकी नीयत खराब है वह हर जगह अपने आदमियों को बिठाना चाहते हैं। वह स्पष्ट घोषणा करें कि कोई ऐसी नियत हमारी नहीं है। एक कमेटी भी इसमें बनाना है, उसमें भी वह अपने आदमी रखना चाहते हैं। यह घोषणा करें कि कमेटी में दलगत राजनीति का आधार पर न बनकर एक नियमित व्यवस्था के आधार पर बनेगी अन्यथा कमेटियों की घोषणा नहीं होगी। और यदि ये घोषणा नहीं करते हैं तो हमारा चार्ज सही है, आरोप सही है कि इनकी नीयत खराब है । ये 1974 के आम चुनाव के लिये अपने दल जो मजबूत बनाने के लिये यह सब कार्य करना चाहते ह । ये स्पष्ट रूप से घोषणा करें कि चुनाव आरम्भ होने के पूर्व ये

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला परिषदों का गठन करा देंगे । पहले सदस्यों का चुनाव होगा फिर कोआप्शन का प्रश्न है और फिर जिला परिषदों के अध्यक्षों के चुनाव का प्रश्न है । आगामी दिसम्बर जनवरी से आम चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ हो जायेंगे फिर आपको समय नहीं मिल पायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

22 मार्च, 1973 को 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने वाली है ?

श्री राम कुमार दीक्षित—

तभी तो मैं कहता हूं कि 1 माह का समय, 2 माह का समय बढ़ा लीजिये । यह आप ; महीने का समय क्यों बढ़ा रहे हैं । असेम्बली की बात कहकर आप बच नहीं सकते हैं । इनकी नीयत साफ नहीं है । ये जिला परिषदों का गठन ही नहीं कराना चाहते हैं । जब ये कहते हैं कि 80 प्रतिशत इनके प्रमुख आ गये हैं तो स्पष्ट है कि आप अपनी पार्टी के चेयरमैन जिला परिषदों में बठाकर सन् 1974 में उनसे मदद लीजिये । अगर आपका उनमें बहुमत है तो आप क्यों नहीं तुरन्त कर लेते हैं । ये जिस प्रकार से शासन चलाना चाहते हैं, उससे मुझे मालूम होता है कि इनकी आस्था अब जनतांत्रिक परम्पराओं में नहीं है और जब इन परम्पराओं से आस्था उठ जाती है तो हिटलर जैसी स्थिति पैदा हो जाती है । कितने दिनों तक ये इस प्रकार से अधिकारियों के जरिये और आर्डिनेंसेज लाकर हमारे प्रदेश में राज्य करेंगे ? गांधी जी का नाम लेने वाले पंचायती राज्य पर आस्था और विश्वास रखने वाले जब इस तरह की बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से वे आज उन परम्पराओं को तोड़ने में अगुवाई कर रहे हैं । मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी फिर से अपने संशोधन पर विचार करें, जो उन्होंने पेश किया है, और हमने जो स्पष्ट चार्ज लगाया है, यदि उनकी ऐसी भावना नहीं है, तो निश्चित रूप से 1,2 या 3 महीने म सन् 1974 के आम चुनाव के पूर्व जिला परिषदों का गठन करवा दें, अपने अध्यक्षों का नौमिनेशन न करें और कमेटियों का गठन अगर करेंगे तो उसका गठन दल की राजनीति के आधार पर नहीं करेंगे । इन बातों को देखते हुए यह बात सही है कि राजनीतिक दृष्टि से यह प्रस्ताव पेश किया गया और इससे ये लाभ उठाना चाहते हैं । इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मार्च 1970 में जिला परिषदों को बना करके 3 वर्ष मे लिये अल्पकालिक व्यवस्था की गयी थी और उसके द्वारा जिला मेजिस्ट्रेटों को, जिला परिषदों उनके अध्यक्षों की शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का निर्वहन तथा कर्त्तव्यों का पालन करने का अधिकार दिया गया था ।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

जिला परिषदों को तो आपने ही भंग किया था ?

श्री जयराम वर्मा—

जिस सरकार ने भंग की थी उसे मौजूदा सरकार के एम0 एल0 एज0 ने समर्थन किया था।

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

वे आपके द्वारा ही बैठाये गये थे ।

श्री जयराम वर्मा—

जो सरकार उस समय थी तो उसे सौजदा सरकार के विधायकों का समर्थन प्राप्त था । तो 3 वर्ष के लिये अल्पकालिक व्यवस्था की गयी थी । वह व्यवस्था 22 मार्च जो समाप्त हो

[श्री जयराम वर्मा]

रही है । वर्तमान परिस्थितियों में जबकि 22 मार्च के पहले जिला परिषदों का गठन सम्भव नहीं, उसी अल्पकालिक व्यवस्था का समय बढ़ाना, या जो दूसरी अल्पकालिक व्यवस्था करना जरूरी है, उससे हम भाग नहीं सकते हैं । उसे तो हम मानते हैं । लेकिन यह सरकार को बात मालूम थी कि 22 मार्च, 73 जो समय समाप्त हो जायेगा । अल्पकालिक व्यवस्था का समय समाप्त होने के पहले ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि उससे पहले जिला परिषदों का गठन हो जाय । तो यह तो सरकार की अपनी भूल है कि सरकार ने काम को नहीं किया । मैं तो कहना चाहता हूं कि सरकार करना ही नहीं चाहती थी और आगे भी नहीं चाहती क्योंकि ऐसा हमारा ख्याल है जब मई, 72 में गांव पंचायतों के चुनाव हो गये तो उसके परिणाम को देखकर फिर सरकार ने अपनी नीति बदल दी । परिणाम से प्रभावित होकर सरकार ने फिर उसके बारे में एक चालू नीति अपनाई और जो चांसेज थे कि गठन हो जाय उस नीति को बदल दिया, नहीं तो वह सचमुच चाहती कि गठन हो जाय, तो वह हो जाता । जल्दी चुनाव हो जाता ब्लाक का, उनके प्रमुखों का और वहां से आने वाले प्रतिनिधियों का । माननीय मंत्री जी खुद अपने आश्वासनों को, जो उन्होंने सदन में दिये थे, याद करें ।

कहा कि अक्टूबर में प्रमुखों का चुनाव हो जायगा, नवम्बर में हो जायेगा, दिसम्बर में हो जायेगा । यह सब बराबर कहते रहे और टालते-टालते मार्च में ले आये । मार्च में ब्लाक प्रमुखों का चुनाव हो सका । यह उनकी नीति के कारण हुआ । कोई निश्चित नीति ही नहीं है कि फिर से जिला परिषद् गठित हो जाय । अगर कोई नीति होती तो संभव था । इसलिये हमें शंका होती है कि सरकार अब भी 6 महीने का समय जो बढ़ाना चाहती है, उसके अन्दर भी जिला परिषदों का गठन करना नहीं चाहते हैं । अभी प्रमुखों का चुनाव हो गया है । वहां से आने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव कब होगा, यह बात निश्चित नहीं हुई । ब्लाकों की समितियां, क्षेत्र समितियां कब गठित की जायं, इसके बारे में कोई नीति नहीं निश्चित । गठन कब होगा, इसके बारे में आदेश जारी नहीं किये । ब्लाक प्रमुखों का चुनाव हो जाने के बाद भी उनका गठन जल्दी नहीं होने वाला है । वहां से प्रतिनिधियों का चुनाव कब होगा, इसके बारे में बात निश्चित नहीं प्रतीत होती । इससे इनको लाभ क्या है ? जैसे 6 महीने का समय बढ़ाने का अनुरोध माननीय मंत्री जी ने सदन से किया है, तो 6 महीने की मियाद 22 सितम्बर को समाप्त हो जाती है । जुलाई, अगस्त, सितम्बर, ये चुनाव के समय होते नहीं । 6 महीनें का समय किसलिये मांग रहे हैं । चुनाव सितम्बर में नहीं हो सकता, अगस्त में नहीं हो सकता और जुलाई में नहीं हो सकता । अगर चुनाव हो सकता है, तो वह सिर्फ मई में हो सकता है । 6 महीनें का अर्थ है कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बरसात में चुनाव नहीं हो सकता है । अगर चुनाव सचमुच कराना चाहते हैं तो जून के अन्दर, बल्कि मई में हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस साल कहते हैं कि बरसात मई में होगी ।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)

अगर ऐसा है तो सरकार को मुबारक है ।

श्री जयराम वर्मा—

6 महीने का समय जो मांगा है उससे बात कुछ निश्चित नहीं प्रतीत होती । अगर सचमुच चुनाव कराना चाहते हैं तो आज निश्चित घोषणा करें कि चुनाव करा देंगे और कोई तब्दीली नहीं करेंगे । लेकिन उसके बाद भी कह देंगे कि मंत्रि-मंडल ने बदल दिया, हम क्या करें । कोई बात इसके बारे में निश्चित प्रतीत नहीं होती । कल श्रीमन्, अनुपूरक अनुदान लाया गया था उसमें इतनी तत्परता दिखाई गई कि गांव सभा, क्षेत्र समिति और

जिला की योजनाओं के निर्माण में प्रगति लाने के लिये अलग से रुपया मांगा है कि हम कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे । उसमें यह दिखाया गया है कि बड़ी तेजी से योजनायें बनेंगी, लेकिन योजनाओं के बनाने के लिये जो जिला परिषदें बहुत जरूरी है, उनका गठन नहीं चाहते । दोनों में मेल नहीं खाता । मैंने कल एतराज किया था कि इसको मूल बजट में लाना चाहिये था । जो सचमुच जनता के प्रतिनिधि हैं, उसमें हिस्सा ले सकते हैं उन योजनाओं को बनाने में, उनके बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है, केवल कर्मचारियों के द्वारा आप योजना बनाना चाहते हों और जन प्रतिनिधियों का सहयोग नहीं लेना चाहते इसका अर्थ यह हुआ ।

मान्यवर, इसमें मुझे शंका पैदा हो गई है क्योंकि माननीय मंत्री जी बार-बार सदन में आश्वासन देने के बाद भी पूरा न करें, तो शंका होगी ही कि यह इस बीच में चुनाव करायेंगे कि नहीं । लेकिन मैं इसमें इनका कसूर नहीं मानता क्योंकि जो नीति चल रही है उसी के अनुसार इनको करना होगा । मैं नहीं समझता कि इनकी कोई अपनी नीति अपने आश्वासन को पूरा करने की नहीं है यह तो चाहते हैं पूरा करना, लेकिन जो नीति का संचालन करते हैं वह मजबूर कर देते हैं कि ये अपने सदन में दिये गये आश्वासनों को पूरा न कर सकें । मैं माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि बार-बार इस तरह से हो तो ये क्यों फिर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना चाहते हैं कि ये 6 महीने के अन्दर चुनाव करा देंगे । चारों तरफ तरह-तरह की सूचनायें फैल रही हैं कि यह सरकार दो-तीन महीने के बाद रहने वाली नहीं है और राष्ट्रपति शासन आने वाला है । अगर राष्ट्रपति शासन आने वाला है और अगर जिला परिषद् का गठन हो जायेगा, तो माननीय मंत्री जी को डर है कि राष्ट्रपति शासन के जमाने में चुनाव कराने में जो लाभ वह उठाना चाहते हैं वह नहीं उठा पायेंगे क्योंकि अब की बार बहुमत उनके पक्ष में नहीं होगा । अगर यह बात नहीं है तो आप निश्चित रूप से कहें कि यह सरकार रहने वाली है और हम समय के अन्दर ही चुनाव करा देंगे ।

मान्यवर, इधर सरकार की नीति कुछ ऐसी हो रही है कि उनका विश्वास ही जनतांत्रिक प्रणाली से उठता जा रहा है । जो जनतांत्रिक चीजें जहां-जहां लागू हैं उसमें बदल कर कुछ तानाशाही लाना चाहती हैं । जब तक जिला परिषदों के हाथ में शिक्षा थी तो जन-प्रतिनिधियों की उसमें कुछ आवाज थी, वह जो कुछ कहना चाहते थे कह सकते थे और उनका कुछ प्रभाव पड़ सकता था । लेकिन जिला परिषदों से शिक्षा लेकर उसमें कुछ सुधार होगा ऐसा नहीं है तानाशाही जोड़ दी कि उसमें कोई जनता के प्रतिनिधियों की आवाज नहीं रहेगी । उसमें एस लोगों की आवाज रहेगी जो सरकार के नामजद लोग होंगे जिले के स्तर पर । वह जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति न होंगे, न ही जिला परिषद के द्वारा चुने होंगे, न ही ब्लाक समितियों के द्वारा चुने गये होंगे । इस तरह से जनता के प्रतिनिधियों का प्रभाव जो कुछ था शिक्षा के मामले में जिला स्तर पर वह आवाज समाप्त कर दी गई तो उस चीज को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और जनता के प्रतिनिधियों के हाथ से अधिकार लेकर दूसरों के हाथ में देना चाहते हैं । अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी ऐक्ट में परिवर्तन हुआ तो उससे पता चलता है कि चुने हुए प्रतिनिधियों के स्थान पर नामीनेटेड मेम्बरन को रख रहे हैं । इस तरह से यह जहां पर चुनाव की व्यवस्था है वहां उसे समाप्त कर नामांकन की प्रथा कर रहे हैं । तानाशाही और अधिनायकवाद की तरफ यह सरकार जाना चाहती है । इससे काम चलने वाला नहीं है । बात साफ होनी चाहिये । जबानी तो यह कहते हैं कि जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास है । अगर विश्वास है तो उसके अनुसार कार्यवाही कीजिये । जिला परिषद् के गठन का जो भी प्रभाव होने वाला हो, चाहे माफिक हो या आपके विपरीत हो, उसे होने देना चाहिये और उससे डरना नहीं चाहिये । इसलिए एक संशोधन में जो 3 महीने की बात कही गयी है तो उतना समय बढ़ाया जाय और उसके अन्दर चुनाव करा लीजिये । छः महीने का समय बढ़ाने की बात तो होनी ही नहीं चाहिये

[श्री जय राम वर्मा]—

अगर आप यह समय बढ़ाकर जिला परिषदों के गठन से भागना चाहते हैं तो इसके परिणाम अच्छे होने वाले नहीं हैं ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)

मैं क्लोजर मूव पर रहा हूं । दो विधेयक और भी हैं ।

*श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मैं बहुत ही थोड़े समय में अपने दल की ओर कल्याणकारी बात रखने का प्रयास करूंगा । संथानम कमेटी ने कहा था कि केंद्रीय शासन तो रहना चाहिये लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिये । गांधी जी आजादी की लड़ाई लड़े थे और उनकी मंशा यही थी कि ग्राम स्वराज्य आये । मान्यवर, यह संशोधन बड़ी जल्दी में लाया गया है और इनकी मंशा चुनाव कराने की नहीं है । संथानम कमेटी ने कहा था कि ग्राम सभाओं के चुनाव होंगे, क्षेत्र समिति बनेगी और जिला परिषदों के अधिकार बढ़ाये जायेंगे । इंग्लैन्ड अमेरिका में जिला परिषद जों कहलाती हैं उन्हें पुलिस रखने का अधिकार होता है । हमारे यहां भी वह अधिकार शनैः शनैः दिये जायेंगे, ऐसी कल्पना थी । मान्यवर, बेसिक शिक्षा कमेटी बनायी गयीं । उसमें अनेक संशोधन रखे गये थे । उसकी चर्चा तो बहुत लंबी हो जायगी कि किस प्रकार वहां सरकारी करण कर दिया । मांग यह की गयी थी कि बेसिक शिक्षा के अन्दर परिवर्तन करके स्वायत्त शासन बोर्ड बनाया जाय लेकिन ऐसा न करके वहां भी सरकारी तंत्र बना दिया गया ।

तो, मान्यवर, यह 6 महने की बात यहां पर कही गयी है । 6 महीने की बात का मैं इसलिये विरोध करता हूं और बड़े अच्छे शब्दों में माननीय जयराम वर्मा ने कहा कि इनकी मंशा चुनाव कराने की नहीं है । अधिकतर ब्लाकों के अन्दर विरोधी दल के लोग चुन कर आ गये हैं । ये समझते थे कि जिस अनुपात में इनका प्रचंड बहुमत एसेम्बली में है उसी अनुपात में से ब्लाकों में भी इनके लोग चुन कर आयेंगे । इन्होंने 2 महीने, 3 महीने की अनुमति नहीं मांगी है बल्कि 6 महीने की अनुमति मांगी है। तरह-तरह की अफवाहें फैल रही हैं । दिल्ली के कई अखबारों में साप्ताहिक अख्बारों में छपा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन बजट सेशन समाप्त होने के बाद होगा । सितम्बर-अक्टूबर में वर्षा ऋतु के बाद उड़ीसा में चुनाव करायें जायेंगे और तब यहां पर भी कराये जायेंगे । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस तथ्य का खंडन करें । अगर अक्टूबर में राष्ट्रपति शासन हो जायेगा तो जिला परिषदें गठित नहीं होंगी । ब्लाक प्रमुखों ने तो अभी शपथ भी नहीं ली हैं । अगर शपथ नहीं लेंगे तो चुनाव रद्द हो जाएगा । बहुत सारी कठिनाइयां हैं । जब सन् 1974 में चुनाव हो जाएगा तो हवा इनके खिलाफ बहेगी क्योंकि चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और खाने को कुछ नहीं मिल रहा है । सरकारी कर्मचारी वेतन आयोग की रिपोर्ट से प्रसन्न नहीं हैं । उद्योगपति जो इन्हें बहुत रुपया चुनाव में देते थे बिजली की कटौती के कारण बहुत परेशान हैं । बिजली की कटौती के कारण से बहुत लोग अपनी रोजी रोटी खो बैठे हैं ।

मान्यवर, अभी 10,000 ग्राम सेवकों ने आन्दोलन किया है । मैं नहीं गया था। सबेरे 20–25 ग्राम सेवक मेरे कमरे पर आये थे इलाहाबाद से । वे यहां 3 दिन का सम्मेलन कर रहे हैं । उनका कहना यह है कि पंचायती राज विभाग के अन्दर उद्योग विभाग से, कृषि विभाग से तथा सहकारिता विभाग से कर्मचारी आते हैं और वे ए0 डी0 ओ0 व बी0डी0ओ0 प्रोमोट हो जाते हैं और ये जो ग्राम सेवक भरती हुए हैं उन्हें प्रोमोशन का कोई एवेन्यू नहीं है । मैं मंत्री जी का बड़ा आदर करता हूं । गरीबों के प्रति उनके मन में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बड़ा दर्द है । इन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों का जुलूस निकला था । मंत्री जी भी गये थे । मैं चहता हूं कि मंत्री जी उनके बारे में यहां पर कुछ कहते । व अपने वेतन बढ़वाने के बारे में कह रहे थे । यह संशोधन इसलिये लाया गया है । ये सन् 1974 के चुनावों को दृष्टि में रख कर यह सब कर रहे हैं । ये चुनाव तो अप्रैल-मई में करा सकते हैं और जिला परिषदें तब गठित हो सकती है। चुनाव करायें, चाहे जिला परिषदों में विरोधी दल के लोग आयें या शासकीय वर्ग के । आप तों कहते हैं कि आपका प्रचंड बहुमत है, 80 प्रतिशत है, जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा । एक भाई उधर से कह गये कि ये चुनाव इसलिये नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि इन्हें डर है कि इन चुनावों का प्रभाव सन् 1974 के चुनावों पर पड़ेगा । इसलिये मैं यह विरोध करते हुए कि ग्राम सेवकों के लिये कुछ नहीं किया गया, इनकी चुनाव कराने की मन्शा नहीं है और सन्थानम कमेटी की रिपोर्ट के विपरीत ये इस प्रस्ताव को लायें हैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इसकों प्रवर समिति के अन्दर भेजा जायें।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री शम्भूनाथ चौधरी नहीं है । अब समय नहीं है । जिसने रखा है उसी को अधिकार है ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक मैंने प्रस्तुत किया है उसका तो उद्देश्य बिल्कुल सीमित है । 6 महीने की अवधि मांगी गयी है, लेकिन यहां पर कुछ उसकी परिधि के बाहर भी माननीय सदस्यों ने कहा । हमारे बड़े भाई जयराम वर्मा जी और हमारे माननीय संड साहब ने तों यहां तक कह दिया कि राष्ट्रपति शासन होने वाला है और जिला परिषदों के चुनाव होंगे ही नहीं । कपोल कल्पित बात है । वे तो कल्पना जगत में विचर रहे हैं । वैसे ही कह रहे हैं कि यह होने वाला है । मैं तों अपने भाई माननीय जय राम जी वर्मा से यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार अपनी जगह पर सुदृढ़ है और राष्ट्रपति शासन नहीं होने वाला है । जिस समय चुनाव होंगे उन चुनावों में आपकों भी जाना होगा और हमें भी जाना होगा ।

श्री जयराम वर्मा—

क्या यह निश्चित है कि 6 महींने में चुनाव करा देंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यहा तो मैंने सामान्य चुनाव की बात कही है।

श्री बलबीर सिंह—

मैं कहना चाहता हूं कि 47 एम0 एल0 एज0 तो अभी आने वाले हैं ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

कुछ अखबारों से सांठगांठ कर ली गई है। यदि किसी ने कुछ कह दिया तो अखबारों में छपवा दिया और फिर यहां प्रश्न कर देते हैं। आज ग्राम सेवकों का वार्षिक सम्मेलन लखनऊ में हो रहा है। मुख्य मन्त्री जी उनको सम्बोधन करने जाने वाले हैं। लखनऊ प्रदेश का मुख्यालय है। हर संस्था के अधिवेशन यहां होते रहते हैं। मेरे विरोधी भाई यह समझते हैं कि प्रदर्शन हो रहा है। उनकी मांगें यह सरकार नहीं मान रही है ऐसा इनको भय हो जाता है। यहां पर एक आध सवाल कर देते हैं ताकि वह समझें कि यह उनके बहुत बड़े शुभचिन्तक हैं। विधान सभा जैसे पवित्र स्थान पर इस तरह की बात कहना चाहिये जो तथ्यपूर्ण हो और जिससे आपको कुछ बल मिल सके। अब मैं विधेयक पर कुछ कहना चाहता हूं।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

जो लोग चुनकर आये थे उनकी शपथ नहीं हुई है और रिट दायर हो गई है, तो क्या होगा?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह किन परिस्थितियों में जिला परिषदों को समाप्त किया गया था और जिलाधीशों को यह अधिकार दिया गया था। उसका थोड़ा सा संकेत मेरे बड़े भाई जयराम वर्मा ने किया था। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन 3 वर्ष के लिये ही जिलाधीशों को यह अधिकार दिया गया था। वह अवधि 22 मार्च को समाप्त हो रही है। जो जिला परिषदों के चुनाव होने वाले हैं उसके लिये समय की आवश्यकता है। क्षेत्र प्रमुख के चुनाव के बाद 90 दिन के भीतर जिला परिषद् के अध्यक्ष के चुनाव होना चाहिये। यह प्रक्रिया समय लेती है इसीलिये 22 तारीख तक चुनाव किसी प्रकार भी नहीं हो सकते हैं। अभी कुछ साथियों ने कहा कि क्षेत्र प्रमुखों के चुनाव जल्दी क्यों नहीं कराये? मैं तो इतनी जल्दी में था कि पिछले वर्ष चुनाव चाहता था लेकिन आप लोगों ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिये जीप देहातों में नहीं जा सकेगी। मैंने आपकी भावनाओं का आदर किया। मैं अक्टूबर में चाहता था तो यह कहा गया कि अभी रास्ते साफ नहीं हुए हैं, पानी भरा हुआ है। मैं फरवरी में कराना चाहता था तो माधव बाबू का अखिल भारतीय अधिवेशन शुरू हो गया। तो उनकी भावनाओं का आदर किया। फिर मुहर्रम आ गया और मौनी अमावस आ गई। कहा गया कि सारे प्रधान इलाहाबाद और हरिद्वार में गंगा नहाने जायेंगे। तो उनकी भावनाओं का भी आदर करना पड़ा। इस तरह से समय बढ़ता गया और मार्च से पहले यह चुनाव नहीं हो सके।

श्री उपाध्यक्ष—

एक बाधा और थी लेकिन वह बाद में आयी। तीसरी को त्रयोदशी थी।

श्री त्रिलोक चन्द—

एक स्पष्टीकरण दे दीजिये। आपने कहा कि 2 मार्च को भागते भूगते करा दिया। तो जिला परिषद् के सदस्यों का क्यों नहीं कराया?

श्री उपाध्यक्ष—

वह नियमतः करा नहीं सकते हैं।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिन परिस्थितियों में यह समय बढ़ा है उसका मैंने थोड़ा सा उल्लेख कर दिया। स्पष्टीकरण चाहते हैं कि जिला परिषद् के सदस्यों का चुनाव भी क्षेत्र प्रमुख के साथ ही हो जाना चाहिये था। आपको शायद पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि क्षेत्र प्रमुख बाहर का व्यक्ति भी चुना जा सकता है और प्रधान भी उसके लिये प्रत्याशी बन सकता है। तो बाहर के व्यक्ति का भी एक मत होता जो जिला परिषद् के लिये वोट देता है। इसलिये जो नियम पहले से ही बने हुए हैं, जिनको बनाने में हमारे पुराने सदस्यों का भी हाथ है उसमें यह है कि क्षेत्र प्रमुख का चुनाव अलग होगा और जिला परिषद् के सदस्यों का चुनाव अलग होगा। तो मैं तो नियमों का पालन करना चाहता हूं और उसी प्रक्रिया को पूरा करना चाहता हूं। भाई लोग चाहते हैं कि एक ही दिन मीटिंग बुलायें और उसी में एलान कर दिया जाय कि यह चुनाव हो गया।

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक विधिवत् गठित क्षेत्र समितियां नहीं होंगी तब तक क्षेत्र समिति का प्रधान उसका कौन बनाया जायगा।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैंने 24 मार्च क्षेत्र समिति के प्रमुखों की शपथ की तारीख रखी है। अब 24 तारीख क्यों रखी गयी यह भी प्रश्न उठ सकता है। उसका कारण यह है कि सदस्यों के सामने क्षेत्र प्रमुख शपथ लेगा तो 10 दिन की नोटिस की जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष—

उस दिन असेम्बली की बैठक नहीं है।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इसीलिये तो ताकि माननीय सदस्य भी उसमें उपस्थित हो सकें। इनकी सुविधा का मुझे ख्याल है।

एक सदस्य—

जब तीन-तीन ब्लाक्स में सदस्यों को जाना होगा तो क्या समय भी कुछ परिवर्तित करेंगे ताकि वहां पहुंच जायं?

श्री उपाध्यक्ष—

विधायक के लिये शपथ जरूरी नहीं है।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह कहा गया कि 12 वर्ष के बाद यह चुनाव कराया गया। हमने तो गलती की कि हम जल्दी नहीं करा सके, लेकिन ये माननीय मित्र भी कुछ दिन सरकार में रहे। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं कि पंचायतों का भी चुनाव होना है या जिला परिषद् का गठन करना है।

श्री जयराम वर्मा—

तब तो समय भी पूरा नहीं हुआ था।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माधव बाबू को कम से कम यह नहीं कहना चाहिये था, वह मन्त्री रहे हैं कुछ दिन। तब उन्होंने कुछ किया नहीं।

हम जिलाधिकारियों से राजनीति नहीं कराना चाहते हैं। अगर राजनीति की बात होती तो हम ग्राम पंचायत से शुरू करते, क्षेत्र परिषद् से कहते कि हमारे कहने के मुताबिक होना चाहिये। हमने तो कहा कि जनता जिस-जिस को ग्राम प्रधान चुनेगी वही क्षेत्र का काम संभालेगा तो यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि हम राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा, जिला परिषदों का चुनाव क्षेत्र प्रमुख की तारीख से 90 दिन के अन्दर हो जाना चाहि तो हमने जो 6 महीने का समय मांगा है वह माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये है। आप कहगे कि हम तो यहां बजट सेशन में बैठे हुए हैं, हम क्षेत्र में घूम नहीं सकते हैं। हमारे माननीय सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने ढंग से प्रतिनिधि का चुनाव करायें।

इस दृष्टि से कुछ समय देना पड़ेगा। मेरा यह निश्चित मत है कि जल्दी से जल्दी जिला परिषद् का गठन हो जाना चाहिये और मैं उसको टालने की कदापि दिमाग में बात नहीं रखता। कहा गया कि मैंने समय समय पर आश्वासन दिये। लेकिन उनको आपने पूरा नहीं होने दिया। आप ही बाधक रहे मेरे काम में। अगर मुझे खुली

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

छूट देते और समय के ऊपर मैं इलेक्शन कराता तो 22 मार्च से पहले ही इलेक्शन कराता । तो इसका मेरे ऊपर कोई दोष नहीं है, उसमें मेरे मित्र लोग भी शामिल हैं।

अब कुछ बात पंचायत समिति की कही गयी । यद्यपि इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन हो, इनडायरेक्ट हो तो पंचायत समिति का गठन किया गया है । वह बैठी हुई है, वह अपना प्रतिवेदन देगी । उस पर सदन विचार करेगा या विधेयक लायेगी सरकार । तो वह भी आपके समक्ष आयेगा । आप बतायें कि किस तरह से क्षेत्र समिति, ग्राम पंचायतों और जिला परिषद् का गठन होना चाहिये । इस समय तो हम पुराने अधिनियम के मुताबिक सारा चुनाव का कार्य संपन्न करा रहे हैं ।

श्री राम गोपाल संड—

10 हजार ग्राम सेवकों के लिये भी कुछ उत्तर दे दें ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैंने यह पहले ही कह दिया कि ग्राम सेवक यहां पर अपना वार्षिक अधिवेशन करने के लिये आये हुए हैं । आज सरकार ने, इस लोकतंत्र ने प्रत्येक पेशा करनेवालों को छूट दी है कि वह अपनी यूनियन बनायें, अपना संगठन बनायें, अपनी कठिनाइयों को शासन के सामने रखें । तो उनका वार्षिक अधिवेशन है । उन्होंने कुछ मांगें सरकार के सामने प्रस्तुत की हैं उनकी, हम छान-बीन करा रहे हैं और उसके बाद विचार करके उनपर कुछ निर्णय लेंगे । तो वह अपने आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन माननीय सदस्यों की इच्छा है कि कुछ लखनऊ में तमाशा खड़ा कर दिया जाय । इसमें हमारे ग्राम सेवक आने वाले नहीं हैं । हम उनकी मांगों पर विचार कर रहे हैं और सहृदयतापूर्वक कर रहे हैं । क्योंकि हमारा इरादा है कि जो वीकर सेक्शन है, चाहे वह सरकार का नौकर है या समाज का व्यक्ति है उसके जीवन के स्तर को ऊपर उठाने की बात हम सोचते हैं और प्रयास करते हैं । तो उनको पूरा भरोसा है कि जो उनकी उचित मांगे हैं उनपर शासन जरूर विचार करेगा और निर्णय लेगा । तो मैं इस संशोधन कर विरोध करता हूं । इसलिये कि माननीय सदस्यों को भी सुविधा देने का प्रश्न है, इसीलिये 6 महीने का समय रखा था । यह मैं कहना चाहता हूं कि जिला परिषदों का हम गठन करना चाहते हैं और सरकार कराना चाहती है । माननीय सदस्य यदि सहयोग करें तो हम उस काम को जल्दी ही सम्पन्न करा सकेंगे, ऐसी मेरी आशा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1973 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह में दे, तथा जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (अल्प कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1973 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1973

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1970 का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये।

विधेयक

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1970 में, धारा 2 की उपधारा (1) में, शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "साढ़े तीन वर्ष" रख दिये जायं। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1970 की धारा 2 का संशोधन

श्री राम वचन (जिला आजमगढ़)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "साढ़े तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "सवा तीन वर्ष" रख दिया जाय।

जैसा कि इस पक्ष के और उस पक्ष के दोनों ओर के माननीय विधायकों की राय है कि 6 महीने के बजाय 3 महीने का ही समय दिया जाय और मंत्री जी स्वयं इससे सहमत हैं कि 3 महीने में जल्द से जल्द करा देंगे, तो जल्द से जल्द का मतलब होता है कि तीन महीने में आप करा सकते हैं। 15 जून से बरसात का समय आ जाता है। ऐसी स्थिति में बरसात के समय को भी ले लेना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिये 3 महीने के मेरे प्रस्ताव को सर्वसम्मति से सदन को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "साढ़े तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "सवा तीन वर्ष रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1973 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1973 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1973†

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1973 पर जैसा कि विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है पर विचार किया जाय । यह बहुत ही औपचारिक संशोधन विधेयक है जिसे मैं इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं । सन्, 1948 में जब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पास हुआ था उस समय करनाल जिले के 7 गांव ऐसे थे जो जमुना की धारा के प्रवाह मे अन्तर पड़ने के कारण हमारे यहां आ गये थे । अब उन गांव के जो कागजात थे उनमें और हमारे यहां के कागजातों में काफी भिन्नता थी । 1952 में जो जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट पास हुआ वह इन गांवों पर भी लागू होना चाहिये था, किन्तु कागजातों की भिन्नता आदि के कारण उसमें समस्या उठ खड़ी हुई थी । इसलिये यह आवश्यक हो गया कि उन कागजात को पंजाब से मंगवाय जायं । लोगों को मुआवजा आदि देने के लिये क्या प्रक्रिया अपनायी जाय यह भी प्रश्न पैदा हुआ । इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने की दृष्टि से यह विधेयक लाया गया है जो कि बहुत ही औपचारिक संशोधन विधेयक है । आशा है यह सदन इसे स्वीकार करेगा ।

*श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1973 को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन 1 माह में दे और जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो ।

मान्यवर, मैं इस विधेयक का बिलकुल समर्थन कर देता लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने केवल 7 ग्रामों का ही उल्लेख क्यों किया है जो सहारनपुर में पंजाब से आ गये ? मैं आपको बताना चाहता हूं बुलन्दशहर में एक ग्राम है जिसका नाम बेला है जो कि जिले के सिकन्दराबाद तहसील में पड़ता है उसको इसमें से क्यों छोड़ दिया गया है । इस बुलन्दशहर के ग्राम के अतिरिक्त अन्य भी कई ग्राम, हैं जो मेरठ या अन्य जिलों में आये हैं, उनका भी इसमें उल्लेख होना चाहिये था जो कि नहीं हैं । इसी तरह से कुछ ग्राम मुजफ्फरनगर में भी आये हैं । इन सब बातों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि यह बहुत जल्दबाजी में लाया गया है ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

यह ग्राम कब आया ?

श्री राम गोपाल संड--

ये 46-47 की बाढ़ के बाद आये । सहारनपुर के 7 गांवों का जिक्र किया, किन्तु बुलन्दशहर, मेरठ व मुजफ्फरनगर की आबादी का वर्णन इसमें नहीं है । इसलिये इसको प्रवर समिति में अवश्य भेजा जाये । पिछले 25 वर्षों से इन 7 ग्रामों के लोगों को वोट

---

†24 जनवरी, 1973 की कार्यवाही में छापा गया है ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देने के अधिकार से बंचित रखा गया है, जो उनका प्रजातंत्र के युग में बड़ा बहुमूल्य अधिकार है। पंजाब में तो इनको वोट देने का अधिकार मिला ही नहीं। ये जो 3 जिलों में ग्राम आये हैं, जिनकी संख्या 7 के बजाये करीब 15–16 है, वहां के लोगों को मताधिकार से बंचित रखा गया, यह प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया। आज 25 साल बाद, स्वतंत्रता की रजत जयन्ती के बाद यह सरकार यह विधेयक लायी है और वह भी जल्दबाजी में। उत्तर प्रदेश की सरकार 25 वर्ष तक सोती रही और अब उसे उन चन्द ग्रामों की याद आई है। हमारे हिम्मत सिंह जी वहां हो आये हैं, जिस ग्राम का मैंने जिक्र किया है। यह अपने आप में इतना बढ़ा तर्क है कि यह विधेयक अपूर्ण है, जिसे जल्दबाजी में सरकार ने बनाया है। इसमें शेष लोगों को किसी प्रकार की सुविधायें नहीं दी गई हैं जो इन्हें मिलनी चाहिये थी। इन थोड़े से शब्दो के साथ में सरकार से चाहूंगा कि वह अपना स्पष्टीकरण दें कि 25 वर्षों तक इसे क्यों नहीं लाया गया एवं मेरठ, बुलन्दशहर तथा मुजफ्फरनगर के अनेक गांवों को उसकी परिधि से क्यों छोड़ा गया।

श्री पारस नाथ सिंह (जिला बहराइच)—

मान्यवर, सोते-सोते जाग पड़ता तो इस सरकार के लिये कोई नई बात नहीं है। इस विधेयक में अनेक खामियां है, अपूर्ण है जिसका जिक्र अभी संड जी ने किया है और मैं कुछ और बातें आपके सामने बताना चाहता हूं। मैं संड जी केर संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। कि मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा बुलन्दशह हैं के गांवों की भी इसकी परिधि में शामिल कर लिया जाय। इसके ऐसे बहुत से गांव। जो जंगल के एरिया में बसे हुए ह, वहां के लोग जंगल के ही आसामी कहे जाते हैं सी इस आसामी शब्द को तोडने के लिए कितने प्रयत्न किये हम लोगों ने, यह किइस से छिपा नहीं है। कितने ही लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया और कष्ट सहे, गल अपमानजनक शब्द को हटान क लिए। लेकिन आजादी के इतने दिन बाद भी वे लोग जंगल के आसामी कहे जाते हैं। उनसे जबरन एक सेर का घी और 8 सेर का गेहूं अब भी लिया जाता है। हर जिले में ऐसे कई कई गांव हैं जो जंगल के एरिया में बसे हैं। हमारे बहराइच जिले में कई गांव हैं, उनको टेनेन्सी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, ग्राम सभा बनाने का कोई अधिकार नहीं है। किसी प्रकार से केवल एम0 एल0 ए0 के चुनाव में वे वोट दे सकते हैं। न वे पक्के मकान बनवा सकते हैं, न कुवें बनवा सकते हैं और न बाग लगा सकते हैं। हर साल जंगल के अधिकारी आते हैं और उनसे पैसे लेते रहते हैं।

इस विधेयक में अगर उन गांवों को आजाद कर दिया जाता, उनका असामी शब्द हटा दिया जाता तो मैं जरूरत इस विधेयक का समर्थन करता। इसी प्रकार दरिया के किनारे कटाव के गांव हैं। वहां के निवासी न अपनी जमीन बेच सकत हैं और न अपनी गांव सभा बना सकते हैं। अगर उन गांवों के कुछ विचार किया जाता, उनको कुछ सुविधा दी जाती तो इस विधेयक का समर्थन अवश्य करता। ऐसे गांवों के साथ बड़ा अन्याय किया जाता है। वे गाएं पालते हैं। वह जंगल को चरी देते हैं। एक गाय पर कुछ निश्चित धनराशि तय होती है जंगल में चराने के लिए, क्योंकि ग्राम में उनकी कोई भूमि नहीं। चरी देने के बाद उनसे इतना सस्ता घी-दूध लिया जाता है, और जितने अधिकारी बड़े नेता लोग शिकार खेलने जाते हैं, उनसे बेगार ली जाती है, उनसे हकवा करवाया जाता है। अगर उनको शेर खा जाता है तो कोई कम्पेंसेशन नहीं दिया जाता क्योंकि वे तो जंगल के असामी हैं। उनसे सड़कें बनवाते हैं, फारेस्ट रोड्स रिपेयर करवाते हैं। अगर वे जूत में लोहे की नाल लगवा कर फारेस्ट रोड पर निकल जायं तो उनसे पचास रुपये, चालीस रुपये जुर्माना लिया जाता है। उनसे वे जंगल का प्लांटेशन करवाया जाता है जिसका कोई पैसा नहीं दिया जाता है।

पता नहीं अधिकारीगण सरकार से पैसा लेते हैं या नहीं लेकिन उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता। ऐसे गांवों में अधिकांश थारू जाति बसी हुई है जिनके लिए सरकार कहती है

[श्री पारसनाथ सिंह—]

कि यह सुविधा दी जाय या मान्यता दी जाय । उनकी कितनी दुर्दशा है, अंग्रेजी शासन इतनी दुर्दशा नहीं होती थी। उन लोगों का कहना है कि जब हम आजाद नहीं थे तब अंग्रेज अधिकारी चाहे जिले का या डिवीजन का होता था वह हमारे गांव में आकर विशेष प्रकार से हमारे कष्टों को सुनता था और दूर करता था। वह कहते थे कि ये जंगल के असामी हैं इनको विशेष रियायत दो । लेकिन विशेष रूप से उल्टा हो गया। जंगल के असामी को पीसो कम से कम उन लोगों को भी आजाद करना चाहिए और इस देश का उनको नागरिक बनाना चाहिए। मैंने तीन वर्ष पहले एक प्रश्न की सूचना दी । न वह कैंसिल हुआ न मंजूर हुआ कि इन इन गांवों के नागरिकों को ग्राम सभा के निवासियों को सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है। महबूबनगर, भवानीपुर बिछिया, टेड़िया, गोकुलपुर, चार-पांच गांव नानपारा तहसील में ऐसे हैं। बिछिया बड़ा भारी स्थान बन गया है। लेकिन जंगल के असामी हैं सिवा मड़ैया डालने के टिनशेड नहीं डाल सकते हैं।

मेरी एक मांग है कि बिछिया को कम से कम 3 सौ एकड़ जमीन जंगल से लेने के बाद स्टेशन के चारों तरफ उनको बसाने के लिए आदेश प्रदान किये जायें । वहां बिछिया आसाम और गुजरात को लिंक करती है। रेलवे स्टेशन बन जाने से वह बहुत बड़ा स्थान बनेगा, तीन सौ एकड़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जंगल से लेने के बाद। इन शब्दों के साथ में माननीय संड जी के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मौजूदा विधेयक है यह बहुत पहले आना चाहिए था । सात गांव आज नहीं आये, 1948 में उत्तर प्रदेश में आ गये थे । जब इसमें जो संशोधन लाये हैं मैं उसको उपयुक्त समझता हूं। 25 वर्ष के बाद जो 7 गांव आये थे जिनका मालिकाना हक तय नहीं हुआ आज तक उनके लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है। उसी तरह के किस्से बुलन्दशहर के कई गांव के हैं। सरकार हरियाना सरकार से बातचीत कर रही है क्योंकि उन गांवों की जमीन हरियाना में चली गयी है लेकिन उस जमीन का मसला आज तक तय नहीं हो पाया है। लिहाजा मैं समझता हूं कि जो विधेयक आया है वह 7 गांव को रेगुलराइज करने के लिये लाया गया है। अगर बुलन्दशहर, मेरठ तथा मुजफ्फरनगर की जो जमीन चली गयी है उनके हुकूक इसमें सम्मिलित हो जाते, वह जमीन भी मिल जाती है और इसमें सम्मिलित करके विधेयक लाते तो अच्छा होता। मंत्री जी को मालूम होगा कि रोजाना उधर के लोग मवेशी खींच कर ले जाते हैं। हमारे लोग उधर जाते हैं तो मार खानी पड़ती है। वहां पी० ए० सी० तथा पुलिस लगी हुई है । उस झगड़े को भी निबटा कर यह विधेयक लाया जाता तो अच्छा होता ।

*श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय रामगोपाल संड ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे ता ों ने कुछ ऐसे गांवों की ओर संकेत किया जो जंगल में हैं । उनका इस विधेयक में समावेश होना संभव नहीं है यह माल मंत्री जी कहेंगे। लेकिन संड जी ने जो बुलन्दशहर, मेरठ के गांवों का उदाहरण रखे हैं वे इससे सम्बन्धित हैं । यमुना, पंजाब तथा हरियाना की इसमें चर्चा है। सहारनपुर तथा बुलन्दशहर मेरठ डिवीजन के हिस्से हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो सीमान्त हिस्से हैं वे हरियाना, दिल्ली या पंजाब से मिलते हैं । मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी ने पूरी जांच नहीं करवाई है । लम्बी अवधि के बाद यह बिल लाया गया है उसमें भी अगर त्रुटि रह जाय तो अच्छी बात नहीं है । इसलिये इसको प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिये ताकि सदस्यगण जो जानकारी रखते हैं उसे वह बतलायेंगे और उसके आधार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर जांच कराकर जो गांव छूट गये हैं वे भी इसमें सम्मिलित किये जायें तो यह उचित कदम होगा। अगर एक दो महीने इसमें और लग जायं तो अनुचित नहीं होगा। इससे जनता के अधिकारों की रक्षा होगी। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री इसको प्रवर समिति में भेजने की कृपा करेंगे।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। संड जी तथा त्रिलोक चन्द्र जी ने कहा कि विधेयक बहुत पहले आना चाहिये था और विधेयक के पास होने में उनको आपत्ति नहीं है। आपत्ति केवल यह है कि कुछ ऐसे और भी गांव हैं जो इसमें सम्मिलित होने चाहिये थे। मैं संड जी तथा त्रिलोक चन्द्र जी से कहूंगा कि अगर वे इसे उचित मानते हैं तो इसमें अब एक घंटे का भी विलम्ब नहीं लगाना चाहिये। इस बिल को पास होने दें और हम सब मिलकर मंत्री जी से यह आग्रह करें कि ऐसे और गांव भी हैं उनके लिये भी एक व्यापक विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हो ताकि जो इस तरह की समस्यायें अन्य क्षेत्रों की हैं, उनका भी समाधान हो सके। बलिया की सरहद बिहार से मिलती है। अस्थायी सीमा निर्धारण के बाद कितने गांव बिहार से बलिया में और बलिया से बिहार में चले गये और उन गांवों की स्थिति अभी अधर में लटकी हुई है। गंगा के किनारे बिहार के शाहबाद जिले के कई गांव ऐसे हैं और छपरा तथा नौरंगा मौजे के कई गांव हमारी तरफ के हैं जो अधर में लटके हुए हैं। उनकी पंचायतें कायम नहीं हुईं, वोटर लिस्ट नहीं बनी और वहां जमीदारी विनाश कानून लागू नहीं हुआ।

घाघरा के किनारे जो गांव हैं स्थायी रूप से हमारी तरफ आ गये हैं वहां भी यह जमीदारी विनाश कानून लागू नहीं हुआ। अभी महाजी अधिसिझुआ मौजे में सीलिंग में बहुत सारी जमीन सरप्लस घोषित हुई और भूमिहीनों में बांट दी गई। वहां जो असरदार काश्तकार हैं बिहार के वे मुकदमेंबाजी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरहद पर आकर लाठी-बन्दूक से इन जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। वहां पी० ए० सी० लगी हुई है। बड़े लोगों से उनकी सांठ-गांठ है और वे गरीबों को तबाह करने में लगे हुए हैं। आज भी उस इलाके में 40, 50 रुपये बीघा अथवा 100, 150 रुपये एकड़ जमीन बिकती है। घाघरा की तलहटी की इस जमीन का कोई ठिकाना नहीं, उसमें चाहे बालू आ जाय लेकिन लगान उसका देना होगा और जो जमीन सीलिंग से निकली वह जब बांटी गयी तो आपके कर्मचारियों ने 20 रुपये पर एकड़ के हिसाब से लगान कायम कर दिया जबकि बालू पंचट वह कागज में है अभी परसों वहां के भूमिहीन आये। कहते थे कि अमीन कहता है कि सीलिंग की जमीन का बकाया लगान है। 20 रुपये पर एकड़ के हिसाब से वसूल करते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे इन सब बातों की जांच करवा लें। राजस्व परिषद् की बात आयी थी। मैं समझता हूं कि राजस्व परिषद् में कोई काम ही नहीं होता है। भूमिहीनों को पट्टा दिये हैं कागजात में बाग बंजर दर्ज है लेकिन लगान माफ नहीं होगा। क्या राजस्व परिषद् के नियमों में इसका कोई प्राविधान नहीं है? आज आपका राजस्व परिषद् पक्षपातपूर्ण कार्य कर रहा है और उसका दिवाला निकल गया है अपनी बुद्धि से काम नहीं कर रहा है। हमारे जिले में नौरंगा आदि गांवों में बात करने हेतु यदि मंत्री जी जायं तो पायेंगे कि उन लोगों की क्या हालत है। मैंने कई बार मंत्री जी को कहा और विभागीय सचिव से भी कहा कि वे एक बार वहां आयें.....

श्री बसन्तलाल शर्मा—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मैनेजर सिंह जी विधेयक के पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में बोल रहे हैं? कभी तो इस विधेयक की तारीफ कर रहे हैं और कभी कह रहे हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बसन्त लाल शर्मा—]

कि आज राजस्व परिषद् का दिवाला निकल गया है। तो वे स्पष्ट कर दें कि क्या वे इसका समर्थन कर रहे हैं ?

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, इनकी तबीयत नासाद हो गई है। मैंने पहले ही कहा जिसे इन्होंने नहीं सुना कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आपको इस विधेयक को समर्थन देने के लिये कहता हूं और साथ ही जो शिकायतें आपने की हैं उनके बारे में माननीय मंत्री जी तक आपकी भावनायें पहुंचाना चाहता हूं इसीलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे एक व्यापक विधेयक निकट भविष्य में लायें ताकि आपकी जो शिकायतें हैं वे दूर हो जायें। मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि विकास खंड, नौरंगा में अभी तक वोटर्स लिस्ट नहीं बनी है जिससे कि लोग पंचायतों के चुनाव में भाग न ले सके। सबसे विचित्र बात यह है कि गंगा और घाघरा से जो सीमा निर्धारित की गई थी और उसमें यह किया गया था कि ये-ये गांव उत्तर प्रदेश में और ये-ये गांव बिहार में ह। इसका फैसला स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा किया गया था। कई गांव ऐसे हैं जो उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं जैसे नौरंगा, चकिया नौरंगा, भुवाल, छपरा आदि उनको बिहार ने उसे स्वीकार नहीं किया और फर्जी तौर पर झौलिया द्वारा और सलीमपुर द्वारा अपने यहां के नाम उन गांवों के रख दिये हैं। इसके लिये कोई कानून नहीं बन रहा है, कागजात तैयार नहीं हो रहे हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अपने विभाग को और कड़ा कीजिये और आदेश दें कि ये गांव हमारे हैं और वही नाम हमारे मान्य हैं तथा सही हैं।

साथ ही उन गांवों के अन्दर जो उनकी जमीनें हैं, उनका कब्जा और मालकियत है वे भी हमें दी जायं। एक बात और कहना चाहता हूं कि आपके विभाग के अधिकारी कहते हैं कि इसका एक ही निदान है कि वहां का सर्वे करा दिया जाय। ये जो गांव बिहार से उत्तर प्रदेश में आये हैं उनका अवश्य सर्वे करा दिया जाना चाहिये। इस संबंध में कई बार कहा भी गया है लेकिन आज तक सर्वे नहीं कराया गया है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप कम से कम इन गावों के लोगों की रक्षा करें और तत्काल सर्वे के आदेश दें और उनका नक्शा बना दिया जाय। उनकी खतौनी दुरुस्त की जाय।

बिहार में 2/3 साल में सर्वे हो गया था और फर्जी तरीके से उन लोगों ने उस जमीन और गांवों में सन् और संवत् देकर नक्शा तैयार कर दिया था। इन क्षेत्रों में जो विरोधाभास है उसे शीघ्र दुरुस्त होना चाहिये और जो वहां के कागजात आदि हैं उनको फूंक देना चाहिये। क्योंकि वे कागजात बेबुनियाद और फर्जी हैं जो बिहार के अधिकारियों ने हमारे उत्तर प्रदेश के भोले भाले किसानों की जमीन हड़पने के लिये फर्जी नक्शे के रूप में दिये हैं। उनके कागज से ही यह जाल प्रमाणित है। तो अन्त में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जैसा कि अभी माननीय हिम्मत सिंह, श्री त्रिलोक चन्द जी ने जिक्र किया, इन सारी भावनाओं को लेकर एक व्यापक विधेयक लावें ताकि यह रोज-रोज का झगड़ा समाप्त हो।

*श्री राम गोपाल संड—

मान्यवर, इस प्रस्ताव को मैं इसलिये वापस नहीं लूंगा कि बाबू मैनेजर सिंह जी ने एक प्रकार से मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है जो उन्होंने कहा कि बलिया जनपद में बिहार के कुछ गांव आये हैं और उसी तरह से शर्मा जी, त्रिलोक चन्द जी ने भी कहा कि मेरठ, बुलन्दशहर में भी इस तरह के गांव ह और प्रतीक स्वरूप बुलन्दशहर के एक गांव का मने नाम भी लिया, इसलिये म माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लें क्योंकि यह अधिवशन भी 10 मई तक ही चलने वाला है। जहां तक जसा कि श्री मनेजर सिंह ने एक व्यापक विधयक लान की बात कही, म उनका समर्थन करता हूं। उसका स्वागत करता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन सभी गांवों के लिये वे चाहे बलिया के हों, बुलन्दशहर या मेरठ के हों, उन सब के अधिकार सुरक्षित होने चाहिये। देर आयद दुरुस्त आयद। लेकिन इतनी जल्बदबाजी न करें कि केवल कुछ गांवों को लें। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मेरे इस संशोधन को माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लें।

*श्री उदित नारायण शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मैनेजर सिंह ने जो निवेदन किया उसको माननीय संड जी ने तो स्वीकार नहीं किया लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो चीज मैं अभी उनके सामने निवेदन करूंगा, उसको सुनकर वे मेरी प्रार्थना को जरूर स्वीकार कर लेंगे। मान्यवर, एक ही आपत्ति की गयी है यदि वह ठीक होती तो उसे हम मान लेते। कहा गया है कि कुछ गांव ऐसे ह जहां अभी भी जमीदारी समाप्त नहीं हुई है, इसके साथ-साथ उनको भी शरीक करके ऐसा एक विधेयक लाना चाहिये था जिससे यह कठिनाई एक दूसरी जगह बाकी न रह जाय। ठीक है, मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस कठिनाई को दूर करने के लिये एक व्यापक विधेयक की अपेक्षा की जाती है, जैसा कि माननीय मैनेजर सिंह ने और संड जी ने भी कहा, मुझे उम्मीद है कि जो बात मैं बतलाने जा रहा हूं उसे सुनकर वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे। वह इस प्रकार है—जिन गांवों का जिक्र आप कर रहे हैं, मेरी सूचना के अनुसार वे गांव हमारे प्रदेश में 1952 के बाद आये हैं। लेकिन ये गांव 1952 के पहले के हैं।

1952 के पहले जो गांव आये हैं, जब तक हम यह संशोधन न लायें तब तक जमींदारी एबालिशन ऐक्ट को लागू नहीं कर सकते हैं, यह एक कठिनाई है। जो बाद में गांव आये हैं, उस कठिनाई का पहले अनुभव किया गया था और सन् 1965 के अधिनियम संख्या 12 के जरिये एक और संशोधन किया गया था जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की धारा 2 (ए) में, जिसमें यह दिया गया है कि अब आयन्दा यह जमींदारी एबालिशन ऐक्ट पास होने के बाद जो भी ऐसे हिस्से, ऐसे गांव, ऐसी भूमि दूसरे प्रान्त से जो हमारे प्रान्त में होंगे उनमें इस प्राविधान को लागू करने के लिये हम केवल विज्ञप्ति द्वारा उनको लागू कर दें। वह प्राविधान मौजूद है। जो गांव रह गये हैं जिनके लिये आपने बतलाया, केवल विज्ञप्ति निकाल कर लागू कर देने से वे लागू हो जायेंगे। जो आपत्ति माननीय हिम्मत सिंह जी ने की, वह मुझे मालूम है और पहले भी उन्होंने स्थायी समिति में यह प्रश्न उठाया था लेकिन मैं समझता हूं कि जो गांव बाद में आये हैं, केवल विज्ञप्ति के द्वारा हम इसको वहां लागू कर देंगे। इसलिये मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कृपा करके माननीय संड जी, इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री राम गोपाल संड—

मैं इसे वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1973 को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन 1 माह में दे और जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1973 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खण्ड 2, 3, 4, 7, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदश जमींदारी विनाशऔर भूमि-व्यवस्था संशोधन विधेयक, 197

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा।

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1, 1951 ई0 में धारा 2-ख का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

" 2-ख—(1) यदि किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जो तत्समय अविभाजित पंजाब राज्य के क्षेत्र का मूलतः एक भाग था 26 जनवरी, 1951 के पूर्व और जो यमुना नदी के प्रवाह के कारण उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र में 26 जनवरी, 1951 के पूर्व जोड़ दिया गया और जिसके सम्बन्ध में यूनाइटेड प्राविंसेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 जैसा कि वह उक्त दिनांक के तत्काल पूर्व था, की धारा 32 में वर्णित कोई रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, तो उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र के मिल जाने से पूर्व भौमिक अधिकार संबंधी किसी पंजाब-विधि के अधीन जमाबन्दी या तत्सदृश निर्मित अथवा अनुरक्षित रजिस्टर में निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ 1 में वर्णित स्वामित्व अथवा भौमिक अधिकारों के अभिदेशों का यह अर्थ लगाया जायगा कि उस तालिका के स्तम्भ 2 में वर्णित उनके समतुल्य अधिकारों का अभिदेश है :—

अविभाजित पंजाब राज्य से संक्रमित क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकार-अभिलेख का तैयार किया जाना

स्तम्भ 1 (पंजाब विधि के अधीन अधिकारों का विवरण)		स्तम्भ 2 (उत्तर प्रदेश विधि के अधीन समतुल्य अधिकारों का विवरण)
(1) मालिक आला	..	स्वामी
(2) मालिक अदना	..	मातहतदार
(3) खुदकाश्त मालिकाना	..	खुदकाश्त
(4) मौरूसी काश्तकार या दखीलकारी अधिकार रखने वाला काश्तकार।		संक्रमण का अधिकार रखने वाला मौरूसी काश्तकार।
(5) गैर-मौरूसी काश्तकार अथवा दखीलकारी अधिकार न रखने वाला काश्तकार, जो—		

(क) यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, 1939 की धारा 30 में उल्लिखित भूमि से भिन्न भूमि का काश्तकार हो;	संक्रमण का अधिकार न रखने वाला मौरूसी काश्तकार	
(ख) यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 की धारा 30 में उल्लिखित भूमि का काश्तकार हो।	गैर दखीलकार काश्तकार	
(6) गैर-मौरूसी दोयम या शिकमी काश्तकार।	शिकमी काश्तकार	

(2) इस धारा के प्रारम्भ होने के उपरान्त, यथाशक्य शीघ्र परिषद्, उपधारा (1) में दर्शित तालिका में प्रदत्त भौमिक अधिकारों के समीकरण के अनुसार ऐसे क्षेत्रों के संबंध में अधिकार-अभिलेख तैयार करायेगी और ऐसा अधिकार-अभिलेख इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, युनाइटेड प्राविन्सेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901, जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व था, की धारा 32 के अधीन निर्मित अधिकार-अभिलेख माना जायगा तथा उसे निहित दिनांक से तत्काल पूर्व प्रभावी हुआ माना जायगा।"

नयी धारा 74-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 74 के उपरान्त निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"74-क—अध्याय 5 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 2-ख में, अभिदिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में देय पुनर्वासन अनुदान उस दिनांक पर अथवा से देय होगा जिस पर या जिससे कि ऐसे क्षेत्रों के संबंध में देय प्रतिकर अवधारित किया गया हो और मध्यवर्ती को, अनुदान देय होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर ऐसे अनुदान के निमित्त प्रार्थना-पत्र देने का अधिकार होगा तथा धारा 79 के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में समस्त उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उस पर लागू होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि पुनर्वासन अनुदान की धनराशि के अवधारण में धारा 98 के अधीन गुणांक (मल्टीपिल) का प्रयोग करते समय किसी मध्यवर्ती के सभी आस्थानों से सम्बन्धित शुद्ध परिसम्पत्तियों को ध्यान में रखा जायगा और अन्य आस्थानों के संबंध में पूर्व अवधारित अथवा भुगतान की गयी पुनर्वासन अनुदान की धनराशि, धारा 2-ख में अभिदिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में देय पुनर्वासन अनुदान की धनराशि अवधारित करते समय, घटा दी जायगी।"

धारा 342 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 342 की उपधारा (2) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि धारा 2-ख में अभिदिष्ट किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में, इस धारा के अधीन कोई आदेश उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-

व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के भीतर दिया जा सकेगा।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 1 तथा प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उचित नारायण शर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1973, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक 1973, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1973

आबकारी मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1973 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

इसमें सिर्फ इतना है और जैसी कि आप लोगों की राय है कि इस विभाग में काफी करप्शन फैल रहा है। विकृत स्प्रिट से लोग शराब बनाते हैं जिससे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचता है इसमें दंड बहुत कम था इसमें कम से कम 6 महीने की सजा रखी गयी है और फाइन भी बढ़ाया गया है ताकि लोगों में भय पैदा हो और विकृत स्प्रिट से शराब न बनायें जिससे मौतें न हों।

*श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1973, को सदन की एक प्रवर समिति सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में दें और जिसे विधेयक परिधि बढ़ाने का आधिकार हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक की भावना है और जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि विकृत स्प्रिट तरह तरह से अपने यहां बिक रही है जिससे बड़ी हानि होती है और जिसके उपयोग और प्रयोग करने पर दंड अब तक बहुत कम था वह बढ़ाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि आज हम अपने देश और प्रदेश में समय-समय पर यह देखते हैं कि विकृत स्प्रिट के प्रयोग करने से कई बार बहुत सी जानें चली जाती हैं और तरह-तरह से उसका प्रयोग और उपयोग होता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहाड़ी क्षेत्र में अधिकांश रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, इसका दवा के नाम पर उपयोग होता है। हमारा विभाग इस बात में सक्रिय नहीं है कि वह देखे कि लोग विकृत स्प्रिट का प्रयोग न करें। आज से पहले मंत्री जी यह कहा करते थे और जिस दल की यह सरकार है उसने भी अपने कार्यक्रम में यह बात रखी थी कि शराब का प्रयोग बन्द किया जाय और एक नशाबन्दी विभाग था जिसके द्वारा सारे प्रदेश में ही नहीं सारे देश में शराबन्दी प्रचार का अभियान हुआ करता था परन्तु सरकार ने अब उस अभियान को बन्द कर दिया और शराब के ठेके दिये जाते हैं। उसके पीछे यह भावना हो सकती है कि हमें राजस्व चाहिये और इसीलिये शराबबन्दी को रोककर शराब खोल दी गई। हमारा दृष्टिकोण पैसे की ओर है यहां तक कि अब अंग्रेजी शराब का भी नीलाम किया जायगा लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार घोषणा के बाद टालती रही है और मामला यहां तक बढ़ा कि विक्रेता हाईकोर्ट में गये और वह प्रस्ताव भी सरकार ने बन्दकर दिया। सरकार की यह कोशिश नहीं है कि नशे का सेवन कम हो, उसके विपरीत कोई जागरूकता जनता में पैदा की जाय या नशेबन्दी के लिय एक वातावरण बनाया जाय।

शराब के जो ठेके होते हैं या जो दुकानें हैं उनमें भी एक्साइज विभाग के कर्मचारियों का आचरण या हाथ साफ नहीं है कि वह वहां के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रख सकें। एक्वाइज विभाग के कर्मचारी तो अनजाने में नहीं बल्कि वह स्वयं उस गड़बड़ में भागी रहते हैं वह उसके लिये उत्तर-दायी हैं। केवल दंड बढ़ाने की ही आवश्यकता नहीं है कि 6 माह से एक साल कर दिया या 2 साल कर दिया। बल्कि जरूरत इस बात की है कि स्प्रिट का प्रयोग जो भिन्न-भिन्न तरह से होता है, दवाओं में भी होता है और पहाड़ी क्षेत्रों में संजीवनी सुरा के नाम से जो बिकती है, उस सबको रोकने के लिये हम व्यापक रूप से इसके तमाम पहलुओं पर विस्तार से विचार करें कि स्प्रिट के प्रयोग पर, उसकी बिक्री पर और सब बातों पर नियंत्रण किया जा सकता है। दवा में उसका कैसे प्रयोग हो, किस मात्रा में हो, कहां क्या प्रबन्ध हो कैसे व्यापक रूप से पूरा नियंत्रण हो सकता है इन सब बातों पर हम समिति में विचार करें।

रोज हमें सुनने को मिलता है और स्प्रिट के दुरुपयोग के कारण रोज जानें जाती हैं। उसको रोकने के लिये यह आवश्यक है कि बिक्री पर और उस के उपयोग पर हर तरह का पूरा नियंत्रण हो। इन तमाम बातों पर विचार करने के लिये इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जाय। इस विधेयक का हम स्वागत करते हैं लेकिन स्प्रिट पर पूरा नियंत्रण करने के लिये यह जरूरी है कि हम इस पर व्यापक रूप से विचार करें। मंत्री जी अपने विभाग को भी देखें कि उन के विभाग के कर्मचारियों के हाथ साफ नहीं हैं, उनके हाथ रंगे हुये हैं वह शराब के विक्रेताओं से, नशीली वस्तुओं के विक्रेताओं से मिले रहते हैं। और वह काफी धनाढ्य भी हैं। अगर उनके आचरण पर मंत्री जी कोई नियंत्रण लगा सकते तो बहुत अच्छी बात होगी। आज वह उनके व्यापार में सहभागी बनते हैं और रास्ता बनाते हैं कि कैसे सरकारी रेवेन्यू में नुकसान कर वह विक्रेताओं को लाभ पहुंचा कर अपना लाभ कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

*श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वैश्य जी ने चूंकि एक प्रस्ताव सदन में रखा है इसलिये मुझे भी इसके समर्थन में बोलने का अवसर मिला है। आज हमारे प्रदेश और देश के सामने सिर्फ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलबीर सिंह---]

यही समस्या नहीं है कि इन शराब बनाने वालों को कितनी सजा दी जाय, कम दी जाय या ज्यादा दी जाय। बल्कि बुनियादी सवाल यह है कि शराबनोशी को, शराब पीने और दूसरे नशे के शौक को किस तरह से खत्म किया जाय। मैं समझता हूं कि हमारे संविधान के बनाने वालों ने डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स में यह बात कही है और उसके बाद भी समय-समय पर हमारे देश के जो बड़े नेता हुये हैं महात्मा गांधी या सन्त विनोबा भावे जी वगैरा सबने इस पर बल दिया है कि हम नशेबाजी को, नशे के इस्तेमाल को बन्द करें। प्रदेश की सरकार ने पिछले सालों में एक कदम उठाया था कि आहिस्ता आहिस्ता पूर्ण नशाबन्दी की जाय, टोटल प्राहिबिशन किया जाय लेकिन हमें यह देखकर दुख हुआ कि यह सरकार आहिस्ता आहिस्ता इस नीति से हटने की कोशिश कर रही है।

पिछली दफा एक प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने माननीय मंत्री जी से, जिनका इस विभाग से सम्बन्ध है, यह जानने की कोशिश की कि सरकार की प्राहिबिशन की क्या नीति है लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया उससे स्पष्ट था कि वे उस नीति से हट गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सरकार शराबबंदी करना चाहती है तो उस ओर कदम उठाना चाहिए जिससे पूरी नशाबन्दी हो सके। आज स्थिति यह आगयी है, मैं श्रीमन्, आपके जरिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, पिछले सप्ताह ही की बात है, मैंने एक महान् सन्त का लेख पढ़ा था। सर्वोदय समाज ने निश्चय किया है कि वे शराबबन्दी के लिए सत्याग्रह करेंगे और प्रधान मंत्री जी के निवास स्थान पर धरना भी देंगे। उसी सम्बन्ध में लिखते हुए सन्त विनोबा जी को भी यह बात लिखनी पड़ी कि "मैं तो यहां तक तैयार हूं कि शराब के जो कारखाने हैं, यदि उनमें आग लगा दी जाय तो अनुचित नहीं है।" तो जो इस विषय पर सोचने वाले हैं, अहिंसा पर विश्वास रखते हैं, वे भी इस बात पर मजबूर हो गये हैं, इस हद तक कहने पर मजबूर हो गये हैं कि जो समाज को बदलना चाहते हैं, उनके सामने एक निराशा-सी दिखायी देती है कि यह सरकार कुछ करने वाली नहीं है। यह जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया है, इसके सम्बन्ध में मैं कुछ अपने सुझाव रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

नशाबन्दी को तो बल चाहिए, चाहे वह सत्याग्रह हो, चाहे कानून हो। इसके लिए ये ही कारगर होंगे।

श्री बलबीर सिंह---

तो मेरा निवेदन है कि बल के प्रयोग के लिए आप इतना मजबूर न करें कि इन्हें कहना पड़े कि आप ज्यादा बल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह तो प्रजातंत्र है, इसको विवाद के जरिए सरकार को मान लेना चाहिए। जो विधेयक इस समय हमारे सामने है इसमें मुझे ऐसी बात दिखायी देती है कि शासन ने इसको हाफ हार्टेडली लिया है, पूरी तरह से नहीं लिया है। इसमें आप चाहते हैं कि 6 महीने के स्थान पर एक वर्ष रख दिया जाय। ठीक है वह तो 1 वर्ष रख दिया लेकिन जो मूल धारा है, धारा 69, उसमें लिखा है कि "वह सजा 6 महीने से कम न होगी लेकिन आगे लिखा है "अर्थ दण्ड सहित या रहित"। तो मेरा निवेदन यह है कि मंत्री जी विचार कर लें कि दोनों तरह की सजा भी रहेगी, बिना जुर्माने और जुर्माना भी हो सकता है। तो जब आपने जुर्माने की छूट दे दी तो वह सजा नहीं रह पायेगी। इसमें दोनों सजाओं का रहना बहुत जरूरी है।

इसके अलावा मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जो आपने धारा 2 में उसको मूल तरीके से बदला है कि "ऐसी अवधि के लिए कारावास दण्ड दिया जायगा जो दो वर्ष तक हो सकती है तथा जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किन्हीं विपरीत विशेष तथा पर्याप्त कारणों के अभाव में छः माह से कम होगी और अर्थ-दण्ड भी दिया जा सकेगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है।"

तो मेरा निवेदन है कि इसमें" और अर्थ दण्ड भी दिया जायगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है" कर दिया जाय। शब्द "दिया जा सकेगा" के स्थान पर "दिया जावेगा" रख दिया जाय। मेरा मतलब है कि उसमें "सकेगा" नहीं रहना चाहिये। "सकेगा" तो डिस्क्रीशनरी हो जायेगा। दण्ड दें या न दें। उसको अनिवार्य कर दें कि इसमें अर्थ दण्ड भी दिया जायेगा। इसलिये इन्हीं बातों के आधार पर मैं कहता हूं कि जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उसको मैं ताईद करता हूं। आप उसको स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री बलवीर सिंह से)—जाप्ते से कल तय हुआ था। आप संशोधन दे दें।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

वह तो आज भी दे दें तो मान्य होगा। मान्यवर, मैंने तो कल ही कर दिया, था जब वित्त मंत्री जी ने पेश किया था। इससे रेवेन्यू बढ़ाने की बात कही थी। मान्यवर, गांधी जी कहा करते थे कि किसी गलत चीज को चेक करना, उसका सीधा इंसेन्टिव है बढ़ाने का। आप भी सोचते होंगे कि हिन्दुस्तान में कस्टम और इक्साइज में कितनी चोरी होती है। आप इनडिवीजुअल कैपेसिटी में मेरी बात मानते हैं, सदन में गवर्नमेंट की मजबूरी की वजह से मेरी बात न मानें, वह दूसरी बात है। महीने में एकाध दिन दिखाने के लिये दौड़धूप करके दिखा देते हैं ताकि डिपार्टमेंट को मालूम हो जाय; मिनिस्टर साहब खुश हो जायं। गांधी जी ने कहा था और कांग्रेस का रेज्यूलूशन भी था कि सिवाय इसके कि हम अपने बजट में इसकी लालचवादी रकम पेश कर दें, इससे कोई फायदा नहीं। बजट के बनाते वक्त इक्साइज की रकम इतनी लालचवादी दिखाई देने लगी है कि हम अपने सिद्धान्त से हटने लगे।

कान्स्टीटयूशन में प्रावीजन किया है कि हमको इसको हटाना है। 6 महीने से एक साल की सजा कर दिया तो इससे कभी वह दूर होने वाली नहीं है। गलत काम इससे कभी दूर नहीं होने वाला है। वह तो और इसमें इनसेन्टिव होगा। कभी कोई पकड़ लिया जायेगा। लेकिन कभी कोई बड़ा चोर नहीं पकड़ा गया। बड़े चोर कमरे से हिलते ही नहीं। उनके चेले-चापड़ आपरेशन एरिया में रहते हैं। एक दरोगा ने मुझसे बताया था. . . . वह आज कल सर्विस में नहीं है। उन्होंने बताया था कि 10—15 प्रोफेशनल रहते हैं। उनको बन्द कर दिया। उनको अधिक से अधिक 10—15 रुपये तनख्वाह होती है। उनको वहीं भेजवा दिया। मालूम हुआ कि 6 वर्ष जेल में भी सावस कर रहे हैं। बड़े-बड़े स्मलगर बैठे रहते हैं। इतने साफ रहते हैं कि जहां हमारी और आपकी इण्ट्री रहती है। टाइम एप्वाइन्ट करने में उनको इण्ट्री फ्री होगी, आपको चाहे दो दिन रोक दिया जाय। उनकी इण्ट्री 24 घंटे है। गुजरात का स्टेट है मान्यवर। आपकी इक्साइज की डिपूटी जो है. . . जितनी फिजूलखर्ची है बजट में, कल चर्चा हुई। 36 करोड़ बाकी है और एक लाख मिनिमम बाकी है। आज ही वित्त मंत्री जी का बयान पढ़ा।

अगर आप इन सब लोगों से रुपया इकट्ठा कर लें तो आप एक्साइज को स्क्रेप कर सकते हैं। गुजरात में कम्प्लीट प्राहिबीशन है और बजट में उसने ऐसा करके दिखा दिया है। मान्यवर, मुझे याद है कि एक बार इण्टर नेशनल प्रोहिबिशन कान्फ्रेंस हो रही थी, मुझे याद है मैंने पिछली बार भी यह कहा था, तो वहां के एक्साइज मिनिस्टर जानना चाहते थे इस कान्फ्रेंस को अटेन्ड करने के लिये, लेकिन गवर्नमेंट आफ इण्डिया के कारिन मिनिस्टर ने, यह सोच करके कि गुजरात ने तो कम्प्लीट प्रोहिबिशन कर दिया है और इण्डिया को बाकी स्टेट नहीं कर पा रही है, बाहर जाने के लिये बोला नहीं दिया गया क्योंकि आप की कलई खुल जाती। बम्बई सिटी में भी प्रोहिबिशन की कोशिश की गई, मैं यह नहीं कहता हूं कि कोई आर्टिफिसियल एरिया क्रियेट किया जाय, जैसा कि आपने जौनपुर में कर दिया है, लोग दूसरी तरफ नदी के

[श्री बंशीधर पांडेय]

पार चले जाते हैं और भांग और शराब पीकर नदी के इस पार चले आते हैं, उसी तरह से बम्बई में पानी के ड्रम के नाम पर शराब, डिनेचर्ड स्प्रिट, भर कर लाते हैं। मोटर कार में भर कर लाते हैं।

मैं मानता हूं कि जब आप 100 प्रतिशत चेक करने का रूल करेंगे तो 60-70% कर पायेंगे। जिनको पीना है वह तो स्प्रिट भी पीयेंगे और डिनेचर्ड भी पीयेंगे चाहे आप एक साल की सजा करवाएं या ज्यादा। मान्यवर, मैं पूना का अधिवेशन एटेण्ड करने के बाद बम्बई गया हुआ था और जिस मकान में ठहरा हुआ था वहां पर नीचे लोग आते थे और डिनेचर्ड स्प्रिट पीकर चले जाते थे। मैंने एक बार कहा भी, तो मुझे जवाब मिला कि यहां सब कुछ चलता है, लोग कुछ नहीं कर पायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप कानपुर, बनारस, इलाहाबाद आगरा, जैसे बड़े-बड़े शहरों में आप रोक पायेंगे? वहां तो बढ़ता जायगा और जो चेक करने की अथारिटी है, मैं मानता हूं कि एक्साइज मिनिस्टर साहब बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, मैं परसनली उनकी तारीफ करता हूं, उनका जीवन, आपका जीवन और डिप्टी मिनिस्टर साहब का जीवन भी खतरे में पड़ जायगा। रोज आपको धमकी दे दी जायगी। जो उनके रास्ते में आता है उसको मार दिया जाता है।

मान्यवर, मुगलसराय स्टेशन पर रेलवे की 34 करोड़ की सालाना चोरी होती है याने 10 लाख रुपये रोज। अफसरों ने पुलिस की ड्यूटी लगाई आपको याद होगा कि मैंने इसी हाउस में सवाल उठाया था कि वन मंत्री ने उनको छुड़वा दिया। मान्यवर, ऐरिश का सबसे बड़ा वार्ड मुगलसराय वहां पर 10 लाख रुपये के सामान की प्रतिदिन चोरी होती है, वहां पर आर० पी० एफ० खुद ही भक्षक बन जाती है, आप ताज्जुब करेंगे कि सब-इन्स्पेक्टर और 8-10 सिपाहियों को गोली से भून दिया गया। आप स्वयं सोचें कि 10 लाख रुपये रोज की आमदनी हो तो कैसे वह इसको सहन कर सकते हैं। वह तो 2-3 आदमियों को किराये पर लेकर मरवा देते हैं। पुलिस वालों को मार दिया। दरोगा मारा गया और दो कांस्टेबुल मारे गये। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि आखिर यह देश जायगा कहां। आप इस महीने का नहीं, एक साल का ले लीजिये, उनको फांसी की सजा कर दीजिये। ब्रिटेन का पढ़ा और कल मैं यू० एस० ए० के प्रेसीडेंट निक्सन का पढ़ रहा था कि डेथ सेन्टेन्स शुड बी रिवाइव्ड। अलाउद्दीन क्या करता था। जो कम तोलता था तो उसका इतना शरीर ही काट दिया जाता था। तो इस पालिसी पर बेसिक तरीके से सोचिये। कायदे कानून से आप इसको दूर नहीं कर सकते। एक बार कैरो साहब ने कांग्रेस की ओपिन मीटिंग में कहा था गुंडई कानून से दूर नहीं हो सकती। उन्होंने चार-पांच हजार गुंडों का एक रात में सफाया कराया था भले ही उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो आप भी हिम्मत कीजिये।

आप बेसिक प्वाइन्ट को सोचें कि गांधी जी के नेतृत्व में यह प्रण किया था कि प्रोहीबीशन कम्प्लीट हो जाय। आपने रस्किन की 'अन्टू द लास्ट' पढ़ा है। आप तो मान्यवर, प्रोफेसर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा कि रस्किन ने क्या लिखा है। आप आज किसी बाजार के किनारे चले जाइये तो जैसे पिरामिड्स होते हैं वैसे ही करवा मिलेंगे। अगर आप टोटली बन्द कर देंगे तो 75 परसेन्ट आदमियों को मौका नहीं मिलेगा। बाकी जो बचेंगे उनको आप फिश आउट कर देंगे कि हू इज करप्ट। तीन चीजें हैं सुरा, सुन्दरी और सोना। मैं आपको धन्यवाद दूंगा अगर आप इस एक्साइज से होने वाली आमदनी को काट दें। इस एक्साइज को आप काटिये और वित्त मन्त्री जी से कह दीजिये कि इतने रुपये की कमी होगी तो इतना रुपया तो इंजीनियर्स ऐसे ही खा जाते हैं। कल वित्त मन्त्री जी डेफीसिट फाइनेन्सिंग की बात कर रहे थे तो मैं भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। यह कह दिया जाता है कि यह साइन आफ प्रोग्रेस है और इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं कहता हूं कि नीचे से यह डेटीयोरेट करने की बात है।

लेकिन साइन आफ इनफ्लेशन है और इस बात को रोकना पड़ेगा। मैं तो आपसे कहूंगा कि डेथ सेंटेंस जोड़ियेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। अब तो उसके लिये अमेरिका जैसे कन्ट्री को भी आना पड़ा कि death sentence should be revived दिल्ली में ही ज्यादा लोग शराब पी कर मरते हैं। राजधानी में मैंने देखा है कि कोई झगड़ा हो गया, कोई जल गया और कोई मर गया। यह सब वहीं पर होता है। मैं आपके इस संशोधन का स्वागत करता हूं लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात कहता हूं कि क्या यह सरकार प्रोहिबिशन को बिलकुल छोड़ देगी और अगर प्रोहिबिशन को छोड़ देंगे तो क्या मूल सिद्धांत से हट नहीं गये? हमने देश में कितना प्रचार किया था और शराब के ठेके की दुकानों पर कितनी औरतें पीटी गयी थीं? सब शराब के ठेके की दुकानों पर आन्दोलन करते थे और पिकेटिंग होती थी। आप उन चीजों को भी करिये और बजट का लक्ष्य छोड़िये। करोड़ों-अरबों का बजट होता जाएगा। बजट के बढ़ जाने से कोई सोशियल लाइफ नहीं बदलेगी। मैं आपके इस अमेन्डमेन्ट का स्वागत करता हूं। इसको और कड़ा कर दीजिये उसका भी स्वागत करत हूं लेकिन इस पर भी विचार करिये कि कम्प्लीट प्रोहिबिशन हो। यह बात करेंगे तो आपके लिये भी अच्छा होगा और स्टेट के लिये भी ज्यादा अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—आपको संशोधन पर बोलने का फिर अधिकार है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

एक मिनट श्रीमन्, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

जब उनको बुला लिया तो आप हट गये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं जरा देर में आया था। मैं समझा नहीं था कि कहां पर आप हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कहां थे यह नहीं समझे।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मैं तो उन लोगों में से हूं जो हृदय से उस घोषणा का स्वागत करेगा जिस दिन कि वह सरकार घोषणा करेगी कि प्रदेश भर में पूर्ण मद्य निषेध हो गया। आज वे एक कदम बढ़ा रहे हैं। श्रीमन्, आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश के अन्दर ही नहीं, सारे देश के अन्दर सैकड़ों हजारों ऐसे मामले हो चुके हैं जिनके अन्दर मिलावट की गयी और मिलावट किस प्रकार की—जहर के मिलाने की और उसकी वजह से लोगों की जानें गयीं। हमारे माननीय मन्त्री जी ने यहीं लखनऊ के अन्दर छापा मारा और उसके अन्दर सैकड़ों हजारों बोतलें ऐसी पकड़ीं जिनके अन्दर मिलावट की गयी थी और जहर मिला कर के रखी गयी थीं। अगर वह लोगों के पेट तक पहुंच जाता तो कितनी बड़ी दुर्घटना होती? क्या होता इसका तो अनुमान ही केवल लगाया जा सकता है। यह तो एक बड़ा अच्छा कदम है इस दिशा के अन्दर और यह कदम आगे अधिक से अधिक बढ़े ताकि लोग सावधान रहें और कभी इस प्रकार के कदम न उठायें। मैं तो समझता हूं कि यह सरकार अपना कदम इस दिशा की ओर मोड़ेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री निरंजनन्द स्वामी—]

मैं आबकारी मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि देहरादून के अन्दर ऐसी प्रथा कर दी गयी है कि वहां पर शराब बन्द बोतलों में 3 बड़ी मुख्य दुकानों पर विन्डो पर बिकेगी। यह पहला कदम होगा इस दिशा में जबकि सील्ड बोटल्स में विन्डो सेल होगी। मुझे आशा है कि यदि हम इस प्रयास में सफल हो गये तो यह प्रथा पूरे प्रदेश में चलायी जाएगी जैसे कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में हो रहा है। अगर आदमी खुली शराब लेता है तो उसमें तो मिलावट की गुंजाइश हो सकती है। अब कोई गली कूचे में नहीं पीएगा बल्कि घर पर या किसी और जगह जाएगा और वहां पीएगा।

यह एक बहुत अच्छा कदम आपने उठाया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ी और हिम्मत के साथ आगे बढ़िये और यह कीजिये कि यह जो उत्तर प्रदेश में इससे राजस्व मिल रहा है उसका लालच छोड़ दीजिये। महात्मा गांधी के शब्दों को याद रखिये। उन्होंने कहा था कि यदि दारू से मिलने वाले पैसे से सरकार चलानी है तो वह न चलाई जाय। अगर इस प्रकार की आमदनी ही करनी है तो दूसरी भी चीजें हैं जिनसे आमदनी हो सकती है लेकिन शिष्टाचार के नाते मैं उनका नाम यहां नहीं लूंगा। इसलिये मैं कहूंगा कि सारे प्रदेश में मद्य निषेध लागू किया जाय। यह चीज हजारों लाखों घरों को तबाह कर रही है। प्रदेश की यह समस्या आर्थिक ही नहीं है सामाजिक भी है। हम सभी ऐसे गरीब किसान, मजदूर और कर्मचारियों को जानते हैं जो 2, 3 रुपया रोज पैदा करते हैं और रुपया डेढ़ रुपया इस पर फूंक देते हैं। परिवार को यह लोग अन्न नहीं पहुंचाते हैं और इनके परिवार भूखे रहते हैं। दारू पीकर सड़क पर लोटा करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि प्रदेश में पूर्णनशा बन्दी हो जाय। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का स्वागत करता हूं।

*श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)—

यह जो विधेयक सामने है एक ऐसे मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि जिसका विरोध करने की तबियत नहीं होती है। अगर मन्त्रिमण्डल में इने गिने कोई मन्त्री हैं जो सही हैं, तो इनका नाम सबसे पहले स्थान पर आता है। डीनेचर्ड और मेथीलेटेड स्प्रिट के दुरुपयोग के बारे में जो दंड की व्यवस्था है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो जहां तक उद्देश्य की बात है, बहुत सुन्दर है और स्वागत करने योग्य है लेकिन इसकी भावना जो है उस पर हमें विचार करना पड़ेगा। यह सही बात है कि जब तक मानव जीवन नष्ट करने वाले मादक पदार्थों पर रोक नहीं लगेगी तब तक समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। इससे 30 करोड़ की राजस्व प्राप्त होती है इसलिये इस सरकार में तो हिम्मत नहीं है कि इसको संवरण कर सके। ऐसी स्थिति में एक सुझाव देना चाहता हूं।

श्री बन्शीधर पांडेय ने भी कहा है कि यदि दंड से कोई चीज रोकने की चेष्टा करेंगे तो उससे अधिक विकार उत्पन्न होगा। हमें देखना पड़ेगा कि डीनेचर्ड और मेथीलेटेड स्प्रिट का जो विक्रय हो रहा है वह किस काम में आ रही है। वार्निश और पैट्रोमैक्स वगैरह में तो इसका बहुत कम उपयोग होता है। मान्यवर, दुर्भाग्य से यह विभाग मेरे पास रह चुका है। मुझे पता है कि कित कदर मन्त्रियों को कोटा के लिये घेरा जाता है। दुकानें बढ़ाने की यह लोग इजाजत चाहते हैं लेकिन 99 प्रतिशत स्प्रिट पीने के काम ही आती है। मुश्किल से 1 प्रतिशत सही उपयोग में आती है। इसको बेचने वाले भी जानते हैं कि यह पीने के लिये ही जायेगी और जिसको कोटा मिलता है, लाइसेन्स मिलता है, लाखों की हैसियत उसकी बन जाती है।

तो मैं सुझाव देना चाहता हूं, वह चाहे जितने अधिकार लें हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन इतना अवश्य समझता हूं कि वह इस नशाबन्दी को कर नहीं पायेंगे, क्योंकि मजबूरियां हैं उनकी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जबकि उनकी सरकार केन्द्र में बैठी हुई है वह जानती है कि इस महंगाई के जमाने में पहले तो लड़की की शादी में दहेज में लोग चांदी और सोने के बरतन दिया करते थे लेकिन अब चांदी के देने की शक्ति नहीं है, तो स्टेनलेस स्टील देने लगे और सौ प्रतिशत कर लग गया। अब उसको दो सौ प्रतिशत कर दिया गया और उसे चांदी का भी बाप बना दिया गया। हमारी समाजवादी सरकार है, उसने मध्यम क्लास को इस लायक भी नहीं रखा कि वह लड़की की शादी में लोहे के बरतन भी दे सके। तो पहले तो हमें सोचना है कि यह डिनेचर्ड स्प्रिट पीने के काम में आता क्यों है और इसके नशे की लत क्यों लगती चली जा रही है। उसका कारण यह है कि जो शराब बिकती है उसके मुकाबले में डिनेचर्ड स्प्रिट बहुत सस्ती है। उसको पानी में मिलाकर लोग पीते हैं। तो जब आप दिल खोल कर जनता की कमर तोड़ने पर जुटे हुए हैं तो क्यों नहीं डिनेचर्ड स्प्रिट के उतने दाम बढ़वा देते, ड्यूटी क्यों नहीं लगवाते कि उसके खरीदने में लोग हिचकिचायें और शराब के समानान्तर पानी मिलाकर भी दाम न आवें।

दूसरी बात यह कि शराब पर उतनी ड्यूटी लगनी चाहिये कि एक अरब रुपया उसी से प्राप्त हो ताकि पीने वालों की शक्ति में ही न रहे। क्योंकि यह सरकार अकर्मण्य है। इतना अधिक बहुमत होने के बाद भी केन्द्र से जो कानून बनना चाहिये कि नशाबन्दी पूरे देश में लागू हो, वह भी नहीं हो पाता क्योंकि यहां तो दल-बदलुओं की सरकार है, इंदिरा जी ने कहा भी है कि उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार नहीं है और परिणाम भी नजर आ रहा है, सौ का एक ग्रुप भी तैयार हो गया है। तो इनमें शक्ति नहीं है कि कुछ कर सकें या तिवारी जी कोई ढंग का बजट प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने नया बजट प्रस्तुत किया है, आंकड़े दिखाने में चतुर हैं क्योंकि अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं तो उनको सुझाव देना चाहता हूं कि चाहे व्यय अधिक करें लेकिन आप जो दोनों में इतना अन्तर है शराब और स्प्रिट के मूल्यों में उसको समान ले आवें और अन्तर दूर करें और शराब के इतने दाम बढ़ा दें कि पीना ही संभव न रह जाय।

मैं मन्त्री जी की भावना का स्वागत करता हूं, लेकिन पं० कमलापति त्रिपाठी के मुख्य-मंतृत्व पर तलवार लटक रही है और कुछ पता नहीं है कि किस वक्त कोई उसको काट दे। इसलिये उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह ऐसा कोई उपाय लावें जिससे लोगों को चोरी करके मिलावट करने की आदत खत्म हो और उनसे यह भी जानना चाहता हूं कि कितने स्प्रिट के लाइसेन्सियों को आपने जाकर चेक किया। क्योंकि वे भेष बदल कर जेलों में जाते हैं, दौरा करते हैं और छापा मारते हैं तो जिलों में, देहातों में जाकर के कितने स्प्रिट बेचने वालों के यहां जाकर चेक किया कि आया यह सही इस्तेमाल में बिक रही है या पीने के काम में आ रही है? और अगर देखा है तो सही हल उसका स्वयं सोचें। क्योंकि जिस मन्त्रिमण्डल में वह हैं वह तो एक भ्रष्ट मन्त्रिमण्डल है, कोई सुझाव देने वाला नहीं है। वह स्वयं चाहें तो कुछ कर सकते हैं क्योंकि वह एक जागरूक और ईमानदार मन्त्री हैं।

इसलिये मान्यवर, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और कहना चाहता हूं कि इस रोग के सही इलाज को ढूंढें ताकि यह भ्रष्ट काम जिससे लोगों की मौत होती है, वह बन्द हो। जैसे संखिया या कोई अन्य प्वायजन लेने पर आत्महत्या का आरोप लगता है इसी तरह से इसके अपराध के चेकिंग में उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिये और कम से कम राजस्व को बढ़ाने के लिये तो मैं उनको अपना सुझाव देता हूं विरोध में बैठते हुए भी। क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके वश में नहीं है नशाबन्दी लाने का निर्णय और इस सरकार में दम नहीं है। तो स्प्रिट के दाम काफी बढ़ाये जायं और शराब के दाम भी बढ़ाये जायं जिससे लोग उसका उपयोग ही न कर सकें।

*श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

दो मिनट मान्यवर, मुझे दे दीजिये। मान्यवर, हमारे विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है और साथ ही साथ अपने कुछ बहुमूल्य सुझाव भी दिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धर्मवीर---]

हैं जिन पर मन्त्री जी विचार करेंगे। मैं एक सुझाव देना चाहता था माननीय मन्त्री जी को। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बड़े जोरों का आन्दोलन यह चला कि शराबबन्दी की जाय। जहां एक तरफ सरकार के ऊपर यह लांछन है कि वह रेवेन्यू प्राप्त करने के लिये इस विभाग को चला रही है वहां मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक समाज इसके लिये तैयार नहीं होगा तब तक कानून के द्वारा चाहे जितना कठिन दंड क्यों न दे दें वह बन्द होने वाली नहीं है। पहले सरकार की तरफ से व्यापक रूप से गांव के स्तर पर प्रचार होता था लेकिन ज्यों इसका ज्यादा प्रचार होने लगा तथा लोग मरने लगे, सरकार का प्रचार भी ढीला होने लगा। इसलिये मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमें एक ऐसा वातावरण समाज के अन्दर बनाना चाहिये जिससे उसके अन्दर खुद ही इसका विरोध पैदा हो। अगर आदमी खुद ही पीना न चाहे तो दुनियां की कोई ताकत उसको पीने के लिये मजबूर नहीं कर सकती। एक शेर है---

ज़ाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर,
या वह जगह बता जहां पर खुदा न हो।

इसी का जवाब एक ने दिया---

ऐ रिन्द पी शराब तू चाहे जहां बैठकर,
दिल में खुदा नहीं तो कहीं भी खुदा नहीं।

तो जब तक समाज खुद इसके लिये तैयार नहीं होगा कि यह गन्दी चीज है तब तक इसको रोका नहीं जा सकता। 12 महीने पहले इलाहाबाद जिले में एक मद्यनिषेध सम्मेलन हुआ था जिसमें हमारे उपमन्त्री, श्री रामपूजन पटेल जी गये थे। मैंने वहां भी उनसे जिक्र किया था कि प्रचार व्यवस्था को और आर्गेनाइज करके पूरे प्रदेश में इसका प्रचार होना चाहिये ताकि समाज इसके लिये तैयार हो सके। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसका वह आश्वासन दें कि समाज को तैयार करने के लिये वह व्यापक प्रचार की व्यवस्था करेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय---

जब आप ऐसी स्थितियां पैदा कर देंगे तो वह तो अपने आप फिसल जायेंगे।

मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच कर चैन पाता है,
वो लहरें ठोकरें खातीं जिन्हें साहिल नहीं मिलता।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मैं माननीय मन्त्री जी का सिर्फ एक तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह कौन सी नीति है कि अगर वह शराब किसी क्लब में बैठकर पी जाय, जिसके मेम्बर उस जिले के अधिकारी, चाहे पुलिस के हों, चाहे रेवेन्यू के हों या उस शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, तो कोई बात नहीं। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी बजाय उन छोटी छोटी दूकानों पर छापा मारने के उचित होगा अगर नैनीताल के बोट हाउस क्लब के ऊपर आपका छापा पड़े, मुरादाबाद क्लब और जो वहां के बड़े-बड़े क्लब हैं, जहां मेज पर शराब की बोतलें सामने रख कर हर चीज का निर्णय होता है, उस तरफ ध्यान दें तो सजा बढ़ाने की ताकत जो आप इस विधेयक द्वारा हासिल कर रहे हैं वह ज्यादा कामयाब होगी। मैं यह दरख्वास्त माननीय मन्त्री जी से करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य---

मैं उपाध्यक्ष महोदय, अंत में केवल एक चीज निवेदन करना चाहता हूं। सभी माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि पूर्ण मद्यनिषेध हो। जब तक यह सम्भव नहीं है, तब तक के लिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इतना किया जाय कि शराब सरल स्थानों पर, सरलता से और सस्ती न मिले। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उसके मिलने में आदमी को कुछ कठिनाई अवश्य उठाना पड़े। इतना ही कर दिया जाय। और इसको किसी भी तरह पैसा पैदा करने का जरिया न बनाया जाय। इस ओर कठोरता की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

अब यह बात चल रही है तो एक बात मैं भी कह दूं कि हमारे यहां एक ठठवारा [illegible] है जहां क एक प्रताप बहादुर सिंह ने जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं उन्होंने यह कहा है कि मुझे न राजनैतिक पेन्शन चाहिये न अपनी किन्हीं सेवाओं के लिये कोई पुरस्कार चाहिये, मैं केवल यह चाहता हूं कि मेरे यहां जो शराब की दुकान है उसे वहां से हटवा दिया जाय।

*श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

यह जो विधेयक मैंने यहां पेश किया है उसका सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है। मैथीलेटेड स्प्रिट पीने के बाद यदि वास्तव में कोई जिन्दा रह जाता है तो उसके ऊपर तो धारा 302 का मुकदमा चलाया जाना चाहिये। वह एक जघन्य अपराध है। लेकिन इसके लिये कोई बहुत सख्त दंड हम अभी रख देते तो वह ठीक नहीं होता। इसलिये धीरे धीरे दंड की पालिसी को हम लाते जा रहे हैं। माननीय सदस्यों के सहयोग से उसे लायेंगे। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि केवल कानून बना देने से ही इसमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। किन्तु हमारी पालिसी पूर्ण मद्य निषेध की है। पहले जो संविद की सरकार रही है और भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री चन्द्रभानु गुप्ता जी की जो मद्य निषेध की पालिसी रही है उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं।

मैं यह जानता हूं कि शराब पीना एक बड़े से बड़ा जघन्य पाप है। जहां जहां हमने प्राहिबिशन किया है या हफ्ते में एक दिन के लिये किया है, हम जानते हैं क्या वहां पर लोग नहीं पीते? यदि एक प्रान्त में मद्य निषेध पूर्ण रूप से लागू किया जाता है तो पड़ोस के प्रान्त से लोग ले आते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वह पूर्ण रूप से तो लागू हो नहीं पाता। दूसरी जगह से स्मगलिंग होने लगती है। जैसा पांडेय जी ने कहा, गुजरात में कानून मद्यनिषेध है। लेकिन मुझे मालूम है वहां शराब चल रही है। तो इस बात पर कि कानूनन से यह शराब प्राहिबिशन हो आपको सोचना है। महात्मा जी की जो पुकार थी, उससे हम सब सहमत हैं, लेकिन इसका तरीका क्या है कि कम्पलीट प्राहिबीशन हो। अपना कोई कांग्रेस वर्कर नहीं है जो शराब पीता हो। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं मैं अपने किसी एलेक्शन में किसी वर्कर को शराब नहीं पिलाता हूं। यह इतना बड़ा हाउस है इसका हर कोई मेम्बर निश्चय करे कि वह अपने क्षेत्र में अपने किसी कार्यकर्ता को शराब नहीं पिलायेगा तो यह प्राहिबीशन बहुत सीमा तक सफल हो सकता है। इस तरह से पूर्ण मद्य-निषध हो सकता है। मैं इससे सहमत हूं जो पांडेय जी ने कहा, मैं बताना चाहता हूं कि बुन्देलखंड का आदमी मरने से नहीं डरता है। यदि रेड करने में कोई मर्डर हो जाय तो पाण्डेय जी प्रस्ताव पास करेंगे कि मैं और मेरे डिप्टी मिनिस्टर मर्डर के भय से अपने कर्तव्य का पालन करने से विमुख नहीं हो सकते हैं, हम किसी असामाजिक तत्व द्वारा मर्डर होने से भयभीत नहीं होते हैं। मैं हर सजेशन का आदर करता हूं और मैं चाहता हूं कि जितने हमारे साथ के साथी हैं वह शराब पीने वाले साथियों को सहयोग न दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

यह विधेयक सिर्फ दण्ड का है और माननीय सदस्यों को यह समझना चाहिये कि मद्य-निषेध केवल धन-टैक्स के वजह से राज्य सरकार नहीं करती है यह बात बिलकुल गलत है । जहां जहां से माननीय सदस्यों के सजेशन आते हैं, मैं उनकी कद्र करता हूं । उपाध्यक्ष जी ने जो सुझाव दियाहै, यदि वह नीलाम नहीं हुआ है तो कल से ही उसको बन्द करा दिया जायगा, किन्तु यदि नीलाम हो गया है तो कानूनी रुकावट पड़ेगी ।

श्री रियासत हुसैन—

यदि नीलाम हो गया है तो उसको रुपया वापस करा दिया जाए ।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, आप अपनी दरख्वास्त में मेरे मसौली का नाम भी दर्ज करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1973 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह में दे और जिसे विधयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1973 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2

2—यूनाइटेड प्राविंसेज एक्साइज ऐक्ट, 1910, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 62 में, शब्द "ऐसी अवधि के लिये कारावास का दंड दिया जायगा जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ-दंड दिया जायगा जो दो हजार रुपया तक हो सकता है, या दोनों दंड दिये जायेंगे" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:— यू पी० ऐक्ट संख्या 4, 1910 की धारा 62 की संशोधन

"ऐसी अवधि के लिये कारावास का दंड दिया जायगा जो दो वर्ष तक हो सकती है तथा जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किन्हीं विपरीत विशेष तथा पर्याप्त कारणों के अभाव में छः माह से कम न होगी, और अर्थ-दंड भी दिया जा सकेगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है ।"

श्री बलवीर सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खण्ड 2 की पंक्ति 7 में शब्द 'दिया जा सकेगा' की जगह शब्द 'दिया जायेगा' कर दिया जाय ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मैं इस संशोधन को नहीं मानता और इसमें ऐसा है जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा इसमें जुर्माना भी रख दिया जाये, तो स्मगलर्स के लिये रुपया तो कोई वैल्यू नहीं रखता है । तो उसमें सजा मिनिमम रखी गई है । उसको रखन में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 'किया जाये' या 'किया जायेगा' ।

श्री बलवीर सिंह—

इसमें बड़ा भारी अन्तर है। "दिया जा सकता है" का मतलब यह है कि अदालत चाहे तो दे या न दे। मैंने लिखा है 'दिया जायगा"। यह उसी सिद्धांत क मातहत है जिसको आपने मान लिया है कि सजा देनी चाहिये। लाजिमी होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप्शन तो है ही। "अर्थ दंड भी दिया जा सकेगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है"। आप कहते हैं कि अर्थ दंड भी दिया जायगा। कानून में दोनों का अर्थ एक ही पड़ता है।

श्री बलवीर सिंह—

"दिया जा सकेगा" का मतलब यह है कि अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो दिया जा सकेगा। "दिया जायगा" अनिवार्य हो गया। सजा भी होगी और जुर्माना भी होगा।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

सजा को सख्त किया है तो पैसे में क्यों ढिलाई छोड़ रहे हैं? "जायगा" ही होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप्शन है जज या मैजिस्ट्रेट देखेगा। वह कर तो सकता है। आप अनिवार्य कहते हैं।

श्री जयराम वर्मा—

पहले शब्द "अथवा" था। उसकी जगह पर "और" किया है। "और" करने का मतलब क्या रह जाता है अगर अदालत क ऊपर गुंजायश छोड़ी जाती है। इसलिये "दिया जायगा" ही होना चाहिये। जिस मंशा से आप संशोधन करना चाहते हैं यह उसके अनुरूप है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मैं समझता हूं कोई आवश्यकता नहीं है इसकी।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 के संशोधित रूप की पंक्ति 7 में "दिया जा सकेगा" के स्थान पर शब्द "दिया जायगा" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 3, 1, प्रस्तावना व शीर्षक

3—मूल अधिनियम की धारा 69 में, उसके प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में:— धारा 69 का संशोधन

(1) शब्द तथा अंक "धारा 62" निकाल दिये जायं;

(2) शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्टक "धारा 60 के खंड (ख)" के स्थान पर शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्टक "धारा 60 के खंड (ख) या धारा 62" रख दिये जायं, और

(3) शब्द "छः माह" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक 1973

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

यूनाइटेड प्राविंसेज एक्साइज ऐक्ट, 1910 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा । संक्षिप्त नाम

श्री जयराम वर्मा—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 के उपखंड (3) के बाद उपखंड (4) निम्न प्रकार जोड़ दिये जायं :—

(4) शब्द "या रहित" निकाल दिये जायं । सिर्फ इतना कहना है कि जो यह संशोधन किया गया है संशोधन की मंशा यह है कि पहले के मुकाबले में सजा और सख्त हो जाय । इस मंशा से किया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो असंगत हो जायगा । एक प्रस्ताव पास हुआ ।

श्री जयराम वर्मा—

वह पहली बार की सजा है । दूसरी बार की सजा में कम से कम सख्त कर दिया जाय । फिर "या रहित" की गुंजायश न रहे ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

शब्द "या रहित" जो है, इस संशोधन को मानता हूं, निकाल दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 के उपखंड (3) के बाद उपखंड (4) निम्न प्रकार से जोड़ दिया जायं :—

(4) शब्द "या रहित" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 3, 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंश माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1973 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है तथा सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1973 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, तथा सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम, बंशीधर पांडेय तथा राम विलास पांडेय का प्रस्ताव जो प्रदेश के समस्त ग्राम सेवकों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में संघर्ष के नोटिस के बारे में है, उसे नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया गया है।

दूसरा श्री नित्यानन्द स्वामी तथा सर्वश्री मोहन लाल कपूर, हिम्मत सिंह, हरिनाथ तिवारी तथा राम गोपाल संड द्वारा दिया गया प्रस्ताव जो संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में प्रदर्शन एवं अनशन के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

शेष प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये गये हैं। वे बजट पर बोलने लायक विषय हैं और उन पर बोलने के लिये माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय मिलेगा।

श्री गुलाब सिंह हिन्दू डिग्री कालेज चांदपुर, जनपद बिजनौर के पदाधिकारियों एवं छात्रों की गिरफ्तारी के संबंध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

अब एजेंडे पर दिये गये 14वें आइटम पर श्री गुलाब सिंह हिन्दू डिग्री कालेज, चांदपुर, जनपद बिजनौर के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एक वक्ता, एक छात्र तथा दो चपरासियों की गिरफ्तारी के विषय में दी गयी सूचना पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 49 के अन्तर्गत आध घंटे की चर्चा होगी।

(श्री शिव महेन्द्र तथा श्री वीरेन्द्र वर्मा का नाम पुकारे जाने पर) दोनों माननीय सदस्य नहीं हैं, लिहाजा अब हम उठते हैं।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
13 मार्च, 1973।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी "क"

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 442 पर)

DEMANDS

1. Immediate payment of D. A. at Government rates along with interim relief declared from time to time with retrospective effect since 1969.

2. Recognition of the Non-Teaching Employees Association.

3. Security of Service, compulsory confirmation after six months service.

4. House rent, conveyance and city allowances.

5. Over-time provision for all workers after working hours.

6. Representation of the Non-Teaching Employees Association on Board of Management.

7. Impartial behaviour.

8. Office accommodation for the Non-Teaching Employees Association and Karamchari Sangh.

9. Integral salary and grade at a revised scale.

10. Withdrawal of termination orders and declaration of permanency of all employees, including those whose services have been broken and fresh appointments given during past four months.

11. Payment of 8.33 per cent Bonus to all employees of the Institute.

12. Immediate application of model standing order in respect of all workmen (non-teaching employees) of the Institute pending certification of standing orders.

13. Restoration of all facilities and privileges and concessions which have been abruptly withdrawn.

14. Immediate payment of the Dairy Salesmen Commission at the rate of 8 per cent and the difference of conversion loss since the Commission has been withdrawn and Weighing of milk introduced.

15. Strict observation of 6½ hours duties for all workers from Monday to Friday and 3½ hours duty on Saturdays (a total of 36 hours in a week).

16. Payment of deducted salaries for Dewali, Dashera and Id.

17. Restoration of festival holidays.

18. Provision of a canteen for Non-Teaching Employees on subsidised rates.

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 451 पर)

त्वरित योजनान्तर्गत वर्ष 1971–72 में आरम्भ की गई योजनाओं का विवरण :

जनपद–टिहरी गढ़वाल

क्रमांक	योजना सड़क का नाम		लम्बाई (कि0 मी0)	नवम्बर 30, 1972 तक किया गया कार्य (कि0मी0)	कार्य पूर्ण अथवा प्रगति पर
1	छाम–काण्डी सौड	..	2–0	2–0	पूर्ण
2	स्यासू–रत्वाडी	..	8–0	1–8	कार्य प्रगति पर
3	चम्बा–हडमधार	..	1–5	0–73	,,
4	सुर्रासिगधार–काण्डा	..	3–0	2–0	,,
5	टटूर–भोगी	..	16–0	2–0	,,
6	फकोट खण्ड मुख्यालय	..	0–7	0–75	पूर्ण
7	सेरा–चाका	..	15–0	1–2	कार्य प्रगति पर
8	जामणी खाल जुराना	..	9–0	8–0	पूर्व स्वीकृत 6 कि0मी0 पर कार्य पूर्ण ।
9	देव प्रयाग–सेरा	..	7–0	1–0	कार्य प्रगति पर
10	कीर्तिनगर–डांग	..	6–0	2–95	,,
11	दुगडा–सौड	..	5–0	2–6	,,
12	जाखणी–जखोली	..	7–0	4–0	,,
13	पावली–हुलाणखाल	..	10–0	3–0	,,
14	चनखाली–खण्ड मुख्यालय	..	1–75	0–57	,,
15	पोखाल जूनियर हाई स्कूल	..	0–375	0–375	पूर्ण
16	टिहरी–टिपरी	..	0–7	0–55	कार्य प्रगति पर
17	चौधार–ओखेला	..	4–0	3–1	,,
	योग	..	97–025 कि0मी0	36–625 कि0मी0	

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 485 पर)

सड़कों का विवरण

1—चौबेपुर से बन्दीमाता	7 किलोमीटर
2—रमई पुर से मझावन	7 किलोमीटर
3—बिलहा से अजनपुर	6 किलोमीटर
4—घेरापुर से रतनियापुर	2 किलोमीटर
कुल योग ..	22 किलोमीटर

विधान सभा प्रदेश सचिवालय

नत्थी "घ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 487 पर)

1—श्री विद्या प्रकाश तिवारी—

को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा समाप्त करने की नोटिस दी गई थी किन्तु श्री तिवारी द्वारा क्षमा याचना करने पर तथा यह प्रार्थना करने पर कि उन्हें अनुपस्थिति की अवधि का कोई वेतन न दिया जाय और सेवा में बने रहने दिया जाय, संबंधित अधिकारी ने सेवा समाप्ति संबंधी नोटिस वापस लेते हुये यह आदेश दिया कि श्री तिवारी को यथा वांछित दिनांक 1-4-72 से 15-6-72 तक बिना वेतन अवकाश प्रदान किया जाता है। अतः उन्हें अप्रैल, तथा मई, 1972 का वेतन देने का प्रश्न नहीं उठता।

2—श्री सीताराम—

को पंचायत निर्वाचन की अवधि में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण निलम्बित कर दिया गया था परन्तु उनके द्वारा क्षमा याचना करने पर संबंधित अधिकारी ने उन्हें पदारूढ़ करते हुये यह आदेश दिये कि पंचायत निर्वाचन की अवधि दिनांक 30-5-72 से 2-6-72 तक का उन्हें कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायगा। इस प्रकार श्री सीताराम को माह मई, 1972 का केवल 2 दिन (30 व 31 मई, 1972) का वेतन नहीं दिया गया है।

3—श्री गंगा प्रसाद गुप्त—

अप्रैल, व मई, 1972 माह में अस्वस्थता के आधार पर अवकाश पर चले गये थे परन्तु नियमानुसार अवकाश प्रार्थना-पत्र एवं मेडिकल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये थे। उन्होंने योगदान करने के बाद भी मेडिकल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया था जिसकी कि उनसे मांग की गई थी। उन्होंने अब वांछित मेडिकल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया है और तदनुसार उनको याचित अवकाश स्वीकार कर दिया गया है। वेतन भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

4—श्री कालिका मिश्र—

भी अस्वस्थता के आधार पर माह अप्रैल, 1972 में अवकाश पर थे परन्तु नियमानुसार अवकाश का प्रार्थना-पत्र तथा मेडिकल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये थे। योगदान करने के उपरान्त भी उन्होंने मेडिकल प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत किया जिसकी कि उनसे मांग की गई थी। उन्होंने अब वांछित प्रमाण-पत्र दे दिया है और उनको याचित अवकाश स्वीकार कर दिया गया है। वेतन भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

5—श्री रामायण पाठक—

का वेतन क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा यह लिखकर रोक दिया गया था कि पंचायत सेवक अनुपस्थित है। पूंछ तांछ करने पर उन्होंने सूचित किया कि वह दिनांक 7-5-72 से अनुपस्थित थे। उनसे अनुपस्थिति के संबंध में कतिपय अन्य सूचनायें मांगी गई जिसका उत्तर अभी तक अप्राप्त है। स्पष्ट उत्तर प्राप्त होने पर उचित निर्णय लिया जायगा।

6—श्री श्याम बली यादव—

का माह अप्रैल, 1972 का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने अपने वेतन भुगतान के लिये 3 बार प्रार्थना-पत्र दिया है। प्रथम प्रार्थना-पत्र दिनांक 20-6-1972 अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) गोरखपुर को तथा 2 प्रार्थना-पत्र दिनांक 17-8-1972 एवं 6-10-1972 जिला पंचायत राज अधिकारी गोरखपुर को संबोधित है। इसके अतिरिक्त इसी पंचायत सेवक के वेतन के बारे में श्री फिरंगी प्रसाद विशारद विधायक का माननीय विकास मंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित पत्र दिनांक 5-10-1972 भी प्राप्त हुआ है। क्षेत्र विकास अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार श्री यादव अपने स्थानान्तरण आदेश के परिपालन से बचने के लिए अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। उन्होंने अभी तक अपनी उपस्थित का ठोस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर उन्हें उक्त अवधि का वेतन दिया जा सके।

नत्थी "ङ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 490 पर)

तारांकित प्रश्न संख्या 15 का संलग्नक

खण्ड विकास अधिकारी, रूधौली के विरुद्ध 10 जून, 71 से सितम्बर, 72 के मध्य प्राप्त शिकायती-पत्रों, उनमें निहित आरोपों तथा कृत कार्यवाही का विवरण

क्र0 सं0	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायती पत्र का दिनांक	अधिकारी जिसे शिकायती-पत्र सम्बोधित है	विभिन्न स्तरों पर प्राप्ति की तिथि			शिकायती-पत्र में अंकित आरोपों का सारांश	कृत कार्यवाही
				आयुक्त, कृषि उ0 एवं ग्रा0 विकास	जिला अधि0 बस्ती	जिला नियोजन अधिकारी बस्ती		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1—श्री कृष्ण प्रताप सिंह, प्रमुख, क्षेत्र समिति, रूधौली।	5—5—72	जिलाधिकारी बस्ती	..	15—6—72	16—6—72	बाढ़ एवं अति वृष्टि से गिरे हुए मकानों के लिये वितरित सहायता में गड़बड़ी की जांच के लिये अनुरोध तथा अभिलेखों की मांग।	पूरे जनपद में अभिलेख सतर्कता विभाग द्वारा सील्ड कराकर सुरक्षित करा दिये गये हैं शिकायतकर्ता को पत्रांक 1645/जी0 सी0, दिनांक 9—8—72 द्वारा तदनुसार सूचित कर दिया गया।
	2—श्री रामाज्ञा मिश्र, ड्राइवर, प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र, रूधौली, बस्ती।	दिनांक रहित	,,	..	16—6—72	16—6—72	परिवार नियोजन अभियान में दी गई जीप का दुरुपयोग।	खण्ड विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया गया। उन्होंने शिका-

							यतों को निराधार बताया । शिकायत-कर्ताको जिला नियोजन अधिकारी के पत्र सं0 शून्य, दिनांक 4–7–72 तथा 1437, दिनांक 26–7–72 द्वारा शिकायतों की पुष्टि में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिये बुलाया गया किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए ।
3–श्री कृष्ण प्रताप सिंह, प्रमुख, क्षेत्र समिति, रुधौली ।	(1) 10–6–72 जि0 नि0 अ0, बस्ती को सम्बोधित, पत्र दिनांक 9–6–72 की प्रतिलिपि सहित ।	आयुक्त कृषि उ0 एवं ग्राम विकास, लखनऊ ।	17–6–72	31–8–72	4–9–72	इन दोनों प्रार्थना-पत्रों तथा, संलग्नकों में निम्नलिखित शिकायतें की गई हैं। अधिकांश शिकायतें विभिन्न प्रार्थना-पत्रों में समान विषय से सम्बन्धित हैं। अतः विवरण एक साथ दिया जा रहा है ।		
						(1) स्थानीय क्षेत्रीय झगड़ों को उभार कर विकास कार्यों को अवरुद्ध करना।	अतिरिक्त जिला नियोजन अधिकारी द्वारा जांच करायी गई। यह शिकायत निराधार पाई गई ।
	(2) 26–8–72 निम्नलिखित संलग्नकों	,,	28–8–72	,,	,,	(2) अपने, अनियमित कार्यों को छुपाने के लिये दो वर्ष से प्रमुख के बार 2	अतिरिक्त जिला नियोजन अधिकारी द्वारा जांच की गई। क्षेत्र समिति की अंतिम

नत्थी "ड." (क्रमशः)

क्र0 सं0	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायती-पत्र का दिनांक	अधिकारी जिसे शिकायती-पत्र संबोधित है	विभिन्न स्तरों पर प्राप्ति की तिथि			शिकायती-पत्र में अंकित आरोपों का सारांश	कृत कार्यवाही
				आयुक्त, कृषि उ0 एवं ग्रा0 विकास	जिला अधि0 बस्ती	जिला नियोजन अधिकारी बस्ती		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		सहित। (क) जि0 नि0 अ0 बस्ती को सम्बोधित आवेदन पत्र दि0 1-6-72 की प्रतिलिपि (ख) प्रमुख द्वारा खं0वि0 अ0 को सम्बोधित पत्र दि0 24-6-72 की प्रतिलिपि।					कहने पर भी क्षेत्र समिति की बैठक न बुलाना।	बैठक 21-9-70 को हुई थी उसके बाद कोई बैठक नहीं बुलाई गई। जिसमें क्षे0 वि0 अ0 रूधौली की कुछ असावधानी पाई गई है और इस संबंध में आवश्यक छानबीन की जा रही है। यह सच नहीं पाया गया कि क्षेत्र विकास अधिकारी ने बैठक अपने अनियमित कार्यों एवं कमजोरियों को छुपाने के लिए नहीं बुलाई थी।
		(ग) प्रमुख द्वारा खं0वि0					(3) सर्वश्री सोहरत सिंह, पुत्र त्रिवेनी	अतिरिक्त जिला नियोजन अधिकारी द्वारा जांच

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अ0 को संबोधित पत्र, दि0 9–7–71 की प्रतिलिपि। (घ) निरीक्षण रिपोर्ट प्रमुख, क्षेत्र समिति, दि0 10–6–72।	सिंह, ग्राम स्थार, विश्नु प्रताप सिंह तथा महेश प्रताप सिंह, ग्राम रुद्रनगर के नाम से खाद के फर्जी बाण्ड बनवाकर लगभग 29,000 रु0 का, अपहरण तथा तकावी संबंधी अभिलेखों के रखरखाव में कुव्यवस्था।	कराई गई। शिकायती पत्र में उल्लिखित संबंधित व्यक्तियों से शिकायतकर्ता के सम्मुख पूछ-ताछ की गई। इन तीनों ही व्यक्तियों से संबंधित बाण्ड, परमिट आदि पूर्ण तथा सही पाये गये। तकावी, विवरण संबंधी अन्य अभिलेख संबंधित अधि0 कृषि तहसीलदार, द्वारा देखे जा रहे हैं।
	(4) कुछ ग्राम सेवक 8–10 वर्ष से क्षेत्र में रह रहे हैं और निजी खेती करते हैं।	जांच से ज्ञात हुआ कि श्री सूर्यबली प्रसाद, ग्राम सेवक, विकास खण्ड रुधौली में आठ साल से अधिक से थे और खेती भी करते थे। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के दो अन्य ग्राम सेवक की भी खेती थी। इन तीनों ग्राम सेवकों का इस क्षेत्र से स्थानान्तरण कर दिया गया और

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ' (क्रमशः)

क्र0 सं0	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायती-पत्र का दिनांक	अधिकारी जिसे शिकायती-पत्र संबोधित है	विभिन्न स्तरों पर प्राप्ति की तिथि			शिकायती-पत्र में अंकित आरोपों का सारांश	कृत कार्यवाही
				आयुक्त, कृषि उ0 एवं ग्रा0 विकास	जिला अधि0 बस्ती	जिला नियोजन अधिकारी बस्ती		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								इस क्षेत्र से मुक्त भी हो गये हैं।
							(5) विकास क्षेत्र की जीप लेकर घर जाने की शिकायत।	जांच की गई और यह शिकायत निराधार पाई गई।
							(6) कुछ क्लर्क तथा हेड क्लर्क स्थानीय हैं, समय पर काम नहीं करते। कार्यालय की कार्य प्रणाली कुव्यवस्थित है।	यह सत्य है कि विकास खण्ड कार्यालय के कुछ लिपिक इसी विकास खण्ड के निवासी हैं किन्तु लिपिक वर्ग की स्थानीय नियुक्ति अनियमित नहीं है। ब्लाक कार्यालय के एकाउंटेंट श्री अद्या प्रसाद जो स्थानीय थे तथा ज्येष्ठ लिपिक श्री काशी प्रसाद के कार्य के प्रति उदासीनता के कारण

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	कार्यालय के कार्य पर अवश्य प्रभाव पड़ा है इन दोनों लिपिकों को स्थानान्तरित कर दिया गया है।
(7) अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त मकानों तथा एक एकड़ तक के कृषकों को निःशुल्क बीज के वितरण में गड़बड़ी।	सतर्कता विभाग द्वारा पूरे जनपद के तत्संबंधी रिकार्ड सीलड करा दिये गये हैं।
(8) प्रमुख से छिपाकर क्षेत्र समिति की बैठक करना तथा अनुदान का रुपया कुछ लोगों को वितरित करना।	खण्ड में पहले से प्रचलित प्रणाली के अनुसार खंड विकास अधिकारी ने 21-9-70 को क्षेत्र समिति की बैठक बलाई थी जिसमें रूधौली ग्राम सभा को यातायात के मद से अनुदान स्वीकृत किया गया। प्रमुख ने उक्त बैठक को अनियमित घोषित कर दिया। अतः स्वीकृत अनुदान का वितरण नहीं किया जा सका।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "च"

(देखिये पीछे पृष्ठ 492 पर)

विधान सभा का तिथिवार कार्यक्रम

13 मार्च, 1973--(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1973 पर विचार एवं उसका पारण ।

(2) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1973, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण ।

(3) उत्तर प्रदेश इक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1973, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण ।

14 मार्च, 1973--(अपरान्ह 5 बजे) लेखानुदान के प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण ।

15 मार्च, 1973--(अपरान्ह 5 बजे) लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार, मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक के प्रस्तुतीकरण पर विचार एवं उसका पारण ।

14, 15 एवं 16 मार्च, 1973--(3 दिन) वित्तीय वर्ष, 1973-74 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।

17, 18, 19, 20 तथा 21 मार्च, 1973--होली के अवकाश के कारण बैठक नहीं होगी ।

22, तथा 23 मार्च, 1973--(2 दिन) वित्तीय वर्ष, 1973-74 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।

24, 25, 26 तथा 27 मार्च, 1973--बैठक नहीं होगी ।

28, 29 तथा 30 मार्च 1973 (3 दिन)--वित्तीय वर्ष, 1973-74 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

31 मार्च तथा 1 अप्रैल, 1973--बैठक नहीं होगी ।

2, 3, 4 तथा 5 अप्रैल, 1973 (4 दिन)--वित्तीय वर्ष 1973-74 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

6 अप्रैल, 1973--विधायी एवं अन्य कार्य ।

7, 8, 9, 10 तथा 11 अप्रैल, 1973--बैठक नहीं होगी ।

12 तथा 13 अप्रैल, 1973 (2 दिन)--वित्तीय वर्ष 1973-74 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

14, 15 तथा 16 अप्रैल, 1973--बैठक नहीं होगी ।

17, 18 तथा 19 अप्रैल, 1973 (3 दिन)--वित्तीय वर्ष 1973-74 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

20 (गुड फ्राइडे की छुट्टी) 21 तथा 22 अप्रैल, 1973--बैठक नहीं होगी ।

23, 24, 25 तथा 26 अप्रैल, 1973 (4 दिन)--वित्तीय वर्ष 1973-74 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

27 अप्रैल, 1973—असरकारी कार्य ।

28, 29 तथा 30 अप्रैल, 1973—बैठक नहीं होगी ।

1, 2, 3 तथा 4 मई, 1973 (4 दिन)—वित्तीय वर्ष, 1973–74 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

5 तथा 6 मई, 1973—बैठक नहीं होगी ।

7, 8, 9 तथा 10 मई, 1973 (4 दिन)—वित्तीय वर्ष 1973–74 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान तथा 10 मई को 4–30 बजे अपरान्ह–उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1973 का सदन की अनुज्ञा से पुनःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

विधान सभा सचिवालय

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 16 एल0 ए0—1973—835.